लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . २१५४–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि . . . २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित . . . २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२९३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२९४

सामान्य आयव्ययकक—सामान्य—चर्चा . . . २२९४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६९—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४–९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९–२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९–६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना २६३२–३३

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३—३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण	२६३६—३७
स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य	२६३७—३९
सभा का कार्य	२६३९—५८
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२६३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	२६५८
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२६५९—७९
अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प .	२६७९—८१
निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२६८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२६८७—९३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १९६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२९, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३९।	२६९५—२७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४	२७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . .	२७२३—४९
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . .	२७४९—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय	२७५५
१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना	२७५६—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५७—५८
राज्य सभा से सन्देश	२७५८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या . . . २७५९

अनुदानों की मांगें--

विधि मन्त्रालय २७६०--९२

दैनिक संक्षेपिका २७९३--९७

अंक २७--मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९--२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . २८३१--४९

स्थगन प्रस्ताव--

कोचीन में शिपयार्ड २८४९--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५२-५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना २८५३-५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४--५८

अनुदानों की मांगें--

शिक्षा मन्त्रालय २८५८--२९२०

दैनिक संक्षेपिका २९२१--२४

अंक २८--बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . २९२५--४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . २९४७--५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . २९५६--७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . २९७४–७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४

प्राक्कलन समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०

कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक---श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४-५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६---७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--(धारा ७३ का संशोधन)---श्री हेम राज का---

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२---७७

नोट:-मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, १० मार्च, १९६०

२० फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में खारी पानी

+

†*७४८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री संगण्णा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के उड़ीसा में खारी पानी सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ११०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन वाली योजना के लिये वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागत कितनी होगी; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि तटबन्ध टूट जाने पर उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, और यदि हां, तो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तटबन्धों को अच्छी हालत में रखने की व्यवस्था क्यों नहीं करता ?

†मूल अंग्रेजी में

417 (Ai) LSD—1

†**श्री हाथी :** केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था। इन तटबन्धों का निर्माण इस क्षेत्र में खारी पानी का बह आना रोकने के लिये अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अधीन किया गया था और जब यह क्षतिग्रस्त हो गये हैं तो स्वाभाविक रूप से ही इनकी मरम्मत अधिक अन्न उपजाओ योजना में उपलब्ध राशि से कर दी जायेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि इस बात से कि एक विभाग जिम्मेदारी मान रहा है और दूसरा नहीं क्या गतिरोध उत्पन्न हो गया है ? क्या इस से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को बाधा पहुंच रही है ?

†**श्री हाथी :** कोई गतिरोध नहीं हुआ है। वास्तव में हमने उड़ीसा सरकार को यह सूचित किया है कि—उड़ीसा सरकार का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था—केन्द्रीय सरकार अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन सहायता दे देगी। उन्हें महज प्राक्कलन तैयार कर उसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास भेजना है। उसे मंजूर न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उपमंत्री को पता है कि १९६०-६१ की क्या योजना के दौरान में राज्य सरकार ने खारी पानी सम्बन्धी तटबन्धों की रक्षा और नये तटबन्धों के निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत की है, और यदि हां, तो वह योजना क्या है, और उन्होंने क्या सहायता मांगी है ?

†**श्री हाथी :** मैं बता चुका हूं कि खारी पानी सम्बन्धी तटबन्धों की मरम्मत अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन पड़ती है। यह सिंचाई मंत्रालय के अधीन नहीं आती।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों की किसी राज्य सरकार को इस शीर्ष पर कोई धन दिया है ?

†**श्री हाथी :** मैं तो नहीं समझता।

†**श्री सूपकार :** यदि भारत सरकार का यह कहना हो कि उड़ीसा सरकार ने इस विषय में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से नहीं कहा, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से कहा है और उन का प्रस्ताव क्या है ?

†**श्री हाथी :** मैं बिल्कुल आरम्भ में ही बता चुका हूं कि बाढ़ नियंत्रण कार्यवाही अथवा अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन मरम्मत की इन योजनाओं के लिये रुपया प्राप्त करने अथवा उन्हें उपयुक्त स्थान दिलाने के प्रश्न पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था जिसमें उड़ीसा के मंत्री भी मौजूद थे। बोर्ड का निर्णय यह था कि इस को अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा, बाढ़ नियंत्रण कार्यवाहियों के अधीन नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** खाद्य तथा कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं। क्या ऐसी योजना उन के पास आयी है, और यदि हां, तो कब ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** हम दोनों मंत्रालयों के बीच इस प्रश्न का अच्छे से अच्छा हल निकालने के लिये विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चरखी दादरी के निकट ट्रेन पर गोली-वर्षा

†*७४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ दिसम्बर, १९५९ को चरखी दादरी और मून्हेरू के बीच चलने वाली आई० बी० डी० बी० ट्रेन पर गोली-वर्षा की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की हानि हुई और क्या कोई यात्री घायल हुआ अथवा मारा गया था;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क), (ग) और (घ). अभी तक यह सिद्ध नहीं हो सका कि यह घटना गोली-वर्षा की थी या पत्थर फेंकने की। फिर भी पुलिस बड़े सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रही है।

(ख) कोई यात्री मरा अथवा घायल नहीं हुआ था। केवल डिब्बों की खिड़कियों के ३ कांच टूट गये थे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि उस डिब्बे में, जिसकी खिड़कियों के कांच टूटे थे, पंजाब के एक एम० एल० ए० यात्रा कर रहे थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बाद में पुलिस को पता चला कि एक एम० एल० ए० यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा "यदि यह बन्दूक दागी गयी थी तब वह मुझे निशाना बनाकर छोड़ी गयी थी" लेकिन वह निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सके। पुलिस ने रेलवे कर्मचारियों से भी सम्पर्क किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बन्दूक चलने की आवाज नहीं सुनी। बाद में एम० एल० ने कहा कि वे दो व्यक्तियों के बारे में, जिन पर उन्हें शक है, बाद में सूचना देंगे। अब तक उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी और क्या उस प्रारम्भिक रिपोर्ट में गोली चलाने अथवा पत्थर फेंकने का जिक्र किया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रारम्भिक रिपोर्ट गार्ड ने दी थी। उन्होंने कहा कि ब्रेक-वान और उसके बगल के डिब्बे के कांच टूट गये थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। यह स्पष्ट नहीं कहा गया था कि पत्थर फेंके गये या गोली चली थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह घटना २७ दिसम्बर, १९५९ को हुई थी और उपमंत्री महोदय ने कहा है कि वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह पत्थर था या गोली। क्या कुछ चीज, पत्थर का टुकड़ा अथवा गोली मिली थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पुलिस ने बड़ी सरगर्मी से तलाशी ली है और पूछ ताछ की है। यह सिद्ध करने के लिये कि गोली चली थी या नहीं उन्होंने ट्रेन की भी जांच और तलाशी ली लेकिन कुछ सिद्ध नहीं हो सका।

राउरकेला भिलाई रेल-सम्पर्क

†*७५१. **श्री वैं० च० मलिक** : क्या रेलवे मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला से भिलाई के इस्पात कारखाने तक नई दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक वास्तव में कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) दोहरी लाइन बिछाने के कार्य का लगभग ९४ प्रतिशत अंश पूरा हो चुका है ।

(ख) आशा की जाती है कि यह पूरी लाइन माल यातायात के लिये अप्रैल, १९६० तक और यात्री यातायात के लिये मार्च १९६१ तक खुल जायगी ।

†**श्री वै० च० मलिक** : इस लाइन के निर्माण पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : राउरकेला से भिलाई के प्रथम चरण पर २१·१६ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ।

विमान सर्विसें

†*७४२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में जिन अवसरों पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अपनी सर्विसों के शेड्यूल और रूट-पैटर्न में परिवर्त्तन किये हैं उनका विवरण क्या है ;

(ख) कितने अवसरों पर आई० ए० सी० ने ट्रैवल-एजेंटों और जनता को पहले से प्रस्तावित परिवर्त्तनों की सूचना दी थी और कितने-कितने समय पहले दी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रैवल-एजेंटों और राज्य सरकारों ने आई० ए० सी द्वारा अपने शेड्यूल और रूट-पैटर्न में इतने जल्दी-जल्दी परिवर्तन किये जाने का विरोध किया है और उस पर चिन्ता प्रगट की है, और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (घ). मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : विवरण में दस दिन के जिस नोटिस का उल्लेख है कारपोरेशन संचालकों और ट्रैवल-एजेंटों को उससे अधिक का नोटिस क्यों नहीं दे सका ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं कोई विशिष्ट कारण नहीं बता सकूंगा । कई कारण रहे हैं, शायद कार्यक्रम में देर हुई है, अंतिम समय पर परिवर्त्तन किये गये हैं और इसी तरह की बातें हैं । लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इतना थोड़ा नोटिस शायद अवांछनीय है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार यह बात समझती है कि संचालन कार्य के कार्यक्रम में जल्दी-जल्दी इतने कम नोटिस पर किये गये परिवर्त्तन देश में पर्यटन सम्वर्द्धन कार्य में बाधक होते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में पर्यटन संवर्द्धन और एयरलाइन्स का नियंत्रण एक ही मंत्रालय के हाथ में है, सरकार आई० ए० सी० की गतिविधि का समन्वय करने में सफल क्यों नहीं हुई ताकि भारत आने वाले पर्यटकों को कोई कठिनाई न हो ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ने अभी कहा कि इतना कम नोटिस वांछनीय नहीं होगा । यह ठीक है कि सभा में जो विचार प्रगट किये जायेंगे वह सम्बन्धित क्षेत्रों को बता दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** ऐसा क्यों है कि कुछ अवसरों पर कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये दो या तीन दिन का नोटिस दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** कुछ ऐसे अवसर आये हैं जब दो या तीन दिन का नोटिस दिया गया था। लेकिन यह बात केवल स्थानीय सर्विसों के बारे में हुई, पूरे रूट-पैटर्न के बारे में नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या आई० ए० सी० द्वारा यात्री-यातायात के समय बदलने का काम आरंभ करने का भी कोई समय क्रम निर्धारित है ? या हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि किसी भी दिन किसी भी समय यह काम आरम्भ कर परिवर्तन कर दिया जाता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मोटे तौर पर, रूट-पैटर्न में, यदि आवश्यक हो तो, परिवर्तन वर्ष में दो बार गर्मी और सर्दियों में किये जाते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय परिवर्तन समय समय पर अवश्य कर दिये जाते हैं। मैं कह चुका हूं कि बहुत थोड़ा नोटिस अवांछनीय है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** आई० ए० सी० और पर्यटन-संवर्द्धन की गतिविधियों में समन्वय करने में मंत्रालय को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यह दोनों एक ही मंत्रालय के अधीन हैं फिर भी यह कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे ख्याल से तो कोई कठिनाई नहीं है। हां, हम इस बात की व्यवस्था का प्रयास करेंगे कि जल्दी-जल्दी परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप अनावश्यक रूप से कठिनाई न हो।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का लेट चलना

+

†*७५४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से मद्रास जाने वाली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस जनवरी, १९६० में लगातार 'लेट' चला करती थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी के ठीक समय से चलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं। यह गाडी महीने में २४ अवसरों पर मद्रास सेन्ट्रेल स्टेशन पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री स० मो० दनर्जी :** क्या गाड़ियों के लेट चलने का निश्चय करने के लिये केवल किसी स्टेशन से रवाना होने और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय पर ही विचार किया जाता है, बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर पहुंचने के समय को नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां। केवल गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय पर विचार किया जाता है। लेकिन हम यह देखने के लिये कि गाड़ियां बीच के महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनों पर भी ठीक समय से पहुंचती हैं या नहीं उनका पूरा रेकार्ड रखते हैं।

†**श्री तिरुमल राव :** मंत्री महोदय ने हमें गाड़ियों के मद्रास सेंट्रल पहुंचने के समय के बारे में बताया है। नई दिल्ली पहुंचने के बारे में क्या स्थिति है ? वह कितनी बार लेट पहुंची ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मद्रास से दिल्ली आने वाली गाड़ियां अक्सर लेट होती हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली से मद्रास की ओर यात्रा में मध्य रेलवे के भाग में देर होने के बावजूद बेजवाड़ा से मद्रास के बीच इस देरी को पूरा कर लिया जाता है क्योंकि वहां कुछ दूर तक दोहरी लाइन है। मद्रास से दिल्ली की यात्रा में गाड़ियां बेजवाड़ा तक तो ठीक समय तक आती हैं लेकिन मध्य रेलवे के भाग में वह लेट हो जाती हैं क्योंकि यहां बड़े इंजीनियरिंग विषयक कार्य हो रहे हैं और क्रासिंगें भी अधिक हैं।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या सरकार ने यह बात देखी है कि गंतव्य स्थान चाहे दिल्ली अथवा मद्रास सेन्ट्रल हो, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस उससे पहले के स्टेशनों पर प्रायः समय से ही पहुंचती है और लेट चलने की बात केवल यात्रा के अंतिम चरण के सम्बन्ध में ही पूरी उतरती है। बीच के स्टेशनों पर वह समय-सारणी के अनुसार ही पहुंचती है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ऐसी बात नहीं है। बेजवाड़ा से मद्रास और मथुरा से दिल्ली के बीच का रास्ता काफ़ी लम्बा है। इसलिये इन दोनों क्षेत्रों में काफी गुंजाइश रहती है और जो भी समय बीच के स्टेशनों पर नष्ट हो गया होता है उसे इस अंतिम चरण में पूरा कर लिया जाता है।

†**श्री नरसिंहन् :** मैंने यह नहीं कहा था कि समय पूरा हो जाता है, मैंने कहा था कि समय नष्ट हो जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि कुछ गाड़ियां बीच के स्टेशनों पर तो ठीक समय से पहुंचती हैं लेकिन जब वे अंतिम स्टेशन के पास पहुंचती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कभी कभी ऐसा भी होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह अक्सर होता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मद्रास स्टेशन पर प्लेटफार्मों की कमी है। जब गाड़ियां मद्रास सेंट्रल स्टेशन पहुंचती हैं तो उन्हें लेने के लिये वहां प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होते।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या मध्य रेलवे से इस विलम्ब से यथासंभव बचने के लिये कहा जायगा। क्योंकि देर के लिये दक्षिण रेलवे की अपेक्षा मध्य रेलवे अधिक उत्तरदायी है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** हमारी कोशिश इसी की है। लेकिन मध्य रेलवे में कई इंजीनियरिंग के निर्माण-कार्य चल रहे हैं। इन निर्माण कार्यों के पूरे होते ही हम इस ट्रेन के लिये शीघ्रता करा देंगे। वास्तव में हमारा इरादा यह है कि १ अप्रैल से ग्रांडट्रंक एक्सप्रेस की गति और भी बढ़ा दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस कुछ बड़े बड़े स्टेशनों पर जहां बीच में पहुंचती है वहां उस के देर से पहुंचने की वजह से कुछ अच्छे और लम्बे दौरान में जो गाड़ियां चलती हैं वे चली जाती हैं। दृष्टान्त के लिए इटारसी जब ग्रांड ट्रंक पहुंचती है उससे और जो बम्बई मेल वहां से जाती है उसमें सिर्फ आध घंटे का फर्क है और इसके लेट पहुंचने से . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य कोई सुझाव दे रहे हैं ?

सेठ गोविन्द दास : मैं यह कह रहा हूं कि जहां यह पहले निकलती थी ५ बजे तो या तो यह जल्दी निकले या उस के टाइम में कुछ फर्क किया जाय, १५, २० मिनिट का फर्क रहने से लोगों को घंटों पड़ा रहना पड़ता है तो क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ सोच रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि अभी जहां गाड़ी पहुंचती थी वहां ठीक समय पर पहुंचे इसके आंकड़े देख रहे थे। अब यह देख रहे हैं कि बीच में जो जंक्शन स्टेशंस् हैं जहां गाड़ियों से उन्हें मेल लेना है वहां पर ठीक समय से पहुंचने के आंकड़े क्या हैं और प्रयत्न यह हो रहा है कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचे जिससे गाड़ियों का कनैक्शन टूटने न पाये।

नयी दिल्ली में आणविक उद्यान

†*७५५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में एक आणविक उद्यान स्थापित होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लाभ क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां। नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में एक कोबाल्ट ६० गामा फील्ड रैडियेशन यूनिट की, जिसे गामा गार्डन भी कहते हैं, स्थापना की जा रही है।

(ख) गामा गार्डन का उपयोग फस्लों के पौधों में नयी परिवर्तनशीलता पैदा करने के लिये किया जा सकता है और इस प्रकार उससे नयी फस्लें तैयार कर फस्लों में सुधार करने में सहायता मिलेगी। कीड़े मकोड़ों और अणु-जीवों में नयी किस्में पैदा करने के लिये भी गामा गार्डन का उपयोग किया जा सकता है। इसकी सहायता से वंध्यकरण द्वारा कीड़े मकोड़ों के नियंत्रण के संबंध में और विकिरण के प्रयोग के द्वारा खाद्य-सामग्री के परिक्षण के संबंध में भी प्रयोग किये जा सकते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वहाँ कौन से पौधे लगाये गये हैं ? इस आणविक उद्यान का संचालन-व्यय कितना कूता गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** प्राक्कलित व्यय, जिसमें १८,००० रुपये प्रतिवर्ष का आवतक व्यय भी शामिल है, २½ लाख रुपये है। यह उद्यान प्रायः पूरा हो चुका है और शीघ्र ही काम करने लगेगा। "गार्डन" शब्द इसका लोकप्रिय वैज्ञानिक नाम है, वहां हम कोई पौधे नहीं लगायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस 'गार्डन' के संचालन के क्या कारण हैं ? क्या इससे प्राप्त लाभ किसानों को बताये जायेंगे ? सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कब तक लाभों को जान सकने की स्थिति में होगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह केवल एक प्रयोग है जो खेती बाड़ी के काम में अणु-शक्ति का इस्तेमाल करने के संबंध में किया जा रहा है। विकिरण से हम खाद्य–सामग्री का परिरक्षण कर सकते हैं। इनमें से कुछेक पौधों पर विकिरण के प्रभाव द्वारा हम फस्ली पौधों में परिवर्तनशीलता लाने में सहायक हो सकते हैं। वंध्यकरण के द्वारा कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण संभव हो जायगा। कृषि के विकास में इस शक्ति का उपयोग करने की बड़ी गुंजाइश है।

†**श्री हेम बरूआ :** क्योंकि आणविक 'गार्डन' में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे इसलिये क्या इसका 'गार्डन' नाम ग़लत नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बदल कर इसका कुछ और नाम रखने वाली है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** गामा किरणों के लिये वैज्ञानिक बोलचाल की भाषा में आमतौर पर यही वैज्ञानिक नाम इस्तेमाल होता है। इसे गामा गार्डन कहते हैं।

सर्वेक्षण विमान के साथ दुर्घटना

+

†*७५७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ जनवरी १९६० को भारत के एयरसर्वे का एक विमान हैदराबाद से नागपुर जाते समय गिर गया था ; और

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की जांच चल रही है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** विमान की पिछली सर्विस कब हुई थी जब उसे ठीक माना गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैंने अभी कहा है कि जांच चल रही है। जांच–रिपोर्ट में ब्यौरे की यह सभी बातें दी जाती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या विमान की उड़ान करने की क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र की अवधि बहुत पहले ही बीत चुकी थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं अभी कह चुका हूं कि ब्यौरे की इन सभी बातों की जांच की जारही है और इन्हें रिपोर्ट में शामिल कर लिया जायगा। मुझे पता नहीं है कि उड़ान करने की क्षमता का प्रमाण पत्र लेने की अवधि बीत चुकी थी और कि वह लिया गया था या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** : यह रिपोर्ट कब आयेगी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं इस में शीघ्रता के लिये कह दुंगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह दुर्घटना २२ जनवरी को हुई थी और अब भी उन के पास यह जानकारी तक नहीं है। उन्हें अनुपूरक प्रश्नों के लिये तैयार रहना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : उड़ान करने की क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र की जानकारी एक मिनिट में की जा सकती थी। यह क्यों नहीं की गयी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह मेरे पास नहीं है। मैं इसे कलकत्ते स, जहा इस विमान का केन्द्र था, यह जानकारी मंगा सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह जानकारी सदा असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय में उपलब्ध रहती है।

झरिया के कोयला क्षेत्रों के लिये जल-संभरण

[†*७६१. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री बि० दासगुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया के कोयला क्षेत्र को दामोदर घाटी से जल-संभरण करने की योजना को अंतिम रूप प्रदान कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब चालू की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह योजना प्रायः पूरा होकर चालू कर दी गयी है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या निचली दामोदर घाटी को सिंचाई के लिये जल-संभरण का पीने क पानी के संभरण पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री करमरकर** : मैं तो ऐसा नहीं समझता। मेरा तो ख्याल यह होना चाहिये कि यदि यह पीने के पानी के संभरण की बात है तब तो यदि इसका प्रभाव भी पड़ता हो तो भी उसे प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन यह मानने के लिये मेरे पास कोई कारण नहीं है कि इसका सिंचाई पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : झरिया को यह पानी क्या केवल उसी समय दिया जायेगा जब दामोदर घाटी के बांधों में पानी की सतह ऊंची होगी या अभी भी दिया जा सकता जब कि निचली घाटियों तक में मुश्किल से ही कुछ पानी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** इस विषय में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है लेकिन क्योंकि यह पीने के पानी के संभरण की योजना है मैं यह समझता हूं कि यह पूरे वर्ष भर किया जायगा ।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** इस योजना को पूरा करने के लिये राज्य सरकार कितना धन देगी और क्या यह पानी रानीगंज और आसनसोल के कोयला क्षेत्रों को भी दिया जायगा ?

†**श्री करमरकर :** प्रश्न के बाद वाले अंश के लिये तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये । जहां तक राज्य द्वारा दिये जाने वाले धन का सम्बन्ध है, मैं बता दूं कि भारत सरकार योजना की लागत के ५० प्रतिशत के बराबर अनुदान देने को राजी हो गयी है । १९५५–५६ में बिहार सरकार को ३६ लाख रुपये की खासी रकम दी जा चुकी है । इसके अलावा राज्य सरकार ने २२.५० लाख रुपयों का ऋण मांगा है । यह रकम भी १९५८–५९ में मंजूर कर दी गयी थी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्योंकि गर्मी का मौसम निकट है और अप्रैल से कोयले वाले क्षेत्रों के साथ-साथ धनबाद और झरिया नगरों में भी पानी प्राप्त करना कठिन हो जाता है इसलिये क्या इस वर्ष गर्मियों के आरम्भ से पहले इसका इन्तजाम पूरा हो जायगा ?

†**श्री करमरकर :** मेरा ख्याल तो ऐसा ही है । माननी यसदस्य का सुझाव कीमती है और मैं इसे भेज दूंगा ताकि योजना को शीघ्र पूरा कराया जाये ।

इमारती लकड़ी तैयार करने का संयंत्र,[1] इम्फाल

†*७६३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में इमारती लकड़ी तैयार करने का प्रस्तावित कारखाना स्थापित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम पर व्यय करने के लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया था तथा कितना व्यय किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) अभी तक नहीं ।

(ख) ९१,८६५ रुपये अनावर्तक व्यय के रूप में तथा २६,००० रुपये आवर्तक व्यय के रूप में स्वीकार किये गये हैं । मशीनरी खरीदने तथा इमारत बनाने पर अब तक लगभग ८३,७०० रुपये व्यय हो गये हैं ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ५ लाख रुपये की सामान्य इमारती लकड़ी ठीक करने तथा उसको भवन बनाने के काम में लाने के लिये प्राप्त कर रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उसने मशीनरी प्राप्त कर ली है । रसायनों के लिये उन्होंने आर्डर दे दिये हैं । उन्होंने इमारती लकड़ी प्राप्त करना भी आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** प्राप्त की गयी इस इमारती लकड़ी को हिफाजत से रखने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Timber Treating Plant.

विश्व कृषि प्रदर्शनी

+

†*७६५. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री पांगरकर :
श्री मधुसूदन राव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री तंगामणि :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सामुदायिक विकास विभागों ने दिल्ली में विश्व कृषि प्रदर्शनी देखने के लिये कृषकों को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से कितने कृषक भेजे गये ;

(ग) कृषकों को क्या सुविधायें दी गईं ; और

(घ) मेला देखने के बाद कृषकों की प्रतिक्रिया हुई ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख) जी हां । प्रत्येक राज्य से कितने-कितने कृषक विश्व कृषि मेला देखने आये इसका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) उन्हें रेल के किराये, परिवहन, ठहरने और खाने पीने आदि की सुविधायें दी गई थीं ।

(घ) उन्होंने प्रदर्शनी में बड़ी रूचि दिखाई और वे वहां प्रदर्शित कृषि के आधुनिक तरीकों तथा कृषि की सफलताओं को देख कर बड़े प्रभावित हुये ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या इस बारे में कोई शिकायतें हुई हैं कि सामुदायिक विकास प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किया गया था ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** हमें ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो भिन्न-भिन्न स्थानों से किसान लोग इसे देखने आये, वहां के बोर्ड, वहां के चार्ट और अधिकांश चीजें अंग्रेजी में होने के कारण, हिन्दी, उर्दू या किसी भी देसी भाषा में न होने के कारण से वह लोग बहुत से समझ नहीं सके और उनको बहुत असन्तुष्ट होकर यहां से लौटना पड़ा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं जान पड़ती ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्यों नहीं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** कृषकों के प्रत्येक दल के साथ खंड विकास अधिकारी सब डिविजनल पदाधिकारी इत्यादि कोई न कोई पदाधिकारी था और विस्तार पदाधिकारी (कृषि) प्रत्येक दल के साथ हमेशा ही रहता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं कि किसी अफसर का उन्हें कुछबताना और उनका खुद पढ़ना उस चीज़ को, इन दोनों में बहुत फर्क है, और क्या इस बात का आयन्दा ध्यान रखा जाएगा, जब कभी इस तरह की चीजें हों, कि उन में जो बोर्ड और चार्ट रखे जायें वे हमारी भाषाओं में हों ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** कृषक प्रदर्शनी देखने आये थे। प्रदर्शनी में केवल हिन्दी ही नहीं होती। सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न भाषायें वहां होती हैं। अतः वहां ऐसे आदमी थे जो किसानों को इनकी भाषा में बताया करते थे।

†**श्री तिरुमल राव :** प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जब कि रेलगाड़ियों के देर से आने के कारण कई सौ कृषकों का एक दल अन्य स्थान पर पड़ा रहा, उससे बाद वाले दल को भी वहीं ले आया गया जहां बिल्कुल स्थान नहीं था और उन लोगों से चले जाने को कहा गया ? क्या ये सारी कठिनाइयां मंत्रालय के समक्ष रखी गई थीं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** जी हां। यह सच है कि कुछ गाड़ियां लगभग २४ घंटे लेट हो गई थीं। किन्तु इसके लिये प्रबन्ध कर दिया गया था कि प्रथम दल के लिये और उससे पीछे-पीछे आने वाले दूसरे दल के लिये समुचित सुविधायें दी जायें।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या यह सच नहीं है कि उन्हें केवल दो दिन तक ही रुकना था तथा उनकी यह शिकायत रही कि वे सभी मंडप नहीं देख पाये ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** प्रत्येक दल तीन या चार दिन तक रुका।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** अमरीकी, चीनी तथा रूसी मंडपों में सब कुछ अंग्रेजी और साथ ही साथ हिन्दी में लिखा हुआ था। भारतीय मंडपों में भी यह प्रथा क्यों नहीं अपनाई गई ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मेले का प्रभार हमारे ऊपर नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी परिस्थितियों में मेले के मैं प्रभारी मंत्री से, जो यहां उपस्थित हों, निवेदन करूंगा कि वे यदि जानते हों तो सभा को इस बारे में बतायें।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा देशमुख) :** मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं। कुछ मंडपों में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया क्योंकि उन्होंने समझा कि यह प्रदर्शनी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। किन्तु बहुत से मंडपों में हिन्दी का भी प्रयोग किया गया था। अतः यह कहना ठीक नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** रूसी, अमरीकी और चीनी मंडपों में सब कुछ अंग्रेजी तथा हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी में लिखा हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यही प्रथा भारतीय मंडपों में भी क्यों नहीं अपनाई गई।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं यह मानता हूं कि बहुत से भारतीय मंडपों में यह गलती हुई। हम स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करते हैं। हमने यथासंभव इसको ठीक करने की कोशिश की।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदर्शनी का सरकार से क्या सम्बन्ध था? सरकार का इससे सम्बन्ध न होते हुए भी सरकार ने इस पर लाखों रुपया किसानों को बाहर से बुलाकर इसे दिखाने में खर्च किया। क्या सरकार इस प्रदर्शनी की जांच पड़ताल में कोई अधिकार रखती है, और अगर नहीं रखती है तो इस तरह का काम क्यों किया गया ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मेरे विचार में प्रश्न उन कृषकों के संबंध में ही है जिन्होंने मेला देखा, इस बारे में नहीं कि यह मेला कैसे हुआ और सरकार का उस मेले के साथ क्या संबंध था।

टैलीफोन एक्सचेंज, बेलगांव

†*७६७. **श्री खाडिलकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८, ९, १० फरवरी, १९६० को बेलगांव के टेलीफोन एक्सचेंज ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेताओं को संयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रतिनिधि संसद् सदस्यों टेसेलीफोन मिलाने के लिये इन्कार कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो किस के आदेश से बेलगांव के टेलीफोन एक्सचेंज ने उस रूप में काम किया जिससे कुछ संसद्-सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त करने से वंचित कर दिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री खाडिलकर** : क्या सरकार ने यह जांच की है कि क्या किसी बहाने से दिल्ली से टेलीफोन मिलाने के लिये मना कर दिया गया ? मैं केवल यही जानना चाहता हूं ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : मुझे जो जानकारी है वह यह है कि बेलगांव से दिल्ली के लिये छः बार टेलीफोन किया गया । एक टेलीफोन श्री एस ० एम जोशी के लिये था । वह ११.१५ बजे मिलाया गया था किन्तु वे दिल्ली में उपस्थित नहीं थे । दूसरा टेलोफोन श्री खाडिलकर के लिये १३.२५ बजे किया गया किन्तु यह बताया गया कि "१५ मिनट तक उनके आने की आशा नहीं है"। टेलीफोन करने वाले की प्रार्थना पर १५.०० बजे टेलीफोन खत्म कर दिया गया ।

†**श्री खाडिलकर** : आप यह स्वीकार करते हैं कि छः बार टेलीफोन किये गये । मैं जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने कमरे में बैठा हुआ था । मेरे पास यहां पर कोई टेलीफान नहीं आया । यही तो प्रश्न है ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : जो जानकारी मैंने दी है वह यह हैं कि जिसको टेलीफोन किया गया था वह नहीं मिल सका अतः लगभग ३ बजे टेलीफोन रद्द कर दिया गया ।

पहिये के पुराने सामान का आयात[1]

†*७६८. **श्री चांडक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से पहियें का पुराना सामान मंगाने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Import of Second Hand Wheel Equipment

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय करने में कितना समय लगेगा;

(घ) जून १९५९ में परिवहन विकास परिषद् को किसने बताया था कि यहां आने पर प्रत्येक सेट का मूल्य २०० रुपये होगा; और

(ङ) २०० रुपये प्रति सेट के हिसाब से मूल्य लगाने का आधार क्या था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।

(घ) और (ङ): संयुक्त राज्य अमेरिका के संभरणकर्ता जितने मूल्य में पहिये का सामान देने को तैयार थे उसके आधार पर ही २०० रुपये प्रति सेट का मूल्य लगाया गया और इसमें वह खर्च भी सम्मिलित है जो भारत में बैलगाड़ियों में उनको लगाते समय उनमें कुछ हेर फेर करने में होगा।

†**श्री चांडक** : क्या योजना आयोग ने १०,००० पुराने पहियों के हिस्से मंगाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : योजना आयोग ने यह सलाह दी है कि आर्डर देने अथवा इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पूर्व हमें इस बात की संभावना की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या वर्तमान बैल-गाड़ियों को ठीक तरह से व शीघ्रता से चलाने के लिये उनमें बाल वियरिंग तथा इसी प्रकार की अन्य प्रकार की व्यवस्था करके काम चलाया जा सकता है और अभी उस पर ही विचार किया जा रहा है ।

†**श्री चांडक** : परिवहन मंत्रणा परिषद द्वारा अप्रैल, १९५१ में मंजूर की गयी ५०,००० रुपये की तथा फरवरी, १९५६ में मंजूर की गई २ लाख रुपये की धनराशि में से बैलगाड़ियों के पहियों में लगाने के लिये इस्पात की चौड़ी पत्तियों को देने के लिये तथा बैलगाड़ियों के सुधार के लिये अग्रीम परियोजनायें चलाने के लिये कितना धन व्यय किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक नहीं बता सकता कि उसमें से कितना व्यय किया गया है किन्तु बास्तव में मंत्रणा समिति ने सिफारिश की कि जहां तक हो सके बैलगाड़ियों के लिये नया तरीका निकाला जाये और उनमें लोहे के टायर लगाये जायें ।

†**श्री चांडक** : क्या परिवहन विकास परिषद द्वारा जून १९५९ में स्वीकार किये गये २० लाख रुपये पहिये का सामान मंगवाने में खर्च किये जायेंगे अथवा यह मंजूरी पहले की तरह कागज पर ही रह जायेगी ।

†**श्री राज बहादुर** : परिवहन विकास परिषद् एक मंत्रणा परिषद् है, वह धन स्वीकार नहीं करती । हमने यह सिफारिश अवश्य की थी कि हमें १०,००० पहिये के पुर्जे खरीदने के लिये स्वीकृति देने की कोशिश करनी चाहिये किन्तु उसमें भी कुछ शर्तें थीं । परिवहन किकास परिष ने यह भी सिफारिश की कि ऐसा करने से पुर्व हमें बैलगाड़ियों के लोहे के टायरों में बाल वियरिंग भी लगा कर देखना चाहिये ताकि यदि संभव हो तो कुछ विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये मैडीकल कालेज

+

†*७६९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरों की कमी दूर करने के लिये १८ नये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : भारत सरकार का नये मेडिकल कालेज खोलने का कोई विचार नहीं है। मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का काम मुख्यतः सरकारों का है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : बनारस के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय में तीन महीने के बाद एक मेडिकल कालेज खोला जा रहा है। क्या सरकार उसके लिये कोई सहायता देने जा रही है ? वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

†**श्री करमरकर** : जी हां। मैंने प्रश्न को समझ लिया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने हमको बताया है कि वे वर्तमान आयुर्वेदिक मेडिकल कालिज को आधुनिक मेडिकल कालेज में बदल रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि यदि उनकी ऐसी इच्छा है तो वे ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : धन संबंधी क्या सहायता देने का विचार है ?

†**श्री करमरकर** : द्वितीय योजना के आरम्भ में हमारे पास ६.५ करोड़ रुपये थे। कुछ मेडिकल कालेज खोलने तथा कुछ अन्य कालेजों को ऊंचा उठाने में मदद करने के लिये हम उस धन को पहले से ही दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि हमने सोचा कि मेडिकल के विद्यार्थियों की आवश्यकता है हमने दूसरी योजनाओं से २ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है ताकि उन मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। यह सब कुछ करने में हमने सारा धन समाप्त कर दिया। अतः हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रति सहानुभूति दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते।

†**श्री तिरुमल राव** : यह देखते हुये कि मेडिकल ग्रेजुएटों की संख्या बहुत अधिक है, क्या सरकार की उदीपी तथा काकिनाडा के मेडिकल कालेजों की भांति गैर–सरकारी मेडिकल कालेजों की भी वित्तीय सहायता करने की कोई नीति है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, ऐसे मेडिकल कालेजों के प्रति सहयोग की भावना प्रदर्शित करने के लिये हम कुछ वित्तीय सहायता दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा उनमें अच्छा काम चल रहा है किन्तु अभाग्य से हमारे पास धन नहीं है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : यह देखते हुये कि द्वितीय योजना की शेष अवधि तथा तृतीय योजना कालेज में जितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी उतने नहीं मिल सकेंगे, यद्यपि यह राज्य का विषय है, फिर भी क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कुछ और कालेज खोलने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये राज्य सरकारों के लिये कुछ और धन की व्यवस्था करने का विचार किया है ताकि तृतीय योजना के आरम्भ होने पर हमें डाक्टरों की कमी न महसूस हो ?

†**श्री करमरकर :** मैं यह समझता हूं कि राज्यों में कुछ और मेडिकल कालेजों की आवश्यकता है किन्तु यह सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि तृतीय योजना में हमको कितना धन मिलेगा। अभी से उसके बारे में बताना कठिन है। यदि धन होगा तो उसका कुछ भाग मेडिकल कालेजों पर व्यय किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। हो सकता है मैं अपनी बात स्पष्ट न कर पाई हूँ। तृतीय योजना के आरम्भ होने पर यदि कुछ धन उपलब्ध किया जाता है तो डाक्टरों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें तैयार करने में कुछ वर्ष लगेंगे। अतः अभी से इस पर जोर देना तथा कुछ और मेडिकल कालेज चालू करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये द्वितीय योजना काल में ही कुछ और धन उपलब्ध करना क्या आवश्यक नहीं है ?

†**श्री करमरकर :** माननीय मित्र यह समझ सकते हैं कि केवल उस को महत्व देने से ही धन नहीं बनता। अतः द्वितीय योजना में हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास धन है ही नहीं, तो हम उसे नहीं दे सकते। तृतीय योजना के बारे में सभा को अभी से कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। उसके लिये कुल कितना धन नियत किया जाता है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है और यदि मेरे माननीय मित्र धन दिलाने में मदद कर सकें, तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ होऊंगा।

श्री पद्म देव : इन १८ कालेजों में से कोई कालेज शिमला में भी खोला जाएगा ?

श्री करमरकर : अगर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी और स्कीम बनायेगी और पैसा जहां से उसे मिलता है वहां से लेने की कोशिश करेगी तो शिमला में भी बन सकता है।

श्रीमती मिनीमाता : इन १८ मैडिकल कालेजों में से महिलाओं के लिए भी क्या कोई कालेज है ?

श्री करमरकर : जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, दूसरों से इस तरह की शिकायत आने लगी हैं और वे कहने लगे हैं—हमारा यह कहना नहीं है और हम कहते भी नहीं हैं —कि महिलाओं को जब शिक्षित कर दिया जाता है तो वे अपने घर चली जाती हैं शादी के बाद और मर्दों को अगर शिक्षित किया जाता है तो वे कोई न कोई काम करते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह की बात में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी राय यह है और हम चाहते हैं कि जितनी तादाद में भी महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, उतना ही अच्छा होगा।

श्रीमती मिनोमाता : मध्य प्रदेश में भी इन १८ कालेजों में से एक आध मेडिकल कालेज खुलेगा?

श्री करमरकर : अगर मध्य प्रदेश की सरकार उसके बारे में सोचेगी और खोलना चाहेगी तो हम उसे मारल स्पोर्ट, नैतिक समर्थन प्रदान करेंगे। अगर हमारे हाथ में पैसा आएगा तो

---

†मूल अंग्रेजी में

हम पैसे से भी सहायता करेंगे जैसे पहले भोपाल में किया था । हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारे पास पैसा आ जाए ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महिलाओं के साथ इतनी हंसी क्यों करते हैं--(**हंसी**) मैं पूछना चाहती हूं कि जब लेडी मैम्बर्स कोई सवाल करें तो उसका सही उत्तर क्यों नहीं दिया जाता है और सही उत्तर दिया जाना चाहिये। हंसी सदन में नहीं होनी चाहिये। मेरा पूछना यह है कि महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। और खोले भी जा रहे हैं या नहीं खोले जा रहे हैं और अगर खोले गए हैं तो किन जगहों पर खोले गए हैं ?

श्री करमरकर : कालेजों का खोलना या बन्द करना स्टेट्स का काम है। अगर वे चाहें तो महिलाओं के लिए खास तौर से कालेज खोल सकती हैं और वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं। पर अभी कालेजों में बहनों के लिये कई सीटें रिज़र्व की जाती हैं और जहां तक मुझे मालूम है मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए काफी सीटें रिज़र्व कर रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को महसूस हुआ। वस्तुतः यह भावना का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्रियों को सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां तक संभव हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे भावनाओं पर ज़ोर न पड़े।

†**श्री करमरकर :** जो कुछ मैंने हिन्दी में कहा है उसको मैं अंग्रेजी में कहूँगा । क्योंकि आप मेरी हिन्दी नहीं समझ सके और यह एक गंभीर मामला है। जो कुछ मैंने कहा था, वह यह था कि मध्य-प्रदेश सरकार महिलाओं के लिये ही केवल एक कालेज खोल सकती है, हम उनके रास्ते में नहीं आते किन्तु जहां तक मुझे मालूम है मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि महिलाओं के लिये काफी सीटें रक्षित रखी जायें। यदि उसमें कोई गलती हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्या ने इसको बुरा माना हो किन्तु पहले जो उत्तर दिया गया था कि डाक्टरों के रूप में शिक्षित होकर महिलायें विवाद कर लेती हैं और फिर चली जाती हैं, उसको बुरा माना था। तथापि, जो कुछ हो गया सो हो गया। अब से माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वे सदस्याओं की भावना पर चोट न पहुंचायें।

†**श्री करमरकर :** यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो जो कुछ मैंने कहा था उसका मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर दूंगा। मैंने यह कहा था कि कहीं-कहीं से यह शिकायतें मिली है कि प्रशिक्षित होने पर महिलायें विवाह कर लेती हैं और वे समाज की सेवा नहीं कर पातीं। मैंने आगे बताया था कि हम इस शिकायत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। यही मैंने कहा था और यदि मैंने कोई गलती की हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** पुरुष भी तो विवाह कर लेते हैं।

†**डा० अचमम्बा :** महिला डाक्टरों को विवाह करने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को।

†**अध्यक्ष महोदय :** व्यर्थ में ही एक विवाद खड़ा किया गया है। माननीय सदस्या, डा० अचम्बा स्वयं ही डाक्टर हैं। वे विवाहित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० अचमम्बा : और मैं डाक्टरी कर भी रही हूँ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ७७०।

†श्रीमती मफीदा अहमद : मुझे खेद है कि मुझे कुछ देर हो गई। मैं निवेदन करती हूं कि अब प्रश्न संख्या ७५९ ले लिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : सब प्रश्नों के बाद मैं उन्हें अवसर दूंगा।

हीराकुद परियोजना

+

†*७७०. { **श्री बैं० च० मलिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हीराकुन्द परियोजना का प्रतिशोधन करने के लिये ९० लाख रुपये के ऋण का उड़ीसा सरकार का निवेदन अब योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: जी नहीं। मामला अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

†**श्री बैं० च० मलिक :** क्या मैं विलम्ब के कारण जान सकता हूं ?

†**श्री हाथी :** योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कुछ जानकारी मांगी है और उसी पर विचार हो रहा है।

†**श्री बैं० च० मलिक :** हीराकुद में चार लाख एकड़ भूमि में से कितने एकड़ में खेती की गई है ?

†**श्री हाथी**: मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं अपितु मेरे पास अक्टूबर, १९५९ तक के आंकड़े हैं जिसके अनुसार २,८५,१७१ एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** योजना आयोग राज्य सरकार से अथवा परियोजना प्राधिकार से किस प्रकार की जानकारी चाहता है जिसके कारण इतना विलम्ब हुआ है ?

†**श्री हाथी :** योजना आयोग ने बड़ी उपयुक्त जानकारी मांगी है। खेतों की नालियां खोदने के लिये ९० लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था। परियोजना प्राधिकार ने यह खर्च किया है और राज्य सरकार को परियोजना व्यय का प्रतिशोधन करना था। योजना आयोग ने राज्य सरकार से इस बात का पता लगाने के लिये कहा है कि जितना काम हुआ है उस पर वास्तव में कितना खर्च हुआ है, अभी कितनी राशि खर्च करने के लिये बची है, शेष राशि का किस प्रकार और किस निधि से खर्च करने का विचार है और यह काम कब तक पूरा होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि चार लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता में से केवल २.८५ लाख एकड़ का उपयोग किया गया है और खेतों में नालियों की कमी के

---

†मूल अंग्रेजी में

कारण सिंचाई की सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है ? योजना आयोग इस राशि को मंजूर करने में विलम्ब क्यों कर रहा है ?

†श्री हाथी : इस विलम्ब का खेतों की नालियों को खोदने में विलम्ब से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये नालियां वास्तव में परियोजना प्राधिकार द्वारा खोदी जा रही हैं। यह काम हो चुका है। बात यह है कि यह परियोजना प्राक्कलन का अंग नहीं है और यह राशि बाद को राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों से वसूल की जायगी जिनको इससे लाभ होगा। राज्य को इसका प्रतिशोधन परियोजना प्राधिकार को करना होगा। यह काम हो चुका है और राशि व्यय की जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना प्राधिकार को दिये गये ऋण में से यह राशि खर्च की जाती है। अत: काम रोका नहीं गया है अथवा इसके कारण काम बिल्कुल ही रुकने नहीं पाया है। यह लेखा सभायोजन का प्रश्न है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन समय-सारणी

†*७७१. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपनी १९५९–६० की शीत-कालीन समय-सारणी पर अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह तारीख कौन सी थी जिसको सामान्य रूप से इस बारे में अन्तिम निर्णय हो जाना था तथा अन्तिम रूप से किस तारीख को निर्णय हुआ तथा इस विलम्ब के कारण क्या है; और

(ग) यात्रा प्रबन्धकों और जनता के लिये उपर्युक्त शीतकालीन समय-सारणी किस तारीख से लागू की जायेगी ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) शीतकालीन समय-सारणी जो सामान्य रूप से १ नवम्बर, १९५९ से लागू हो जानी चाहिये थी, १ दिसम्दर, १९५९ से इस कारण लागू की जा सकी कि ब्रिटेन में एक वाइकाउण्ट विमान मरम्मत के लिये रोक लिया गया था।

(ग) शीतकालीन समय-सारणी, सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये १७ नवम्बर, १९५९ से लागू की गई थी।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच है कि यह शीतकालीन समय-सारणी जनता के लिये १ नवम्बर से लागू हो गई थी और २ नवम्बर से वह पुन: वापस ले ली गई थी क्योंकि कार-पोरेशन ने कहा था कि उसे इस पर पुन: विचार करना है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे तारीख तो ठीक-ठीक याद नहीं है किन्तु मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि १९५९ में शीतकालीन समय-सारणी लागू करके के बारे में कुछ भ्रान्ति थीं।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या भिन्न भिन्न यात्रा प्रबन्धकों और पर्यटन निदेशालय के पास से इस तालिका को आरम्भ करने के २४ घंटे बाद ही रोक देने के बारे में मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैंने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को सूचित किया है कि भविष्य में इस प्रकार की भ्रांति का कोई कारण नहीं होना चाहिये और उन्होंने कहा है कि वे इस प्रकार भविष्य में भ्रांति न पैदा होने देने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** मैं यह जानना चाहता था कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है और क्या उसने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इस बारे में निदेश दिया था कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें नहीं। माननीय मंत्री ने केवल यह कहा है कि वे इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की भ्रान्ति न होने पाये । इस बारे में क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार के प्रश्न को समझ नहीं सका । माननीय मंत्री ने कहा है कि उनकी उनसे बातें हुई थीं और उनका कहना है कि वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की भ्रांति नहीं होगी । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसे लिखित निदेश के रूप में भेजा जाये । माननीय मंत्री ने जो कुछ किया है वह उसी के बराबर है ।

मिराज-कुर्डूवाडी लटूर रेल सम्पर्क

+

†*७७२. { **श्री द० अ० कट्टी :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सोनावने :

क्या **रेलवे** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज-कुर्डूवाजीलटूर तंग लाइन को बदलने के बारे में कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब से प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई है ; **और**

(ग) किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ था किन्तु यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की अभी रेलवे से प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन भी प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच की जायेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री द० अ० कट्टी :** क्या इस रेलवे लाइन को अथनी होकर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके दो विकल्प हैं । इस पर भी विचार किया गया है किन्तु रेलवे इसकी सिफारिश नहीं कर रही है ।

---

†**मल अंग्रेज़ी में**

†**श्री हेडा :** लटूर इस रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण नगर है जो कि तंग लाइन पर है जब कि लटूर रोड जो कि वहां से लगभग १४ मील दूर है वह छोटी लाइन पर है। क्या लटूर और लटूर रोड इन दोनों स्थानों को मिलाने का कोई विचार है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** लटूर होकर पुरली बैजनाथ को मिलाने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है ।

†**श्री सुगन्धि:** अथनी तथा अन्य वाणिज्यिक केन्द्रों को मिलाने के बारे में रेलवे द्वारा वर्तमान निर्णय न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस का कारण यह है कि इस पर यातायात इतना नहीं होता कि इस पर अतिरिक्त काम किया जाये ।

हावड़ा गुड्स एकाउंट्स आफिस में भ्रष्टाचार

+

†*७७३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हावड़ा गुड्स एकाउंट्स आफिस में भ्रष्टाचार के आरोप में अन्तर्गस्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या तव से कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) शेष बचे १८ मामलों में कार्रवाई अभी भी की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** ११ दिसम्बर को पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा था कि जिन ७६ मामलों की जांच की गई थी उनमें से ५८ मामलों पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है, दो मामलों पर अन्तिम निर्णय हो रहा है और शेष १६ मामले रह गए हैं। किन्तु आज उनका कहना है कि १८ मामले शेष रह गए हैं जिन पर निर्णय होना बाकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों की संख्या १८ है अथवा १६ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उनकी संख्या १६ है। आशा यह है कि अगले छः महीने में ये १६ मामलें भी निबट जायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इन मामलों में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कहा है कि आगामी छः महीने में उन पर भी अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की गई है । वे कर्मचारी कौन–कौन हैं ? उनमें से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या इनमें प्रथम श्रेणी का कोई कर्मचारी भी अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरे पास इस बारे में विस्तृत जानकारी यहां मौजूद नहीं है । मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इन पदाधिकारियों पर चाहे वे प्रथम श्रेणी के हों, चाहे द्वितीय श्रेणी के, चाहे तृतीय श्रेणी के और चाहे चतुर्थ श्रेणी के हों, भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगाए गए थे और क्या वे आरोप गंभीर थे ? यदि ऐसा है, तो उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरे पास भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लोगों के बारे में अलग–अलग जानकारी नहीं है । उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए थे जैसे उतराई के नियमों का पालन न करना तथा अन्य इसी प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी कार्य करना ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस भ्रष्टाचार के मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कुल मिलाकर यह राशि १५,००० रुपये से कुछ अधिक है ।

भारतीय नौवहन कम्पनियां

†*७७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन कम्पनियां भारत–ब्रिटेन / महाद्वीपीय सम्मेलनों का बहुत वर्षों से सदस्य है किन्तु उन्हें कोलम्बो अथवा लंका के किसी अन्य भाग से माल ढोने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) संबंधित सम्मेलनों ने यह कारण बताया है कि जितनी कम्पनियां इस समय माल ढोती हैं, व्यापार के लिये वे पर्याप्त हैं ।

(ग) संबंधित भारतीय नौवहन कम्पनियां अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सम्मेलनों से पत्र-व्यवहार कर रही हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इंडिया भी कामेनवेल्थ का एक मेम्बर है और जो कि यू० के० शिपिंग लाइन है वह भी कामेनवेल्थ का एक सदस्य है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हिन्दुस्तानी शिपिंग कम्पनियों को जो कि इस लाइन के सदस्य हैं, यहां का कार्गो उठाने के वास्ते क्यों बाधा उपस्थित की ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को विदित होगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि स्वचालित हैं और उनको पूरा अधिकार है। उनके कार्य संचालन में गवर्नमेंटों का या शासनों का हस्तक्षेप नहीं है ?

श्री रघुनाथ सिंह : इन कम्पनियों के पक्षपातपूर्ण कार्य के वास्ते क्या भारतीय कम्पनियों की जो शिपिंग लाइन है वह भी इसी प्रकार का कोई एक कदम उठायेंगी ताकि उनको एक सबक मिले ?

श्री राज बहादुर : जी हां अभी हाल में जो कोलम्बो पर पाबन्दी थी, कोलम्बो के अतिरिक्त उन्होंने सीलोन के सारे बन्दरगाहों पर भी पाबन्दी लगाई और हमारी जो शिपिंग कम्पनियां हैं उन्होंने उस पाबन्दी को स्वीकार करने से इंकार कर दिया बल्कि घोषणा कर दी कि वह कोलम्बो पर और दूसरे अन्य बन्दरगाहों पर जायेंगी। सिर्फ इतनी पाबन्दी रक्खेंगीं कि जो अब तक किराये की दर भाड़े की दर चार्ज की जाती है, वह चार्ज करेंगे और कोई खास ऐक्शन उस पर नहीं लेती हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कदम उठाया है और हम इसका स्वागत करते हैं।

†**श्री आचार :** यद्यपि इसके लिये कोई विधिक क्ति नहीं है फिर भी क्या भारत सरकार और लंका की सरकार के लिये क्या यह संभव नहीं कि वे सम्मेलन से इस बारे में कुछ करने के लिये कहें ?

†**श्री राज बहापुर :** यह न तो भारत सरकार के वश की बात है और न ही लंका की सरकार के वश की। यह ऐसा मामला है जिसका संबंध अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी निकाय से है जो अपने कार्य करने में स्वायत्तशासी ही और जहां नीति और कार्यक्रमों अथवा नियमों और विनियमों का संबंध है, पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हो। भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिये केवल एक यह उपाय रह जाता है कि वह इस बारे में पत्र-व्यवहार करें और यदि पत्र-व्यवहार से कुछ लाभ न निकले तो वह नियमों का उल्लंघन करके संबंधित सदस्य कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करें।

डी० डी० टी०

†*७७५. **श्री ले० अचौं सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अमरीकी टेक्निकल सहयोग मिशन से इस वर्ष छिड़कने के लिये १७,००० टन से अधिक डी० डी० टी० खरीदने के लिये ५·६ करोड़ रुपये का अनुदान मिला है; और

(ख) यदि हां, तो डी० डी० टी० की इतनी मात्रा कहां से प्राप्त की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) अमरीकी टेक्निकल सहयोग मिशन ने अमरीका के अपने संगठन के द्वारा १,१८,५३,००० डालर, जो कि ५.६४ करोड़ रुपये के बराबर होते हैं, १९६०–६१ में १७५६० टन डी० डी० टी० प्राप्त करने के लिये देना मंजूर किया है। यह डी० डी० टी० छिड़कने के काम में लाई जायेगी।

(ख) डी० डी० टी० अमरीका से प्राप्त की जायेगी।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या भारत में निकट भविष्य में अपनी आवश्यकता भर डी० डी० टी० बनाने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : जी हां। डी० डी० टी० दो कारखानों में बनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि कुछ समय में हम देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये कार्रवाई कर सकेंगे। किन्तु इस समय हमें इसका आयात करना पड़ेगा विशेषकर सहायता और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वे यह चाहते हैं कि इसका आयात किया जाना चाहिये।

†श्री साधन गुप्त : अपने कारखानों में हम कितनी डी०डी० टी० बनाते हैं और हमारी आवश्यकता से वह कितनी कम होती है ?

†श्री करमरकर : देश में कितनी मात्रा में डी० डी० टी० तैयार की जाती है इसकी ठीक-ठीक मात्रा बताने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। हमारी वर्तमान आवश्यकता, जैसा कि आंकड़ों से पता लगता है, इतनी है जितनी कि हम उस सहायता राशि से प्राप्त कर सकेंगे जो वे हमें देंगे और जितनी कमी पड़ेगी, वह होगी। हम कमी को पूरा करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

†श्री त्यागी : चूंकि विदेशों से हर चीज मांग कर प्राप्त करना कोई गर्व की बात नहीं है, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री का क्या विचार है कि देश प्रारम्भिक आवश्यकता की पूर्ति कब तक कर सकेगा और आत्म-निर्भर हो सकेगा ?

†श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि कुछ क्षण पहले ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना मांगी थी।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या टेक्निकल सहयोग मिशन ने जिस समय अनुदान दिया था तो क्या एक शर्त यह भी रखी गई थी कि इसकी खरीद अमरीका से की जानी चाहिये ?

†श्री करमरकर : यह शर्त है। हम डी० डी० टी० और सहायता दोनों ही चाहते थे। मैं अपने माननीय मित्र श्री त्यागी की इस बात से सहमत नहीं हूं, कि हम सहायता की भिक्षा मांग रहे हैं। हम कभी किसी चीज़ की भिक्षा नहीं मांगते और प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमको सहायता अपनी शर्तों पर मिलती है किसी दूसरे की शर्तों पर नहीं।

†श्री त्यागी : क्या यह राशि ऋण के रूप में होगी जिसका हमें भुगतान करना पड़ेगा अथवा एक अमीर देश भारत जैसे एक गरीब देश को अनुदान दे रहा है ? क्या सरकार ने इस योजना में अथवा आगामी योजना काल में डी० डी० टी० तैयार करने के लिये देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये कोई उपबन्ध किया है ?

†श्री करमरकर : जहां तक बाद के हिस्से का संबंध है, मैं बता चुका हूं कि मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। सामग्री प्राप्त हो जाने के पश्चात् मैं पर्याप्त उत्तर दे सकूंगा। मैं जल्दबाजी में कोई उत्तर नहीं देना चाहता।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं कि अमरीका अमीर देश है और हमारा देश गरीब है। जहां तक सहायता का प्रश्न है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र यह महसूस करेंगे कि यह मलेरिया से लड़ने का प्रश्न और कुछ ही वर्षों में वह यह देखेंगे कि मलेरिया पर पूरा काबू पा लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि जो विदेशी सहायता हमें दी जाती है वह उपयुक्त है। हम उसे भिक्षा नहीं समझते हैं।

†श्री त्यागी : क्या सरकार का विचार अमरीका की कुछ आवश्यकताओं के लिये उसे कुछ अनुदान देने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। हम आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से कुछ लेते हैं तो देते भी हैं। यह जो आरोप और आक्षेप लगाए जाते हैं वे ठीक नहीं हैं। अगला प्रश्न।

झांसी में रेल दुर्घटना

+

†*७७८. **श्री सैं० अ० मेहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार अ० सिं० सहगल :
श्री प्र० गं० देश :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि २१ फरवरी, १९६० को झांसी रेलवे स्टेशन पर बम्बई जाने वाली ६ अप दिल्ली मेल के ब्रेक के पिछले डिब्बे से दिल्ली-जबलपुर वाले डिब्बे के टकरा जाने से दो यात्री घायल हो गये थे ;

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां, दो व्यक्तियों के गंभीर चोटें आई थीं।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है।

(ग) जांच समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लेने के बाद रेलवे प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा।

†**श्री सैं० अ० मेंहदी :** इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दुर्घटना से कुछ भी हानि नहीं हुई है।

दिल्ली के लिये 'कुष्ठ गृह'[1]

+

†*७८०. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया 'कुष्ठ गृह' खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या कुष्ठ गवेषणा संस्था भी स्थापित करने की कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Leprosy Home

(घ) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई योजना बना ली गई है और वह योजना क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). दिल्ली में नया 'कुष्ठ गृह' खोलने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है । दिल्ली नगर निगम का विचार शाहदरा (दिल्ली) के निकट ताहिरपुर ग्राम स्थित 'कुष्ठ गृह' को एक निरोध शिविर (डिटेन्शन कैम्प) में बदल देने का है । अनुमान है कि इस प्रस्ताव पर १८ लाख रुपया खर्च होगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह योजना कब तक फलीभूत होगी ?

†**श्री करमरकर** : मैं एक दम यही कह सकता हूं कि योजना इसी वर्ष से आरम्भ होगी । सम्पूर्ण योजना को पूरे होने में कितना समय लगेगा, इसका उत्तर देने के लिये मेरे पास इस समय सामग्री नहीं है । मैं पता लगाऊंगा ।

नाहरकटिया की बिजली

+

†*७८१. **श्री प्र० के० देव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहरकटिया के तेल के कुओं की प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने की परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की विशेषतायें क्या हैं, और

(ग) यह कब से कार्यान्वित होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) नाहरकटिया के तेल के कुओं की प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला एक तापीय बिजली घर बनाने की योजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को दिया गया था । उन्होंने हाल में ही रिपोर्ट समाप्त की है और उसे आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड को भेज दिया है । राज्य सरकार से रिपोर्ट आने पर योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति विचार करेगी ।

(ख) परियोजना पर ६ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है और प्रत्येक १६,८०० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले तीन जेनरेटर लगाये जायेंगे ।

(ग) बिजली घर १९६३ में किसी समय चालू होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से विदित होता है कि परियोजना पर संभवतः ६ करोड़ रु० व्यय होंगे । क्या इस राशि की व्यवस्था आसाम राज्य विद्युत् बोर्ड करेगा या केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : वित्तीय सहायता का प्रश्न बाद में निश्चित होगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने का व्यय तापीय जल से विद्युत् बनाने के व्यय की अपेक्षा कम है या अधिक ?

†**श्री हाथी** : यह प्रति हजार घन फीट गैस के मूल्य पर निर्भर है । यदि एक हजार घन फीट गैस का मूल्य ३० नया पैसा हो तो एक किलोवाट घन्टे का मूल्य ४ नया पैसा होगा । यह अपेक्षाकृत कम है ।

†**श्री हेम बरुआ** : नाहरकटिया के तेल के कुओं से निकलने वाली गैस का आजकल क्या होता है ? क्या यह जलाई जाती है ? यदि हां, तो कितनी प्राकृति, गैस जलाई गयी है ?

†**श्री हाथी** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

दक्षिणी बिहार में चीनी का मूल्य निर्धारण

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८.** { **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री राधा रमण** : **श्री अ० मु० तारिक** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार में चीनी कारखानों में बनने वाली चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार ने किस आधार पर एक श्रेणी के कारखानों में बनने वाली चीनी के मूल्य निर्धारण करने और दूसरी श्रेणी के कारखानों में बनने वाली चीनी का मूल्य निर्धारण न करने का निश्चय किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उत्तर बिहार में लगभग २,७८,००० टन उत्पादन होता है और दक्षिण बिहार में केवल लगभग ३३,००० टन । जुलाई १९५६ में कारखाना-बाह्य मूल्य निर्धारित करते समय हमारा विचार था कि दक्षिण बिहार में मूल्य में उत्तर बिहार चीनी के आयात मूल्य से समायोजित हो जायगा । इतना ही नहीं अपितु उस समय दक्षिण बिहार में चीनी का मूल्य उत्तर बिहार के लिए निर्धारित मूल्य के समान ही था । यदि दक्षिण बिहार के लिए हमें मूल्य निर्धारित करना पड़ता

---

†मूल अंग्रेजी में

तो वे उत्तर बिहार के मूल्य से कुछ अधिक होता। सन्तुलित विचार करने पर उस समय हमने दक्षिण बिहार में मूल्य निर्धारित करना आवश्यक न समझा। अब इस प्रश्न का पुनरीक्षण हो गया है और केबिनट शीघ्र ही कोई निश्चय करेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : दक्षिण बिहार में मूल्य नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने किन बातों पर आग्रह किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : दक्षिण बिहार में प्रचलित मूल्यों का इन परिस्थितियों में उचित समान मूल्यों से अधिक होने के कारण बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार में भी कारखाना-बाह्य मूल्य निर्धारित करने का हम से आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित मूल्य चीनी की आगत लागत की दृष्टि से उचित मूल्यों से अधिक है। परन्तु अब राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और दक्षिण बिहार के कारखानों के प्रतिनिधियों की बैठक में समझौता हो गया है कि मूल्य ४०/८ रु० निर्धारित किया जाये। यह मूल्य भी कुछ अधिक प्रतीत होता है। अतः केबिनेट कारखाना-बाह्य मूल्य संबंधी निश्चय करेगी ।

†**श्री राधा रमण:** क्या सरकार देश भर के चीनी के उत्पादन को संचय करने और फिर समूचे देश में चीनी का मूल्य नियमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है या कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: यह कठिन प्रस्ताव है। यदि ऐसा करना आवश्यक होगा तो हम ऐसा करेंगे। अन्य ऐसा करना उचित नहीं है ?

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या यह सच है कि दक्षिण बिहार और दक्षिण भारत में उत्पादित चीनी का मूल्य नियन्त्रित नहीं होता जबकि उत्तर भारत में उत्पादित चीनी का मूल्य नियन्त्रित होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसे होने के अनेक कारण हैं। हमारा विचार है कि हमारे पास वास्तव में पर्याप्त चीनी हो—ऐसा ही करने का हमारा विचार है—तो नियन्त्रण की आवश्यकता ही न होगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच है कि उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में उत्पादित चीनी पर नियन्त्रण होने के समय से दक्षिण बिहार तथा दक्षिण भारत के कारखाने उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कारखानों की अपेक्षा अधिक लाभ उठा रहे हैं ? यदि, हां, तो दक्षिण बिहार में मूल्य निर्धारित करने के लिए बिहार सरकार की सिफारिश होने पर भी सरकार क्यों विलम्ब कर रही है ? क्या सरकार दक्षिण भारत में भी मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न करेगी?

†**श्री अ० म० थामस** : दक्षिण बिहार के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूँ। दक्षिण भारत के संबंध में सर्व विदित है कि वहां चीनी का मूल्य उत्तर प्रदेश की चीनी की आयत लागत पर निर्भर होता है और यह उत्तर भारत में प्रचलित मूल्य से कुछ अधिक होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि केबिनेट को निश्चय करना है। क्या केबिनेट केवल इसी प्रश्न पर विचार करेगी या सारे कारखानों में उत्पादित चीनी पर विचार करेगी ? मालिकों को कितना लाभ छोड़ा जायेगा ? मूल्य निर्धारण का आधार क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** दक्षिण बिहार के कारखानों की कठिनाई यह है कि वे बहुत थोड़े समय तक चलते हैं और चीनी–प्राप्ति भी कम होती है। स्वाभाविक है कि लागत कुछ अधिक हो। उसे स्वीकार करने का यही कारण था। मूल्यों को समान करने के लिए कुछ प्रबन्ध भी किया जा रहा था। मूल्य ४० रु० ५० नये पैसे हो गये हैं। फिर भी थोड़ी गुंजाइश है। अतः हम यदि संभव हो तो उसे भी उस मूल्य पर नियन्त्रित करने का विचार कर रहे हैं। ताकि ये कठिनाइयां उत्पन्न न हों।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** देश भर में समान मूल्य करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? चीनी कुछ स्थानों पर १ रु० ६ आने और अन्य स्थानों पर १ रु० ८ आने बिक रही है?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे वरिष्ठ साथी ने पहिले ही उत्तर में बताया है कि देश भर में समान मूल्य निर्धारित करना चीनी उत्पादन के हित में नहीं है। मैंने भी बताया है कि दक्षिण भारत में चीनी का मूल्य उत्तर प्रदेश की चीनी की आगत लागत पर निर्भर होता है। वास्तव में इस प्रश्न पर पर्याप्त विचार किया गया था और हमारा विचार था कि चीनी के अधिक उत्पादन तथा दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास की संभावना होने की दृष्टि से यह उत्तम होगा कि कारखाना–ग्राह्य मूल्य निर्धारित न किया जाये (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि मामला विचाराधीन है। इस का निश्चय करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री स० का० पाटिल :** यदि यह तत्काल निश्चित न भी हो तो भी कोई हानि नहीं होती क्योंकि अन्तर थोड़ा है। यह हो जायेगा; निश्चय ही विलम्ब होने में कोई राष्ट्रीय हानि नहीं है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या यह सच है कि दक्षिण में चीनी का सस्ता उत्पादन संभव है? क्या सरकार इसे प्रोत्साहित करने की कार्यवाही कर रही है?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह अन्तर थोड़ा नहीं अपितु काफी है। इसी कारण हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहां चीनी के अधिक कारखाने खोलने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उर्वरकों का मूल्य

†*७४७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उर्वरक संचय से कृषकों को दिये जाने वाले उर्वरकों का मूल्य कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). १९६०–६१ में उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि निश्चित मूल्य क्या होगा।

पोलैंड से जहाज

†*७५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोलैण्ड की सरकार के साथ अस्थगित आदायगी सुविधाओं की व्यवस्था से अहस्तान्तरणीय रुपया अदायगी आधार पर समुद्री जहाज, टेंकर और मछली पकड़ने की किश्तियां प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : आगे कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि पोलैण्ड के प्रस्ताव में किसी भारतीय नौवहन समवाय ने अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की है।

गुडिवाडा-भीमवरम् रेलवे लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

†*७५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री मं० वें० कृष्ण राव :

क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडिवाडा–भीमवरम् रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक क्या प्रगति हुई; और

(ख) दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक कितना धन व्यय हुआ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक प्रगति ५ प्रतिशत हुई।

(ख) ४.९० लाख रु०।

बरौनी में क्रीम बनाने का कारखाना

†७५६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी रेलवे स्टेशन (बिहार) के पास एक क्रीम बनाने का एक ग्रामीण कारखाना खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितना मक्खन बनेगा;

(ग) इस कारखाने से कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) बरौनी निवासियों को कितना लाभ होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ७.६ लाख रु० के अनुमानित पूंजी व्यय में केन्द्र ने ४.२ लाख रु० अनुदान और ३.२ लाख रु० ऋण दिये हैं।

(ख) लगभग ४,००० पाउंड क्रीम प्रतिदिन बनेगी और उससे नमकीन मक्खन और घी बनाया जायेगा।

(ग) मुंघेर जिले के बेगूसराय तथा खगरिया इलाकों के १०१ गावों से प्राप्त होगा। निर्मित उत्पाद समूचे देश में और विशेषकर पूर्वी प्रदेश में बेचे जायेंगे।

(घ) सम्बद्ध बस्तियों के निवासियों के अतिरेक दूध की तत्काल मांग रहेगी और उन्हें उसका उत्तम मूल्य मिलेगा। जिन व्यक्तियों को दूध की आवश्यकता होगी उन दूध लेने वालों को विश्वसनीय दूध मिलेगा।

विश्व कृषि प्रदर्शनी

†*७५८. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री भंज देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रदर्शनी दिखाने के लिए जिन कृषकों को आमंत्रित किया था उनके अतिरिक्त क्या भारत कृषक समाज ने भी प्रगतिशील कृषकों को बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो कितने कृषक बुलाये गये; और

(ग) उन पर कितना व्यय किया गया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विश्व कृषि प्रदर्शनी के सचिव ने निम्न जानकारी दी है :—

(क) और (ग). भारत कृषक समाज ने विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाओं से प्रार्थना की थी कि प्रदर्शनी देखने के लिए अधिक संख्या में कृषकों को देहली आने का प्रोत्साहन दिया जाये। अनुमान है कि ४, ५ लाख कृषकों ने मेला देखा। भारत के छटे राष्ट्रीय कृषक समारोह के समय जो १० से १४ फरवरी, १९६० तक तालकटोरा गार्डन में हुआ था, दस हज़ार से अधिक कृषक देश के प्रत्येक भाग से नई दिल्ली आये।

(ग) भारत कृषक समाज आने वाले कृषकों को यात्रा-व्यय नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में बाढ़

†*७५९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुनः स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार की प्रार्थना पर कितनी सहायता दी है; और

(ख) यदि अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है तो बिलम्ब का क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) आसाम सरकार का अनुमान है कि १९५९ की बाढ़ से जिन बाढ़-सुरक्षा के कार्यों की क्षति पहुंची है उनकी मरम्मत पर लगभग २३ लाख रु० व्यय होंगे । सामान्य बात यह है कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मरम्मत और उन्हें ठीक रखने का व्यय राज्य सरकारें अपने संसाधनों से पूरा करती हैं और इस कार्य के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता नहीं दी जाती । फिर भी, १९५९ में आसाम की विनाशकारी बाढ़ की दृष्टि से, जिससे बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को काफी नुकसान पहुंचा, भारत सरकार ने अपवाद स्वरूप निश्चय किया था कि १९५९ की बाढ़ से जिन बाढ़ नियंत्रण कार्यों को क्षति पहुंची है उनकी मरम्मत का व्यय राज्य सरकार निम्न शर्तों पर बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता से पूरा कर सकती है :—

(१) सामान्य देख रेख तथा मरम्मत का व्यय राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करती है । १९५९ की विनाशकारी बाढ़ से बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को जो नुकसान पहुंचा है केवल उनकी मरम्मत का व्यय बाढ़ नियन्त्रण प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता से पूरा किया जा सकता है । समस्त प्राक्कलन जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेजने थे ।

(२) व्यय उस केन्द्रीय ऋण सहायता से पूरा करना था जो राज्य सरकार को बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिये दी गई थी ।

(ख) अक्टूबर, १९५९ में राज्य सरकार को प्राधिकृत कर दिया गया था कि वह क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मरम्मत कर सकती है और केन्द्रीय ऋण सहायता से व्यय पूरा कर सकती है । अतः अनुमति देने में कोई बिलम्ब नहीं हुआ ।

शरवती परियोजना

†*७६०. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने शरवती जल विद्युत् परियोजना में चार और विद्युत् जनक लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या इस परियोजना के लिए ऋण आधार पर अमरीकी सहायता प्राप्त किया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मैसूर राज्य सरकार ने शरवती परियोजना के द्वितीय प्रक्रम में पांच और विद्युत्-जनक लगाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) यह परियोजना अमरीका से विकास ऋण निधि की सहायता के लिये रखी गई है ।

कोसी बान्ध

†*७६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरन्तर पानी रिसने के कारण कोसी बान्ध की नीव रखने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने की क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में डिपथीरिया रोग

†*७६४. **डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीस वर्षों में प्रति वर्ष दिल्ली में कितने व्यक्तियों को डिपथीरिया हुआ और कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) इस काल में प्रति वर्ष डिपथीरिया की रोक थाम पर तथा रोगियों की चिकित्सा पर क्या व्यय हुआ ; और

(ग) डिपथीरिया प्रतिरक्षण के थोड़े व्यय तथा उत्तम परिणाम की दृष्टि से क्या सारे बच्चों को डिपथीरिया से प्रतिरक्षित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) नहीं ।

सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना, पेरम्बूर

†*७६६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैरम्बर स्थित डिब्बा बनाने के कारखाने में प्रोत्साहनात्मक बोनस योजना लागू हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये कितने विभागों पर लागू होती है ;

(ग) यह कितने मजदूरों पर लागू होती है ; और

(घ) क्या योजना का फल उत्तम रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, २–१–१९६० से लागू की गई है ।

(ख) योजना मशीन उप-कारखाने के टरेट और केप्स्टन विभाग में लागू कर दी गई है परन्तु धीरे धीरे कारखाने के सारे उत्पादन उप-कारखानों में लागू की जायेगी ?

(ग) अब तक यह ५१ मजदूरों पर लागू हुई है ; और

(घ) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

नॉटघाट (उत्तर प्रदेश) में बेतवा नदी पर पुल

†*७७६. **डा० सुशीला नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में नॉटघाट में बेतवा नदी पर पुल बनाने का निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने क्या सहायता दी है ; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) आठ लाख रुपये ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर रही है । भारत सरकार द्वारा प्राक्कलन अनुमोदित होने पर कार्य आरम्भ होगा । आशा है कि परियोजना आरम्भ होने पर तीन वर्ष में पूर्ण होगी ।

बिना टिकट यात्रा

†*७७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ फरवरी, १९६० को सिजुआ के पास कुछ सिपाहियों सहित अनेक व्यक्तियों को उस समय चोट लगी जब कि विद्यार्थियों के एक दल ने पूर्व रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों को छड़ाने के लिए एक बस पर आक्रमण किया और पत्थर फेंके; और

(ख) यदि हा, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान । विद्यार्थियों के पत्थर फेंकने से केवल दो सिपाहियों को चोट आई ।

(ख) १९–२–६० को धनबाद के विशेष रेलवे दण्डाधिकारी ने पूर्व रेलवे की चन्द्रपुरा धनबाद लाइन पर अंगरपतरा हाल्ट पर संख्या २ डी सी रेलगाड़ी के यात्रियों की अचानक टिकट परीक्षा की । परीक्षा में लगभग १२ विद्यार्थी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और किराया व दण्ड देने से मना करने पर उनसे अपेक्षित रेलवे किराया आदि प्राप्त करने के लिए उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न विद्यार्थियों को आंगरपतरा हाल्ट से बस में धनबाद ले जाते समय गांधी स्मारक विद्यालय, रिनजुआ, डाकखाना धनबाद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या ने उन्हें रोक लिया और बसों पर पत्थर फेंके गये। बसों के कुछ शीशे टूट गये और दो पुलिस सिपाहियों को चोट आई। रेलवे दण्ड अधिकारी ने बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना किया बाद में रेलवे देय प्राप्त करके छोड़ दिया।

छोटी जल चक्कियां (टर्बाइन्स)

†७७९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोड़ी मात्रा में विद्युत पैदा करने के लिये छोटी जल चक्कियों (टर्बाइन्स) के डिजाइनों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** डिजाइनों की जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में डाक व तार परामर्शदात्री समितियां

†९३५. **श्री गोरे :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य डाक व तार परामर्शदात्री समितियों में से किसी भी समिति में कोई गैर कांग्रेसी नहीं है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) हां।

(ख) इन समितियों में संसत्सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् कार्य मंत्री के परामर्श से होता है। विधान सभाओं के सदस्यों का नाम निर्देशन राज्य सरकार की सिफारिशों पर होता है।

सदस्य समय समय पर कार्यावधि समाप्त होने पर बदले जाते हैं।

कुष्ठ नियंत्रण योजना

†९३६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में पंजाब सरकार को कुष्ठ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत कुल कितना आवंटन किया गया एवं पंजाब सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से १९५९ के अन्त तक कुष्ठ नियन्त्रण पर कुल कितना व्यय किया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** कुष्ठ नियन्त्रण योजना के लिये १९५९–६० में पंजाब राज्य को २१,००० रु० की अस्थायी केन्द्रीय सहायता दी गयी है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से १९५९ के अन्त तक पंजाब सरकार ने कुष्ठ नियन्त्रण पर कुल १,६०,९२५ रु० व्यय किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेहरौली (दिल्ली) में जल संभरण

बनर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहरौली (दिल्ली) के लगभग १३,००० निवासियों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक साफ पानी प्राप्त हो जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगर के शेष ८,००० निवासियों को केवल आगामी वर्ष ही साफ पानी उपलब्ध होगा ; और

(ग) इस क्षेत्र के निवासियों को अब तक साफ पानी न देने का क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). १९५१ की जनगणना के अनुसार मेहरौली की जनसंख्या ७५६९ है। नगर आयोजन संघ के प्राक्कलनों के अनुसार यह जन संख्या २० वर्ष में लगभग ९००० हो जायेगी। ९००० की जनसंख्या को जल देने का प्रबन्ध दिल्ली नगरपालिका निगम ने किया है। अप्रैल १९६० तक समूची जनसंख्या को पब्लिक नलों से पानी प्राप्त होगा व्यक्तिगत कनेक्शन विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था होने पर दिये जायेंगे। यह नहीं बताया जा सकता कि यह कार्य कब पूरा होगा क्योंकि यह वहां का स्थानवृत्त और जल तथा लोहे के ढले नलों आदि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(ग) दिल्ली नगर पालिका निगम अप्रैल १९५८ में बना और विस्तृत योजना की तैयारी के लिए सर्वेक्षण उसके तुरन्त बाद आरम्भ किया गया। परन्तु नलों तथा लोहे के ढले नलों का प्रबन्ध किये जाने के कारण योजना पहिले लागू नहीं की जा सकी।

डिवीजनल सुपरिंटेन्डेंट, हावड़ा डिवीजन

†**९३८. श्री सुबिमन घोष :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्टूबर तथा नवम्बर १९५९ में पुर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के डवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए विदाई समारोह किये गये ;

(ख) क्या इसके लिए कर्मचारियों से चन्दा लिया गया था ;

(ग) यदि हां तो स्टेशनवार कितना चन्दा एकत्रित किया गया और प्रत्येक स्टेशन पर किस पद के व्यक्तियों ने चन्दा एकत्रित किया; और

(घ) कर्मचारियों से कितना चन्दा एकत्रित किया गया और उनकी श्रेणीवार संख्या क्या थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) हां निम्न संस्थाओं ने व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप में कुछ समारोह आयोजित किये थे :—

१. साहिबगंज में—रेलवे संस्था के सदस्यों ने ;

२. हावड़ा रेलवे खल मैदान में— डिवीजनल खेलकूद क्लब, हावड़ा ने ;

३. महिला समिति के सदस्यों ने हावड़ा महिला समिति में;

४. रेलवे अधिकारी क्लब, हावड़ा में, क्लब ने;

---

†मूल अंग्रेजी में

५. हावड़ा स्टेशन पर—डिवीजन के कुछ कर्मचारियों ने; नवम्बर १९५९ में पूर्णतया अपनी ओर से ।

(ख) इन पार्टियों के गैर सरकारी होने के कारण इस संबंध में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाढ़ सहायता के लिये हावड़ा स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा ड्रामा

†१३९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हावड़ा स्टेशन के कर्मचारियों ने ड्रामा किया था ;

(ख) यदि हां, तो टिकटों की बिक्री से स्टेशनवार कितना धन एकत्रित हुआ ;

(ग) कितना धन प्राप्त हुआ और प्राप्ति श्रेणीवार कितने कर्मचारियों से हुई ; और

(घ) समारोह का व्यय पूरा करके कितना धन दान दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). टिकटों की बिक्री से ९५७ रु० प्राप्त हुए । स्टेशनवार और श्रेणीवार प्राप्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्राप्ति विभिन्न मूल्य के टिकटों की बिक्री से हुई थी और उन में टिकट लेने वालों के स्टेशन तथा पद का उल्लेख न था ।

(घ) समस्त विक्रय प्राप्ति, अर्थात् ९५७ रु० दान दे दिये गये । इस समारोह का व्यय उस राशि में से किया गया था जो हावडा डिवीज़न के कर्मचारियों ने बाढ़ सहायता निधि के लिये एकत्रित की थी ।

इंजन डिब्बे आदि

†१४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अब तक जलन्धर और होशियारपुर के बीच कितने नये इंजन, यात्री डिब्बे तथा माल डिब्बे चलाये गये हैं; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शेष काल में उपरोक्त स्थानों पर कितने इंजन, डिब्बे, आदि चलाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). कोई इंजन और यात्री डिब्बा नहीं चलाया गया ।

रेलवे के विभिन्न मार्गों के लिये प्रथक माल डिब्बे निर्धारित नहीं होते अपितु सारी रेलों पर प्रयोग होने के लिए सामान्य पूल में रख दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था

†१४१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कितने स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था उपलब्ध है; और

(ख) कितने स्टेशनों पर भोजन-व्यवस्था गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथ में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३

(ख) ३१*

*नोट १. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों पर ।

२. प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित भोजन-व्यवस्था का अर्थ रेस्टोरेन्टों, सामिष तथा आमिष जलपान गृहों, चाय तथा जलपान स्टालों का लिया गया है ।

विजयवाडा–मसूलीपटनम् लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

†१४२. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री म० वें० कृष्णराव :

क्या **रेलवे** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विजयवाड़ा से मसुलीपटनम तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के विस्तृत प्राक्कलनों की तैयारी में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : विस्तृत प्राक्कलन दक्षिण रेलवे से अभी प्राप्त हुआ है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है ।

मुरादाबाद के पास रामगंगा पर नौका-पुल[1]

†१४३. **श्री एम० शरण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद के पास रामगंगा पर नौका-पुल बनाने की योजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब पूरा होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मुरादाबाद के पास रामगंगा पर नौका-पुल बनाने की योजना की कार्यान्विति के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजिनियर से प्राप्त हो गये हैं और विचाराधीन हैं ।

(ख) यदि योजना आरम्भ करने का निश्चय होता है तो अस्थायी पुल बनाने में लगभग डेढ़ साल लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pontoon Bridge

पंजाब में सिंचाई और बिजली का विकास

†९४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के लिये पंजाब में सिंचाई और बिजली के विकास का कार्यक्रम अन्तिम रूप में बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने पंजाब की वार्षिक योजना, १९६०–६१ में सिंचाई और बिजली क्षेत्र के लिये १५६९.२३ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, जिसका व्योरा नीचे दिया जाता है :—

(१) भाखड़ा-नंगल . .	१०५४.२३	लाख रुपये
(२) सिंचाई . . .	२७०.००	,,
(३) बिजली . . .	२४५.००	,,
जोड़.	१५६९.२३	,,

गंगा नदी पर पुल

९४५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री राम शरण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और मुरादाबाद के बीच गढ़मुक्तेश्वर के निकट गंगा नदी पर पुल बनाने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : जनवरी, १९६० के अन्त तक किये गये कामों की प्रगति तथा खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मंजूर राशि	काम में कुल प्रगति	कुल खर्च
		ला० रु०	प्र० श०	ला० रु०
१	मुख्य पुल जिसमें दोनों ओर से मिलने वाली एक एक मील तक की सड़कें शामिल हैं।	७७.९७	४८.९	३७.२५
२	मेरठ की ओर से मिलने वाली सड़क .	५.०६	१००	४.२५
३	मुरादाबाद की ओर से मिलने वाली सड़क	९.८९	५०	५.२५
४	मुरादाबाद की ओर आने वाली सड़क में मतवाली, छोइया और बगाद नालों पर के छोटे पुल	१४.०५	१०	०.७७
	कुल .	१०६.९७ ला० रु०		४७.५२ ला० रु०

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

९४६. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न-संख्या १५७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून (उत्तर प्रदेश) के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर बनाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): योजनाएं अभी तैयार नहीं हैं। उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप देने की दिशा में क़दम उठाए जा चुके हैं।

बम्बई पत्तन में रेत जमा हो जाना

†**९४७. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई पत्तन की रेत-मिट्टी की हलचल को जानने के लिये रेडियो सक्रिय अन्वेषण प्रयोगों के संबंध में, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, हां।

(ख) रेडियो सक्रिय अन्वेषण प्रयोग का उद्देश्य प्रवेश पाट (एन्ट्रेंस चैनल) से निकाली गई रेत-मिट्टी को फेंकने के लिये उपयुक्त स्थान ढूंढना था। केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र में नमूने के तौर पर किये गये जल संबंधी अध्ययन से पता चला कि एकमेव स्थान जहां से फेंकी गई रेत-मिट्टी की पत्तन की ओर जाने की संभावना नहीं है, मलावार प्वांइट के उत्तर पश्चिम में है। इस निष्कर्ष को पक्का करने के लिये रेडियो सक्रिय अन्वेषण प्रयोग किये गये थे।

मलाबार प्वांइट के उत्तर पश्चिम में एक स्थान पर सात क्यूरी रेडियो-सक्रिय अन्वेषण पदार्थ विशेष रूप से तैयार की गई मशीनरी के द्वारा डाला गया। समुद्र तल पर डालने से पहले मिट्टी मिश्रित सक्रिय पदार्थ को बहुत जोर से इंजैक्टर में हिलाया गया था। तब पदार्थ डालने वाली मशीनरी समुद्र तल में उतारी गई और दूरवर्ती नियंत्रण के द्वारा उसे खोला गया। पदार्थ डालने के बाद डेढ़ महीने तक उसके बारे में मालूमात हासिल की गई। पहले दिन की मालूमात से पदार्थ डालने के कारण उस स्थान के दक्षिण की ओर पर्याप्त सक्रियता का पता लगा। उसके बाद की पड़ताल से पता लगा कि ट्रेसर किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा उत्तर की ओर अधिक खिसका है। ट्रेसर की हलचल के लिये उत्तर पश्चिमी लहरों के विरोधी होने के बावजूद, यह उत्तर की ओर अधिक खिसका और इससे यह पता चला कि इस स्थान पर दबाये गये पदार्थ की पत्तन प्रवेश द्वार की ओर जाने की संभावना नहीं है। इसलिये इसे रेत मिट्टी फेंकने का सुरक्षित स्थान समझा जा सकता है। इस प्रयोग का परिणाम केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में पहले किये गये नमूने के जल संबंधी अध्ययन की उपपत्तियों के अनुरूप रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नये बूचड़खाने

†९४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रोहतक रोड पर बूचड़खाने को दूसरे स्थान पर ले जाने के मामले की क्या स्थिति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: दिल्ली नगरपालिका निगम की स्थायी समिति ने प्रस्थापना का अनुमोदन कर दिया है और अब यह निगम के विचाराधीन है।

उद्योगों के लिये अग्रिम परियोजनायें

†९४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १११२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की अग्रिम परियोजनाओं के संचालन परिणामों और त्रुटियों का अध्ययन करने के लिये स्थापित अध्ययन दलों के प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रति तथा इसका सारांश, जिसमें इसकी मुख्य सिफारिशें सम्मिलित हैं संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

तदर्थ न्यायाधिकरण

†९५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रमथनाथ बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने वाले एकल व्यक्तिक न्यायाधिकरण की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) तथा (ख). न्यायाधिकरण की सिफारिशों पर वेतन आयोग के प्रतिवेदन के साथ अग्रेतर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में ट्रकों की दुर्घटनायें

†९५१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रति मास मोटर ट्रकों की दुर्घटनाओं में औसतन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है ;

(ख) पिछले छः महीनों के आंकड़े क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं में कितने साइकल सवारों की मृत्यु हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३·८।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

महीना	मृत व्यक्तियों की संख्या	मृत साइकल सवारों की संख्या
सितम्बर १९५९ . . .	४	१
अक्तूबर १९५९	४	२
नवम्बर १९५९ . . .	६	४
दिसम्बर १९५९ . . .	२	—
जनवरी १९६० . . .	२	१
फरवरी १९६० . . .	५	२
जोड़ . . .	२३	१०

बी० सी० जी० के टीके

†१५२. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में क्षय रोग को रोकने के लिये बी० सी० जी० के टीकों के लिये जनता में बड़ा उत्साह पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख). जी, हां। १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में क्षय रोग की जांच किये गये और बी० सी० जी० के टीके लगाये गये व्यक्तियों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	क्षय रोग की जांच की गई	बी० सी० जी० के टीके लगाये गये
	लाख	लाख
१९५६-५७	१५९·६८	५८·८५
१९५७-५८	१७५·८८	६४·६२
१९५८-५९	२१०·४१	७२·५३

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्

†९५३. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में जयपुर में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जयपुर में हुये केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के सम्मेलन की सिफारिशें और सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुये।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खोपरखेडा (बम्बई राज्य) में तापीय विद्युत् केन्द्र

†९५४. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में खोपरखेडा में तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत केन्द्र कब तक काम शुरू कर देगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) बम्बई सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान खोपरखेडा तापीय विद्युत केन्द्र में एक तीस एम० डब्ल्यू० स्टीम टरबो आल्टरनेटर सेट, जिसमें बुआयलर लगे हुये होंगे, बढ़ाने की प्रस्थापना भेजी है ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति ने अग्रिम प्रतिवेदन पर विचार किया है । शीघ्र ही योजना आयोग का अनुमोदन जारी होने की आशा है ।

(ग) यह अनुमान लगाते हुए कि आरंभिक कार्य तुरन्त पूरा हो जायगा और विदेशी मुद्रा १९६१-६२ में मिल जायगी, विस्तार १९६३-६४ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†९५५. **श्रीपांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में मध्य रेलवे कर्मचारियों के किस प्रकार के और कितने भ्रष्टाचार के मामले हुये ;

(ख) कितने व्यक्ति छोड़ दिये गये ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) १९५९ में १३१ मामले जिनमें निम्न मामले अन्तर्ग्रस्त थे :

१. घूस तथा भ्रष्टाचार;

२. झूठा रिकार्ड बनाना, गबन, धोके बाजी, आदि ;

३. सेवा शर्तों का उल्लंघन ;

४. टिकट पुनः बेचना और टिकटों संबंधी अन्य अनियमिततायें तथा रेलवे पासों का दुरुपयोग, आदि ;

५. रेलवे सम्पत्ति का दुरुपयोग ; और

६. विविध मामले ।

(ख) न्यायालय मामलों में २ रिहा हुये ।

(ग) न्यायालय मामलों में २ को दंड मिला । अभी ११ मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ।

मध्य रेलवे पर नियुक्तियां

†९५६. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अब तक, ग्रेडवार, मध्य रेलवे में कितने व्यक्ति नियुक्त हुये हैं ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित पद भरे गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्रीशाहनवाज खां) : (क)

श्रेणी	नियुक्त लोगों की संख्या
श्रेणी १	६
प्रोबेशनर	
श्रेणी २	—
अवर्गीकृत अफसर	२
श्रेणी ३	९७३
श्रेणी ४	१६४६

(ख) श्रेणी १ और २ में नियुक्तियां सब रेलों की नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुये की जाती हैं और भरे जाने वाले कुल रिक्त स्थानों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद रक्षित किये जाते हैं । इस हालत में यह बताना संभव नहीं है कि केवल मध्य रेलवे के लिये रक्षित स्थानों की पूर्ति की गई थी या नहीं ।

सामान्यतया श्रेणी २ के रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

श्रेणी ३—अनुसूचित जातियां, हां

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियां, नहीं ।

किन्तु इसकी बजाये अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा पद भरे गये ह और यह कमी पूरी की गई है ।

श्रेणी ४ : हां ।

मध्य रेलवे पर अनधिकृत विक्रेता व फेरी वाले

†९५७. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के ढोंड-मनमाद और ढोंड-पूना सेक्शनों पर कुछ अनधिकृत विक्रेता और फेरी वाले सामान बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां । इन सेक्शनों पर कभी कभी कुछ अनधिकृत विक्रेता व फेरी वाले सामान बेचते हैं ।

(ख) अनधिकृत विक्रेताओं व फेरी वालों के बारे में जो कार्रवाई सामान्यतया की जाती है, वह संलग्न विवरण में दी गई है, और इन सेक्शनों पर भी इनका प्रयोग किया जाता है ।

विवरण

१. रेलवे पुलिस की सहायता से, विशेषकर बड़ स्टेशनों पर, विशेष उपाय ।

२. रेलवे कर्मचारियों , रेलवे सुरक्षा दल, गार्डों, और टीटियों द्वारा अनधिकृत फेरी वालों के स्टेशन और गाड़ियों में प्रवेश पर ध्यान दिया जाना ।

३. लाउड स्पीकरों और प्रचार के दूसरे साधनों से घोषणाओं द्वारा जन सहयोग प्राप्त करना, और जनता को अनधिकृत फेरी वालों से माल न खरीदने के लिये कहना ।

४. स्टेशन प्लेटफार्मों पर फेरी वालों के प्रवेश को रोकने के लिये विभिन्न स्टेशनों पर तारों का बन्दोवस्त ।

५. भिखमंगों और फेरी वालों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करने के लिये 'भिखमंगों और फेरी वालों को रोकने वाले' विशेष दलों की स्थापना ।

उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन

†९५८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को १९५९-६० में अपने नये सहकारिता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कुछ राशि दी गई है ;

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा घोषित नवीन सहकारिता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उड़ीसा सरकार ने क्या योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी राशि मांगी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां। १९५९-६० की वार्षिक योजना में १७ लाख रुपये व्यय की सहकारिता विकास की योजनायें अनुमोदित हुई थीं। तदुपरांत नवीन सहकारिता कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिये अनुपूरक योजना में १४.३९ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकार किया गया था ; यह व्यय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक योजना पर ब्यौरे सहित चर्चा करने के पश्चात् स्वीकार किया गया था ।

(ख) तथा (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा तथा मांगी गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७**]

उड़ीसा में रेलवे की आउट एजेंसियां

†१५९ **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितनी रेलवे आऊट एजेंसियां खोली जा चुकी हैं ; और

(ख) उड़ीसा में १९६०-६१ में कितनी आऊट एजेंसियां खोली जायेंगी और कहां कहां पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी)** : (क) दो। (ख) उड़ीसा में आसका, फूलबानी, क्योंजरगढ़ और सुन्दरगढ़ में आऊट ऐंजेंसियां खोलने की प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं, किन्तु इस समय निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि १९६०-६१ में इन चार स्थानों पर आउट एजेंसियां खोली जायेंगी या नहीं। यह भी हो सकता है कि उस वर्ष में अन्य स्थानों पर आऊट एजेंसियां खोली जायें।

नौवहन सेवा

†१६०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार [मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ और १९५९ के वित्तीय वर्षों में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनके स्वामित्वाधीन, उनके द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित विभिन्न उपक्रमों की ओर से आयातित मशीनरी प्लांट और अन्य वस्तुओं की पृथक् पृथक् टनों में मात्रा संबंधी जानकारी एकत्रित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यह बहुत से प्राधिकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में कृषि प्रदर्शनी

६६१. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लवी मेले के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशहर के स्थान पर वर्ष १९५९ में फलों, सब्जियों और खाद्यान्न की जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें कितने किसानों ने भाग लिया ;

(ख) गत वर्षों की अपेक्षा इस प्रदर्शनी की मुख्य विशेषतायें क्या थीं ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) ६९४।

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में प्रदर्शनी में ज्यादा किसानों ने भाग लिया और अधिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। सन् १९५९ में इनाम और शील्डों के अतिरिक्त छः ट्राफियां भी दी गईं। इस प्रदर्शनी से मेवों की कुछ किस्मों को जो कि सबसे उत्तम थीं, छांटने में सहायता मिली है। इनकी किस्मों का किसानों में वितरण करने का बड़े पैमान पर प्रचार किया जा रहा है।

(ग) २,००० रुपये।

महिला भारिक (पोर्टर्स)

†**६६२. श्री सुबिमन घोष :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) रेलवे स्टशनों पर काम करने वाली महिला भारिकों (पोर्टर्स) की जोनवार कितनी संख्या है ;

(ख) क्या प्रत्येक रेलवे में महिला भारिकों की नियुक्ति के लिय कोई कोटा निश्चित है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन भारिकों की भर्ती का क्या तरीका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग) . उत्तर, दक्षिण पूर्व, और पश्चिम रेलवे पर यात्रियों का सामान आदि रेलगाड़ी से स्टेशन और स्टेशन से गाड़ी तक उठाने का काम करने के लिये क्रमशः १५, १४६ और ३३८ महिलाओं को लाइसेंस दिये गये हैं। स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त महिला भारिकों के लिये कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है।

(घ) लाइसेंस वाले भारिकों का चुनाव साधारणतया स्टेशन मास्टरों और स्टेशन सुपरिन्टेंडेंटों द्वारा उनके पास पंजीबद्ध अभ्यर्थियों में से किया जाता है जो १८ वर्ष से ऊपर हों और शारीरिक दृष्टि से ठीक और अच्छे चरित्र वाले हों।

रेलवे की पटरी को उखाड़ना

†**६६३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में रेल की पटरियों को उखाड़ने के कितने मामले पकड़े गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) तथा (ख). जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९५९ में रेलवे पटरी उखाड़ने के १८५ मामले हुये थे ।

(ख) रेल पटरी को उखाड़ने को रोकने के लिये निम्न कार्रवाई की गई है :—

(१) रेल पटरियों के उखाड़ने के मामलों को रोकने के लिये कड़ी पुलिस कार्रवाई की व्यवस्था करने के लिये विभिन्न राज्यों के इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस को समय समय पर लिखा जाता है । जहां ये घटनायें दलबन्दी या केवल शरारत के कारण होती हैं, वहां पुलिस अधिकारी रेल पटरी के पास वाले गांवों में ग्रामीणों को यह जताने के लिये कि ऐसे कृत्यों में पड़ने के भयानक परिणाम होते हैं, प्रचार करते हैं और उन्हें वैसा करने से रोकते है ।

(२) रेलवे सुरक्षा दल ऐसे मामलों का गहरा अध्ययन करता है; जांच पड़ताल करता है और उन सेक्शनों पर जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों का ध्यान केन्द्रित करने के लिये सूचना एकत्र करता है । जांच के लिये पुलिस को दिये गये मामलों की पैरवी की जाती है और अपराधों को पकड़ने और अपराधियों को पकड़ने के लिये जिस सहायता की आवश्यकता होती है, दी जाती है और उपयुक्त निरोधक उपायों का प्रयोग किया जाता है ।

(३) इंजीनियरी और स्थायी मार्ग कर्मचारियों को यह देखने की हिदायतें होती हैं कि कोई रेलवे का सामान या औजार जिससे रेल की पटरी उखाड़ी जा सके, पटरी के पास न छोड़ा जाए ।

(४) रेलवे सुरक्षा दल, जिला पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस प्रभावित क्षेत्रों और पटरियों की संयोजित गश्त करती है । पड़ौसी गांवों के लोहारों और दूसरे व्यक्तियों पर, जिन पर रेलवे के माल का व्यापार करने का सन्देह होता है, और पटरियों के पास घूमने वाले चरवाहों पर कड़ी नजर रखी जाती है ।

(५) सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल कर्मचारी और स्थायी गैंगमैन को अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रों में पैदल और ट्रालियों द्वारा गश्त करने के लिये नियुक्त किया जाता है ।

(६) जब यह पता चले कि किसी रेलवे कर्मचारी की असावधानी के कारण पटरी उखड़ी है, तो उस कर्मचारी को कड़ा दण्ड दिया जाता है ।

(७) इस मामले में रेलवे अधिकारियों या पुलिस को सूचना देने वालों को उचित पारितोषिकों की घोषणा की जाती है ।

भारतीयों पर निरोध प्रतिबन्ध[1]

†९६४ श्री रघुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने देशों में अभी भी भारतीयों पर निरोध प्रतिबन्ध लागू हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quarintine Restrictions.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: भारत से आने वाले व्यक्तियों पर लगे निरोधा प्रतिबन्धों को दो भागों में बांटा जा सकता है :—

(क) चेचक और हैजा के टीके की वैध अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र की अनिवार्य आवश्यकता ।

(ख) चेचक और हैजे के टीके के वैध अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों के होने के बावजूद भी भारत से आने वाले यात्रियों का पृथक्करण (जिसे सामान्यत: निरोधन कहते हैं) अथवा संनिरीक्षण ।

विश्व में अधिकांश देशों ने समूचे भारत से या उन स्थानीय क्षेत्रों से, जिनको भारत सरकार ने ऐसा घोषित किया हो, आने वाले व्यक्तियों पर पहली प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया है। दूसरी प्रकार का प्रतिबन्ध केवल सिंगापुर और लंका द्वारा लगाया गया है ।

त्रिपुरा में गेहूं और चावल का सम्भरण

†९६५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा को कुल कितना चावल और गेहूं दिया गया; और

(ख) उसी अवधि में कितनी मात्रा वितरित की गयी और कितनी अभी भण्डार में बाकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) २०,००० टन चावल और १३०० टन गेहूं ।

(ख) वर्ष १९५९ में त्रिपुरा प्रशासन ने उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा उपभोक्ताओं को १८,७०० टन चावल और १२६० टन गेहूं दिया ।

भण्डार के बारे में आंकड़े बताना उचित नहीं है ।

शाहगंज जंक्शन

†९६६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल परिवहन क्षमता और यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये हाल ही के प्रस्तावों के अनुसार शाहगंज जंक्शन पर नव-निर्माण, विस्तार और सुधार कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्ताव के किस भाग की कार्यान्विति हुई है और कौनसा भाग अभी पूरा करना बाकी है और

(ग) यार्ड और परिवहन क्षमता में वृद्धि होने से यात्रियों और रेलवे द्वारा सामान और पशु भेजने वालों को क्या लाभ होंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). यार्ड के मीटर लाइन भाग में ७ और लाइनें और ३ छोटी लूप लाइनें बिछा दी गयी हैं ।

बड़ी लाइन भाग में रेल-स्तर के प्लेटफार्म को उच्च स्तरीय द्वीप प्लेटफार्म में बदलने और इस को मुख्य प्लेटफार्म से मिलाने के लिये एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने और स्टेशन पर बिजली लगाने का कार्य पूरा हो गया है । अतिरिक्त लूप लाइनें बिछाने का कार्य ९० प्रतिशत तक पूरा हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाहगंज के रास्ते प्रायाशित यातायात के चालू न होने को ध्यान में रखते हुए, मीटर लाइन और बड़ी लाइन दोनों पर कोयले के परिवहन के लिये प्लेटफार्म और साइडिंग बनाने का कार्य रोक दिया गया है ।

(ग) यार्ड सुविधाओं में वृद्धि से इस यानान्तरण स्टेशन के रास्ते ट्रैफिक के बुकिंग पर, जिसमें कोयला भी शामिल है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इससे यात्री और माल के आने जाने में भी वृद्धि होगी ।

पंजाब के लिये खाद्यान्न

†९६७. **श्री दलजीत सिंह** : : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में प्रति मास पंजाब को कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया; और

(ख) क्या यह मात्रा कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) जी, हां ।

अमृतसर में टेलीफोन के कनेक्शन

†९६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५९ तक अमृतसर (पंजाब) में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन किया है

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक टेलीफोन दिये जा चुके हैं ; और

(ग) अभी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ३०५० (१–३–१९५६ से ३१–१२–१९५९ तक) ।

(ख) १७२७ (३१–१२–१९५९ तक) ।

(ग) १३२३ (३१–१२–१९५९ तक) ।

उत्तर रेलवे में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†९६९. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्ष १९६०–६१ में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे; और

(ख) १९५९–६० में कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९९ क्वार्टर।

(ख) जनवरी, १९६० तक ४८ क्वार्टर बनाये गये हैं। ४० क्वार्टर बन रहे हैं और उनके चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बन कर पूरा हो जाने की सम्भावना है।

पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज

†१७०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां १९६०–६१ में पंजाब राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : यदि समय पर सामान उपलब्ध हुआ, तो वर्ष १९६०–६१ पंजाब राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज बनाये जायेंगे :–

१. नुह
२. शाहबाद
३. फतेहाबाद
४. कालनवाली
५. समाना
६. अहमदगढ़
७. ऐलानाबाद
८. राया
९. फिल्लौर
१०. नकोदर
११. मुकेरियां
१२. कुलु
१३. जोगेन्द्रनगर
१४. जैतू
१५. जीरा।

पत्तन आयुक्त, कलकत्ता

†१७१. **श्री सुबिमन घोष** :
श्री दा० रा० चावन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पत्तन आयुक्त के भण्डार विभाग (स्टोर्स डिपार्टमेंट) से इंडेन्ट पर बाहर जाने वाले सामान की भण्डार के द्वार (स्टोर्स गेट) पर पूर्ण रूप से जांच की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इनमें से द्वार पर कितनों की जांच की जाती है; और

(ग) शत प्रतिशत जांच न करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्यों में सिंचाई

†१७२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४७ के अन्त तक कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी;

(ख) १९४७ के बाद (राज्यवार) कितने एकड़ भूमि में और सिंचाई की गयी;

(ग) १९६०–६१ में कितनी और भूमि में सिंचाई की जायेगी; और

(घ) १९४७ के बाद कितना धन खर्च किया गया है और १९६१ में कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) १९४६–४७ में ४७४·९ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती थी।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सब तरह से कुल ५१५·३ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती थी। मार्च, १९५८ तक बड़ी और माध्यमिक सिंचाई योजनाओं द्वारा ४९ लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई की गयी। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें राज्यवार आंकड़े दिये हुए हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) इस वर्ष के पृथक् रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह प्रत्याशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़ी और माध्यमिक सिंचाई योजनाओं द्वारा लगभग ९० लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई की जावेगी।

(घ) वर्ष १९६०–६१ तक प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बड़ी और माध्यमिक सिंचाई योजनाओं पर लगभग ७६१ करोड़ रुपये के कुल खर्च की आशा है।

राज्य फ़ार्म

†१७३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में बड़े पैमाने के राज्य फार्म बनाये जा चुके हैं;

(ख) उनकी क्या संख्या (राज्य-वार) है;

(ग) क्या फार्मों द्वारा प्राप्त किये गये परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन मशीनीकृत फार्म स्थापित किये गये थे—एक १९५२ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में जम्मू में, एक सितम्बर, १९५३ में मध्य प्रदेश में भोपाल में और एक १९५६ में राजस्थान में सूरतगढ़ में। पहले दो फार्म क्रमशः १९५८ और १९५७ में सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप दिये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जहां तक सूरतगढ़ फार्म का सम्बन्ध है, खेती योग्य कुल २२,६७० एकड़ भूमि में से १९५९–६० के रबी मौसम तक लगभग २०,००० एकड़ भूमि में खेती की गयी । प्रत्येक मौसम में प्राप्त उत्पादन और फसल के अनुमानित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	१९५६–५७	१९५७–५८		१९५८–५९		१९५९–६०	
खेती का क्षेत्र (एकड़)	रबी २,९९३	खरीफ १,८६४	रबी २,४८४	खरीफ २,९२३	रबी ११,२३०	खरीफ ६,९९०	रबी १५,८४३
कुल उत्पादन (मन)	२०,७९०	७,१५७	१०,९२५	२०,२४९	१,२६,८३५	९३,७८३ (अनुमानित)	खड़ी फसल
फसल का मूल्य (रुपये)	४,५३,५००	१,०५,५००	२,४८,९००	२,६७,५००	२१,७३,०००	७,९२,०००	खड़ी फसल

फसल वर्ष १९५६–५७ से १९५८–५९ तक (अर्थात् १ जुलाई से ३० जून तक) अस्थायी लाभ और हानि खाते के अनुसार फार्मों के कार्य का आर्थिक परिणाम निम्न प्रकार है :

१९५६–५७ . . . ७,६०० रुपये (लाभ)

१९५७–५८ . . . . १,२७,००० रुपये (हानि)

१९५८–५९ . ४,६२,००० रुपये (लाभ)

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

९७४. { श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो;

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, बन विभाग, पंचायतों और क्षेत्रीय परिषद् ने कितने मील लम्बी सड़कें बनायीं;

(ख) ये सड़कें कहां-कहां बनाई गईं; और

(ग) प्रत्येक विभाग ने कुल कितना व्यय किया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग, बन विभाग और क्षेत्रीय परिषद् ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत अब तक कुल जितनी सड़कें तैयार की हैं वह इस प्रकार हैं :—

(१) **सार्वजनिक निर्माण विभाग**

२४ फीट चौड़ी सड़कें . . . . २२२ मील लम्बी

†मूल अंग्रेज़ी में

१६ फीट चौड़ी सड़कें . .	. ३२२ मील लम्बी
९ फीट चौड़ी जीप चलने योग्य सड़कें	. ३४१ मील लम्बी
जीप चलने के कुछ अयोग्य सड़कें .	. ६१५ मील लम्बी

(२) वन विभाग

खच्चरों की सड़कें . .	. ३५६ मील लम्बी

(३) क्षेत्रीय परिषद् . . . . कुछ नहीं ।

(ख) ये सड़कें हिमाचल प्रदेश के पांचों जिलों, मण्डी, चम्बा, बिलासपुर, सिरमौर और महासू में बनायी गयीं ।

(ग) १—सार्वजनिक निर्माण विभाग :

जनवरी, १९६० तक . . .	. ४,७५,१२,८०१ रुपये

२—वन विभाग :

जनवरी, १९६० तक . .	१०,८५,३८९ रुपये

३—क्षेत्रीय परिषद् :

कुछ भी खर्च नहीं हुआ ।

पंचायतों द्वारा बनायी गयीं सड़कों के बारे में सूचना मंगायी जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत की जावेगी ।

कथ के बीज

†९७५. **श्री हेम राज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कथ (Saussurea Lappa) के सुघरी किस्म के बीजों का उत्पादन करने की योजना को अन्तिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यह बीज केन्द्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) योजना की कुल लागत का अनुमान ३ वर्षों के लिये ३६,९०० रुपये लगाया गया है ।

(ग) इस योजना पर पंजाब में लाहौल घाटी में किलौंग में कार्य किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर डिग्रियां

†९७६. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक (जोन-वार) रेलवे पर सक्षम न्यायालयों द्वारा जारी की गयी डिग्रियों की अदायगी न होने के कारण कितनी रकम बकाया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण संलग्न है :

विवरण

रेलवे	सक्षम न्यायालयों द्वारा जारी की गयी डिग्रियों के खाते में रेलवे पर बकाया रकम जिसका १९५८–५९ के अन्त तक भुगतान नहीं किया गया
	रुपये
मध्य	४३,८४२
पूर्व	शून्य
उत्तर	६,६०१
पूर्वोत्तर	५८,३०२
पूर्वोत्तर सीमा	३,२२,१२०
दक्षिण	२५,३५८
दक्षिण-पूर्व	२९,८७५
पश्चिम	९३,३०२
कुल	५,७९,४००

जम्मू तथा काश्मीर में टेलीफोन एक्सचेंज

†९७७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों में काम कब से आरम्भ हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) इन एक्सचेंजों के लिये प्रमुख उपकरण अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। बैटरी, एलीमिनेटर और सम्बन्धित सामान अभी आना बाकी है।

(ख) एक्सचेंज के खुलने की सम्भाव्य तिथि अक्तूबर, १९६० है।

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में मोटर दुर्घटना

†९७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक कुल कितनी मोटर दुर्घटनायें हुयीं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे;

(ग) मोटर गाड़ियों के चालकों और स्वामियों पर कितने मुकदमे किये गये; और

(घ) कितने मामलों में चालकों को दोषी ठहराया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मोटर दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की संख्या	चालकों/स्वामियों के विरुद्ध दायर किये गये दावों की संख्या	दोष सिद्धि वाले मामलों की संख्या
१९५७–५८	६४	१३	६४	८
१९५८–५९ .	६९	१६	६९	९
१९५९–६० . (जनवरी, १९६० के अन्त तक)	५६	१२	५६	६

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†९७९. **श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में उन सहकारी समितियों के क्या नाम हैं जो १९५९–६० में अपनी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं कर सकी हैं;

(ख) इन बैठकों के न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह देखने के लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है कि ये बैठकें समितियों के उप-नियमों के अनुसार की जायें ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकर उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). जानकरी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अमरपुर (त्रिपुरा) में बहुप्रयोजनीय विकास खंड

†९८०. **श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरपुर (त्रिपुरा) में बहुप्रयोजनीय विकास खण्ड द्वारा रायमा सरमा क्षेत्र के विकास के लिये अब तक कौन कौन सी योजनायें स्वीकार की गयी हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये योजनायें किस हद तक कार्यान्वित की गयी हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है जिसमें स्वीकृत योजनायें और उनकी कार्यान्विति का ब्यौरा दिया हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०**] .

नई दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समिति

†**९८१. श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गृह-कार्य मन्त्रालय की उच्च आय वर्ग सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों को अपने नाम में भूमि रजिस्टर कराने के लिये ८०० वर्ग गज की सीमा-निर्धारण के लिये सरकार के फैसले को टाला जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ऐसा नहीं है। इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे।

गैर-सरकारी रेलवे

†**९८२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का भारत में गैर-सरकारी रेलवे पर गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: भारत में चलाई जा रही गैर-सरकारी रेलवे छोटी लाइन की लाइट रेलवे हैं और उनका प्रबन्ध गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। इन रेलों पर यात्री गाड़ियों की रफ्तार लाइन और प्रयुक्त 'स्टाक' की दशा को देखते हुए निर्धारित की जाती है। इन रेलों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनीआर्डर

†**९८३.** { **श्री सुबिमन घोष** :
श्री द० रा० चावन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में पश्चिमी बंगाल में गलत आदमियों द्वारा मनीआर्डर लिये जाने के मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की क्या संख्या है;

(ग) कितने मामलों की पुलिस जांच कर रही है; और

(घ) कितने मामलों में सजा दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां।

(ख,) दो तार मनीआर्डर।

(ग) दो।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सहकारी रजिस्ट्रार सम्मेलन

†१८४. **श्री हेम राज:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जयपुर में हुए विभिन्न राज्यों के अखिल भारतीय सहकारी रजिस्ट्रार सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : एक विवरण संलग्न है जिसमें २९–१–६० से ३१–१–६० तक जयपुर में हुए राज्य सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में संशोधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों का संक्षेप है। **[देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

सीटों और बर्थों का आरक्षण

†१८५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले दर्जे की सीटें और बर्थ रिजर्व करने के नियम, जनता, संसद् सदस्यों, राज्य मंत्रियों, केन्द्रीय मन्त्रियों और अन्य पदाधिकारियों के लिये भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितना अन्तर है;

(ग) नियमों को एक समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जावेगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य और केन्द्रीय मन्त्रियों को अन्य व्यक्तियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है और उनके लिये पहले दर्जे के एक टिकट पर पूरा डिब्बा रिज़र्व किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]**

रेलवे अस्पतालों में अवैतनिक डाक्टर

†१८६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलवे अस्पताल में एक अवैतनिक डाक्टर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्रालय से परामर्श लिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय अपने अस्पतालों में काम करने वाले अवैतनिक डाक्टरों को हटा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रत्येक रेलवे अस्पताल में एक अवैतनिक डाक्टर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है, परन्तु रेलवे के हेडक्वार्टरों के अस्पतालों में कुछ एक प्रतिष्ठा प्राप्त अवैतनिक परामर्शदाताओं तथा डाक्टरों को नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस मन्त्रालय को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस बारे में स्वास्थ्य मन्त्रालय से पूछा गया है, उसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में घास के महाल

†१८७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के घास के महाल भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के अधीन आते हैं ;

(ख) इन महालों को किन किन नियमों के अधीन नीलामी पर बेचा जाता है; और

(ग) इन महालों से १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितनी आय हुई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) इनकी नीलामी समय समय पर मनीपुर प्रशासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन की जाती है । इस सम्बन्ध में वर्तमान नियम वहां से मंगवाये गये हैं और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) घास से प्राप्त होने वाली आय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि
१९५६–५७	२०,६८० रुपये
१९५७–५८	४०,१३० रुपये
१९५८–५९	२१,२१० रुपये

आन्ध्र प्रदेश में बहुप्रयोजनीय आदिमजातीय खण्ड

†१८८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में अभी तक कुल कितने बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड स्थापित किये गये हैं;

(ख) वे किस किस स्थान पर स्थापित किये गये हैं;

(ग) इन खंण्डों के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी थी; और

(घ) इन में से प्रत्येक खण्ड में अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) चार ।

(ख) (१) विशाखापटनम् जिले में अराकू ।

(२) विशाखापटन जिले में पाडेरू ।

(३) आदिलाबाद जिले में उतनूर में ।

(४) करगंल जिले में नरसम्पेत में ।

(ग) कुल १०८.०० लाख रुपये और प्रत्येक खंड के लिये २७ लाख रुपये ।

(घ) ३१–१२–५९ तक उक्त खंडों पर किये गये खर्च का ब्योरा इस प्रकार से है :—

	लाख रुपये
(१) अराकू	१५.९२
(२) पाडेरू	१४.६३

†मूल अंग्रेजी में

	लाख रुपये
(३) उत्तनूर	६.३६
(४) नरसम्पेत	८.३८

इम्फाल का टाउन हॉल

†१८९. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के टाउन हॉल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इमारत का नक्शा मंजूर कर लिया है ; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं। वह कार्य मार्च, १९६० में प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ख) नक्शे की मंजूरी मनीपुर प्रशासन द्वारा दी गयी थी ।

(ग) अनुमान है कि उस पर कुल ३,३०,००० रुपयों की लागत आयेगी जिसमें बिजली लगाने, सेनिटरी फिटिंग और पेंटिग आदि पर आने वाला खर्च भी सम्मिलित है। भारत सरकार ने इम्फाल नगरपालिका को २ लाख रुपयों की राशी दी है जिसमें से आधी राशि सहायक अनुदान के रूप में है और आधी ऋण के रूप में।

ग्राम पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर

१९०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम सभाओं के प्रधानों और मंडल अदालतों के सरपंचों को प्रशिक्षण देने के लिये दिल्ली के अलीपुर और महरौली खंडों में शिविर लगाया गया था ;

(ख) किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ग) उसमें कितने प्रधानों और सरपंचों ने भाग लिया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, ऐसे तीन शिविर लगाये गये थे ।

(ख) प्रशिक्षण गोष्ठियों द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य शिविर के सदस्यों को (१) पंचायती राज कानून कायदों (२) देहली भूमि सुधार कानून-कायदों के संबंधित भागों (३) विकास-कृत्यों (४) दिवानी, फौजदारी व माल के मुकदमों को दायर और जांच करने (५) हिसाब-किताब रिकार्ड्स आदि रखने के तरीकों से परिचित करना था।

(ग) १९७ प्रधान और २० सरपंच ।

---

†मल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्टेशनों की नयी इमारतें और यार्ड

†९९१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तिनसुकिया-मरिआनी सेक्टर में बरूआनगर, लांगपतिया और महुतगांव के स्टेशनों की नयी इमारतों और यार्डों के निर्माण-कार्य के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वह कार्य निश्चित समय तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामास्वामी)** : (क) बरूआनगर के स्टेशन की इमारत के संबंध में २५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है । पटरी बिछाने के लिये भूमि को तैयार किया जा रहा है । लांगपतिया की कच्ची स्टेशन इमारत के स्थान पर नयी इमारत बनाने की योजना स्वीकार कर ली गयी है और उसके लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । इस स्टेशन पर अतिरिक्त लाइनें बिछाने के संबंध में कोई योजना नहीं है । महुतगांव में स्टेशन की इमारत बनाने और लाइनें बिछाने का काम पूरा हो गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियां के लिये स्थानों का रक्षण

†९९२. { **श्री कुन्हन :**
श्री सिदय्या :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में श्रेणी १ व श्रेणी २ के कितने रिक्त पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित किये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने स्थान भरे गये थे ; और

(ग) सभी स्थानों को न भरने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]** ।

(ग) क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अधिकांश अभ्यर्थी अपने आप को उन स्थानों के लिये योग्य सिद्ध न कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिलखवा के निकट इंजन का पटरी से उतर जाना

†१९९३. **श्री सुबिमन बोस :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५९ में अधिकांश गढ़मुक्तेश्वर के यात्रियों को दिल्ली लाती हुई एक यात्री गाड़ी के इंजन के पहिये पिलखवा स्टेशन के निकट पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या क्या कारण थे ;

(ग) वह लाइन कितने घंटों तक बन्द रही थी ;

(घ) क्या कोई जांच की गयी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :** (क) उस सवारी गाड़ी के इंजन के पहिये पटरी से नहीं उतर गये थे, अपितु पिलखवा और डासना स्टेशनों के बीच इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गयी थी ।

(ख) इंजन का बांया पिस्टन राड टूट गया था ।

(ग) एक घंटा और १६ मिनट तक ।

(घ) और (ङ). जी हां । २५ नवम्बर, १९५९ को डिवीजनल मेकेनिकल इंजीनियर द्वारा ।

माल डिब्बा मरम्मत वर्कशाप, कोटा

†१९९४. **श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा की नयी माल डिब्बा मरम्मत वर्कशाप में वर्कस मेनेजर (निर्माण) कितने समय से काम कर रहे हैं ;

(ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस नयी वर्कशाप का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाना चाहिये ;

(ग) क्या इस कार्य में कुछ विलम्ब हो गया है ; और

(घ) यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) १४–४–१९५९ से ।

(ख) १–१०–१९६० तक ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इसे सितम्बर, १९६० तक प्रारम्भ कर देने का विचार है ।

रेलवे पदाधिकारियों द्वारा हिन्दी परीक्षा पास किया जाना

†१९९५. **श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के बाद प्रतिवर्ष में प्रत्येक रेलवे के प्रथम श्रेणी के कितने पदाधिकारियों ने हिन्दी भाषा की परीक्षायें पास की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक रेलवे के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी हिन्दी जानते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). विभिन्न रेलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम रेलवे में अव्यावसायिक नाटक क्लब

†९९६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में कितनी अव्यावसायिक नाटक क्लब हैं ;

(ख) क्या उन्हें अपने कार्यों के विकास के लिये कोई वित्तीय अनुदान या सुविधा दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) कोई भी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली

†९९७. **श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में आठ रिहायशी फ्लैट गत दो वर्षों से खाली पड़े हुये हैं ; और

(ख) इन फ्लैटों को संस्था के किसी पदाधिकारी को अभी तक एलाट न करने और इतनी देर तक खाली रखने के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). हाल ही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के क्षेत्र में आठ फ्लैट बनाये हैं, परन्तु वे अभी तक पूरे नहीं हुये हैं और इसलिये वे फ्लैट निर्माण विभाग (कंस्ट्रक्शन डिवीजन) द्वारा अभी तक देखभाल विभाग (मेंटीनेंस डिवीजन) को नहीं सौंपे गये हैं। इसलिये इस समय इन फ्लैटों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों को एलाट करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू तथा काश्मीर में डाकघर

†९९८. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में जम्मू और काश्मीर में अभी तक कितने नये डाक घर, उप-डाक घर और ब्रांच डाक घर खोले गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने ब्रांच डाक घर गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा कार्य सन्तोषजनक है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १३७ ।

(ख) १२७ ।

(ग) जी, हां ।

जम्मू तथा काश्मीर में सिंचाई योजनायें

†९९९. **शेख मुहम्मद अकबर:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में बड़ी तथा माध्यमिक सिंचाई योजनाओं के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी)** : १९६०–६१ के लिये जम्मू तथा काश्मीर को दी जाने वाली केन्द्रीय राशि के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव

मिकिर पहाड़ियों में विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे श्री हेम बरूआ, श्री स० मो० बनर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री इलियास मोहम्मद और कुछ अन्य सदस्यों की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि गत ८ मार्च को आसाम की मिकिर पहाड़ियों में पुलिस द्वारा कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मारे गये तंथा कई घायल हो गये जिससे बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे तो कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है परन्तु चूंकि यह विषय विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित है इसलिये मैं यह जानना चाहूं गा कि उनकी शिकायतें क्या हैं और ऐसा क्यों हुआ । माननीय सदस्य की जानकारी का सूत्र क्या है ?

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : यह खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और मुझे विस्थापित व्यक्तियों से तार भी मिले हैं । आसाम सरकार विस्थापित व्यक्तियों को मिकिर पहाड़ियों से निकालने पर तुली हुई है । उनके मकानों को तोड़ने के लिये हाथियों से काम लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ये लोग सरकार की अनुमति से ही वहां बसे थे फिर उन्हें क्यों हटाया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ समय पहले भी इन लोगों के बारे में प्रश्न उठाया गया था । वास्तव में वहां कुछ लोग ऐसे भी बस गये हैं जो विस्थापित व्यक्ति नहीं हैं। उन्हीं लोगों को सरकार वहां से निकाल रही है । फिर माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि यह कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि जब ये लोग वहां गये थे तभी उन्हें क्यों नहीं रोका गया ? वे लोग १९५० के लगभग वहां बसे थे । अब यदि सरकार उन्हें निकालना चाहती है तो उनके लिये वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाना चाहिये क्योंकि वे पूर्वी पाकिस्तान तो लौट कर जा नहीं सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने बताया कि उन लोगों ने शांति भंग की थी। यह सूचना उन्हें पुलिस ने दी होगी। मैं चाहता हूं कि इसके संबंध में जांच कराई जाय क्योंकि इस घटना से राज्य में साम्प्रदायिक एवं जातीय द्वेष की भावना भड़क उठी है ?

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जब कोई स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है तो उस समय केवल इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह नियमित है अथवा नहीं। उस अवस्था में लम्बे लम्बे भाषण नहीं दिये जाने चाहियें।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य स्थिति का स्पष्टीकरण कराना होता है ताकि उसके संबंध में भली प्रकार निर्णय किया जा सके। यदि मैं ऐसा न करूं तो हो सकता है कि किसी ऐसे प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया जाय ? जो आवश्यक न हो और इस प्रकार सभा का समय खराब होगा। माननीय मंत्री का इसके संबंध में क्या विचार है ?

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अमृत बाजार पत्रिका के अनुसार मृत व्यक्तियों की संख्या २ नहीं वरन् ११ है। इनके अतिरिक्त १०० व्यक्ति घायल हुये हैं। हाथियों का प्रयोग किया जाना बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार के तरीके प्राचीन काल में अपनाये जाते थे। जहां तक शांति भंग करने के आरोप का संबंध है मेरा निवेदन है कि वह भीड़ डिप्टी कमिश्नर को धमकाने के लिये नहीं जमा हुई थी वरन् हाथियों को डराकर भगाने के लिये जमा हुई थी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि वहां के पहाड़ी लोगों को विस्थापित व्यक्तियों के विरुद्ध उकसाया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि उन लोगों ने भी पुलिस के साथ मिल कर विस्थापित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह मामला बहुत समय से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि १९५५ में कुछ लोगों को राज्य सरकार ने वहां बसने की अनुमति दी थी। बड़े खेद की बात है कि अब वहां की स्थिति इतनी खराब हो गई है। जब वे लोग इतने समय से रहते आ रहे हैं तो अब उन्हें वहां से निकालना ठीक नहीं है।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : ये लोग वहां पांच साल से रह रहे हैं। उन्हें भूमि को खेती योग्य बनाने और झोंपड़ियां बनाने की अनुमति दी गई थी। फिर अब उन्हें सरकार वहां से क्यों निकाल रही है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : श्रीमान्, यह प्रश्न लगभग एक सप्ताह पूर्व श्री हेम बरुआ ने उठाया था और उस समय मैंने उसका इतिहास बताया था। मैं उसे संक्षेप में दोहरा देना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार इस स्वायत्तशासी पहाड़ी क्षेत्र में लगभग ५००–६०० परिवारों ने अनधिकृत प्रवेश करके पहाड़ी आदिम जातियों की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था। जनगणना के अनुसार ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों की संख्या लगभग ४००–५०० है। इन लोगों के बसाये जाने के लिये उस स्वायत्तशासी क्षेत्र में ३४०० बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इस बीच में कुछ और लोग आ गये तथा उनकी संख्या ५०० से बढ़ कर लगभग १७०० हो गई। अतः जनगणना फिर से की गई और यह पता लगा कि इन १७०० परिवारों में से लगभग ७५० परिवार अपने को विस्थापित व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सके। जो परिवार योग्य समझे गये तथा जिन्होंने सरकार से कोई पुनर्वास सुविधायें नहीं ली थीं उन्हें वहां से हटाने का प्रबन्ध किया गया। लगभग ४००–५०० को उस पहाड़ी क्षेत्र में बसाया जाना था और शेष को अन्य पुनर्वास स्थानों को ले जाया जाना था। यह क्रम अभी तक जारी रहा और अब उनकी संख्या

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

५०० परिवारों से बढ़ कर २००० हो गई है। जब दो तीन साल पहले जनगणना हुई थी तो लगभग आधे लोग विस्थापित व्यक्ति नहीं माने गये थे। मैंने पहले भी यह कहा था और अब भी उसे मानने के लिये तैयार हूं कि जो लोग योग्य हैं परन्तु जिन्होंने अभी तक पुनर्वास सुविधायें नहीं ली हैं उनमें से जितने लोग इस ३००० या ४००० बीघा भूमि में बसाये जा सकते हैं उन्हें उसी क्षेत्र में बसाया जायेगा। जिन लोगों को उस क्षेत्र में नहीं बसाया जा सकता है—क्योंकि मैं दूसरे लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता हूं—वे वहां से निकल आयें तथा मैं उनके लिये प्रबन्ध करूंगा। परन्तु दिक्कत यह है कि वे लोग वहां से हटने के लिये तैयार नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि एक ओर तो हम भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग उस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को भरने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक इस घटना का संबंध है, जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरी जानकारी आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट पर आधारित है। १० मार्च, १९६० के 'स्टेट्समैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि यूनाइटेड मिकिर और उत्तरी कचार पहाड़ियों में विस्थापित व्यक्तियों के निष्कासन अभियान के दौरान कल उत्तर बार्बिल स्थान पर एक हिंसक भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे दो व्यक्ति मर गये तथा चार घायल हुये। समाचार में यह बताया गया है कि आसाम सरकार के प्रेस नोट के अनुसार उस भीड़ में लगभग १००० व्यक्ति थे जिन्होंने अनेक घरों में आग लगा दी तथा काम में लगे हाथियों को डराकर भगाने का प्रयत्न किया। अधिकारियों ने कई बार चेतावनी दी परन्तु जब उसका कोई लाभ नहीं हुआ तब पुलिस ने छै गोलियां चलाईं। भीड़ द्वारा पत्थर फेंके जाने से दस व्यक्ति पुलिस के तथा १६ व्यक्ति निष्कासन दल के आहत हो गये जिनमें से तीन की स्थिति गम्भीर है। इस समाचार को पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ जो आज प्रातःकाल ही प्रकाशित हुआ है। मैंने शिलांग को ट्रंक काल करने का प्रयत्न किया ताकि अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। मैं मुख्य मंत्री से बात करना चाहता था जिनके हाथ में पुनर्वास का विभाग भी है। दो बार तो लाइन ही नहीं मिली और तीसरी बार यहां आने के कुछ ही देर पहले जब लाइन मिली तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका क्योंकि वह विधान सभा में किसी प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। श्रीमान्, यदि आप कहें तो मैं जानकारी प्राप्त करके सभा के समक्ष रख सकता हूं।

परन्तु एक बात स्पष्ट है कि जो लोग विस्थापित व्यक्ति हैं और अपना पुनर्वास चाहते हैं उन्हें उस क्षेत्र से हट जाना चाहिए तथा उनको हम राज्य के दूसरे भागों में बसा सकते हैं। उन्हें उस स्वायत्तशासी क्षेत्र में दूसरे लोगों की भूमि पर जबरन रहने की अनुमति न मैं दे सकता हूं और न मुख्य मंत्री ही और न वहां अधिकाधिक लोगों को आदिम जातियों की भूमि छीनने के लिए जाने दिया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश वहां ऐसा ही प्रयत्न किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति यह है कि वह क्षेत्र आदिम जातियों के लिए रक्षित किया गया है। आदिम जाति के लोग बड़ी नाजुक प्रकृति के होते हैं। उनके जीवन में तनिक भी हस्तक्षेप किया जाय तो वे भड़क उठते हैं। अतः उनके साथ हस्तक्षेप किये बिना वहां ४००० बीघा ज़मीन विस्थापित व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई थी जिसमें ४००–५०० परिवार बसाए जा सकते थे। इससे अधिक लोगों को वहां बसाना आदिम जातियों के स्वायत्तशासन का अपहरण होगा। अतः वहां जितने भी अधिक लोग चले गए हैं उन्हें अन्यत्र चला जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें वहां से चले जाने की सलाह दें। यदि वे

†मूल अंग्रेजी में

लोग नहीं हटते हैं तो सरकार को अपनी कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। यदि उचित साधनों से काम नहीं चलेगा तो सरकार को बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही की गई है उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि भीड़ उपद्रव करने पर उतारू होती है तो प्रशासन उसके सामने झुक नहीं सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आपने अपने निर्णय का आधार माननीय मंत्री के वक्तव्य को बनाया है जब कि इसका दूसरा पहलू भी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा कहना अनुचित है; मैंने दोनों पक्षों की बात सुनली है। दोनों ओर की बातों पर विचार करके मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसके लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करने की कोई आवम्श्यकता नहीं है। जो लोग कानून की अवज्ञा करते हैं उनका मैं पक्ष नहीं ले सकता। मेरा विश्वास है कि सरकार ने समस्त प्रयत्न किए थे। इसलिए मैं अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु आपके निर्णय से ऐसा मालूम होता है कि उसका आधार सरकारी वक्तव्य को ही बनाया गया है .....

† **अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैंने दोनों पक्षों की बातों पर विचार करने के पश्चात ही अपना निर्णय दिया है। वैसे तो यह विषय पहले आ चुका था और मैं उसको बिना कुछ कहे सुने ही खत्म कर सकता था। परन्तु कुछ नई परिस्थितियों के कारण मैंने इतनी चर्चा का मौका दिया था। मैं समझता हूं कि इसके लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत चीन संबंधों पर श्वेत पत्र

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** मैं श्वेत पत्र संख्या ३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसमें वे नोट, ज्ञापन और पत्र दिए हुए हैं जिनका नबम्बर, १९५९ और मार्च, १९६० के बीच भारत और चीन की सरकारों के बीच आदान-प्रदान हुआ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० १९७५/६०]**

मोटर उद्योग पर तदर्थ समिति संख्या का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** मैं मोटर उद्योग सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति, समिति की सिफारिशों के सारांश के साथ, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० १९७६/६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २ मार्च १९६० की अपनी बैठक में पारित किए गए पशु निर्दयता निवारण विधेयक की एक प्रति संलग्न की है ।

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

†**सचिव :** मैं पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६० को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन :** कूच-बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : में वर्ष १९५६-५७ (१ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक) के लिए दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे और १९५५-५६ तथा १९५६-५७ (१ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्तूबर १९५६) के वित्त लेखे और तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में लोक लेखा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** (इटावा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में अधिगृहीत कुछ बस्तियों को मुक्त करने में विलम्ब ।"

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** जैसा मैंने अपने गत ३ दिसम्बर के वक्तव्य में बताया था सरकार के कुछ भूमियों के अधिग्रहण के विचार की अधिसूचना मुख्य आयुक्त ने दी थी । उसके दो उद्देश्य थे । प्रथम उद्देश्य था सुनियोजित विकास । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं वृहद योजना के अन्तर्गत हम सुनियोजित विकास करने जा रहे हैं । दूसरा उद्देश्य था सट्टेबाजी को रोकना । परन्तु सरकार वैध आवास के मार्ग में बाधक नहीं बनाना चाहती है । संबंधित मंत्रालयों ने इस मामले पर विचार किया है और मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ४१० एकड़ क्षेत्रफल की ११ बस्तियां और १३६ एकड़ क्षेत्रफल की १० अन्य बस्तियां मुक्त की जा रही हैं । सरकार ने इन भूमियों को मुक्त करने का निर्णय इस आधार पर किया है कि वे नगर निगम की अनुमति प्राप्त करें अथवा दिल्ली विकास प्राधिकार की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीन और बस्तियों को मुक्त कराने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनका क्षेफल ८९ एकड़ है। उनके संबंध में शाहदरा नगरपालिका द्वारा विचार किया जा रहा है और जब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी तब सरकार विचार करेगी।

इस मामले में इतना विलम्ब होना अपरिहार्य था क्योंकि सट्टेबाज़ी को बचाने के लिए इस में सावधानी से जांच करनी थी। सरकार ने इन बस्तियों की वैध मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है जिनके नकशे मंजूर किए जा चुके हैं।

मैं माननीय सदस्यों के संतोष के लिए एक विवरण भी सभा-पटल पर रख रहा हूं जिसमें प्रभावित बस्तियों के नाम और उनका क्षेत्रफल दिए हुए हैं। इस मामले के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

विवरण

मैं इस बात पर बहुत खुश हूं कि मुझे एक ऐसे विषय पर वक्तव्य देने का अवसर मिला है जिसके संबंध में इस समय न केवल इस सभा के सदस्य वरन् दिल्ली की समस्त जनता और भारत सरकार भी परेशान है। मैं प्रारंभ में ही यह बता देना चाहता हूं कि यह धारणा, जिसके आधार पर यह सूचना दी गई है, निराधार है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने कुछ बस्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। जैसा मैंने ३ दिसम्बर, १९५९ को सर्वश्री अटल बिहारी बाजपेयी और प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ को ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में बताया था दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने भारत सरकार के आदेश के अन्तर्गत १३ नवम्बर, १९५९ को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सरकार के दिल्ली में ३४,०७० एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के विचार की घोषणा की गई थी। उस वक्तव्य में मैं ने यह भी बताया था कि प्रस्तावित ३४,०७० एकड़ भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य दिल्ली का सुनियोजित विकास करना और भूमि के लेन-देन के सट्टे को रोकना था जो बहुत ज़ोरों पर चल रहा था। इस ३४,००० एकड़ भूमि के, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई है, अंतिम अधिग्रहण और निपटान संबंधी व्यापक नीति का निर्माण कालान्तर में उन सिफारिशोंके अनुसार किया जाएगा जो भूमि के उपयोग के संबंध में वृहत्तर दिल्ली की योजना में की जाएंगी जिसके अक्तूबर, १९६० के अन्त तक अंतिम रूप से प्रकाशित होने की संभावना है। परन्तु इस बीच में सरकार ने यह निर्णय किया है कि दिल्ली की आवास की कमी को पूरा करने की दृष्टि से उन बस्तियों अथवा क्षेत्रों को दिल्ली प्रशासन की दिनांक १३ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ़० १५ (ग) ५९-एल० एस० जी० के पर्यालोकन से मुक्त कर दिया जाय जिनके नकशे/निर्माण योजनायें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकार अथवा किसी भी अन्य समर्थ स्थानीय प्राधिकार द्वारा पास कर दिए गए थे। यह निर्णय जनवरी, १९६० के प्रारंभ में किया गया था।

दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकार से उन बस्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की है जिन के नकशे इन निकायों द्वारा पास कर

[श्री करमरकर]

दिये गये हैं। इन स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उन बस्तियों के नाम और क्षेत्रफल निम्न प्रकार है जिनको उन्हों ने मंजूरी दे दी थी :—

(१) **दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर बस्तियों का** क्षेत्रफल

	वर्ग गज
१. हरीनगर 'एल' ब्लाक . .	१,२१,०००
२. श्री महाबीर प्रसाद संघी की भूमि का नक्शा .	६,४५१.२
३. गंगाराम वाटिका	६६,२२६
४. स्वतन्त्र कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की भूमि .	९६,८००
५. ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन	३,००,५६४
६. ग्रेटर कैलाश—२ . .	१०,९३,८४०
७. अजय एनक्लेव	१,०२,४६२.८
८. सुदर्शन ब्लाक (मालवीय नगर के सामने) . . .	६,२४३.६
९. मेसर्स छोटे लाल एण्ड कम्पनी का नक्शा . . .	३,७००
१०. जयदेव पार्क . . .	७८,१६६
११. सत्यवती नगर .	१,३४,५५२
योग	२०,१०,००५.६ वर्ग गज अथवा ४१० एकड़

(२) **दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मंजूर बस्तियों का क्षेत्रफल**

	क्षेत्रफल वर्ग गजों में
१. डी० एल० एफ० का हौज खास . . .	१,०९,३२०
२. माडल टाउन (केवल क्यू० ब्लाक) . . .	१४,५२०
३. अशोक पार्क	२०,१७१
४. नवीन शाहदरा (केवल कुछ भाग अधिसूचित किया गया है) .	२०,०००
५. श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क	१,५४,५००
६. हिन्दू बंगाली कोआपरेटिव सोसाइटी सिविल लाइन्स . .	२,३५,०७८
७. कंवल पार्क, मथुरा रोड . . .	४८,४००
८. सनवाल नगर.	१३,०६८
९. रिंग रोड पर स्थित फ्रेंड्स पार्क . . .	२४,९७०
१०. हरिजन कोलोनी . . .	२१,०७४
योग	६,६१,१०१ वर्ग गज अथवा १३६ एकड़
दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मंजूर बस्तियों का कुल क्षेत्रफल	५४६ एकड़

इन के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन बस्तियां तत्कालीन शाहदरा म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा मंजूर की गई थीं परन्तु उन के नक्शों की दिल्ली नगर निगम द्वारा पुनः छानबीन की जा रही है :—

	वर्ग गज़
१. प्रेम नगर, शाहदरा (केवल कुछ भाग अधिसूचित किया गया है) .	९४,४८०
२. दिलशाद बाग, शाहदरा (केवल पूर्वी भाग अधिसूचित किया गया है)	३,०४,९२०
३. पंचमपुरी ज्वालाहरी (केवल कुछ भाग अधिसूचित किया गया है) उप-आयुक्त द्वारा अनुमोदित. . .	३४,२९०
योग	४,३३,६९०
	अथवा ८९ एकड़

यदि दिल्ली नगर निगम इन तीन बस्तियों, जिन की मंजूरी तत्कालीन शाहदरा म्यूनिसिपल कमेटी ने दी थी, के नक्शों को अन्तिम रूप से मंजूर कर लेता है तो कुल क्षेत्रफल ६३५ एकड़ हो जायेगा।

१३ नवम्बर, १९५९ को जारी की गई अधिसूचना से ऐसी बस्तियों को अनधिसूचित करने के पूर्व सरकार ने उस कदम के गुणदोषों पर भली प्रकार विचार किया था। यह आशंका थी कि ऐसी बस्तियों के अनधिसूचित किये जाने का एक संभावित परिणाम यह होगा कि मुक्त किये गये क्षेत्रों में प्लाटों के मूल्य बहुत चढ़ जायेंगे। जिस से रहने के काम की भूमि के संबंध में सट्टेबाजी के परिणामस्वरूप होने वाली वृद्धि को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसी संभावना को रोकने के लिये यह विचार किया गया कि सरकार ऐसी भूमियों को मुक्त करने के साथ ही निकट भविष्य में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में काफी भूमि का विकास करने और ऐसे प्लाटों को रहने के काम में लाने के लिये पट्टे पर देने अथवा बेच देने की घोषणा करे। आज मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार दिल्ली में बहुत सी भूमि का विकास करने और उसे यथाशीघ्र जरूरतमन्द लोगों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है। हम दिल्ली के मुख्य आयुक्त से मंजूरी प्राप्त बस्तियों की भूमि को दिल्ली नगर निगम के साथ परामर्श करके अधिसूचना के पर्यालोकन से मुक्त करने की कार्यवाही में शीघ्रता करने के लिये भी कहने वाले हैं। यह भूमि ऐसी शर्तों के अधीन मुक्त की जायेगी जैसीकि मुख्य आयुक्त इस बात की गारन्टी के लिये आवश्यक समझे कि मुक्त किये गये प्लाटों को वास्तव में रहने के काम में ही उपयोग में लाया जायेगा और उन्हें भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि से लाभ उठाने के प्रयोजन के लिये बिना मकान बनाये नहीं रखा जायेगा।

शाहदरा में पानी और बिजली के संभरण के बारे में वक्तव्य

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : श्रीमान्, आपने कल जो इच्छा व्यक्त की थी उस के अनुसार मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। कल जो बातें मैं बता चुका हूं उस में मुझे अधिक नहीं जोड़ना है। उस दिन अर्थात् ७ मार्च को आंधी आने के कारण बिजली की लाइन खराब हो गई थी और संबंधित अधिकारियों ने उसको ठीक करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की थी एक पैट्रोलमैन को यह देखने के लिये भेजा गया था कि लाइन किस जगह खराब हुई है। उसे जमुना के पुल के आगे तक जाना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

पड़ा जहां एक पेड़ के गिर जाने से तीन खम्भे उखड़े हुए पाये गये। दो अन्य खम्भे क्षत्तिग्रस्त हुए थे। चूंकि उस भूमि में पानी भरा हुआ था—वह क्षेत्र कुछ नीचाई पर था—इसलिये रात के समय कुछ नहीं किया जा सका, यद्यपि सामान इकट्ठा कर लिया गया था। ८ तारीख को सुबह ५ बजे मरम्मत का काम शुरू हुआ। और शाम तक बिजली आ सकी। इस बीच में लोगों को हैण्ड पम्पों आदि पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि वहां जल के वही एकमात्र साधन थे। अन्य कोई कार्य नहीं किया जा सका। यही सूचना मुझे देनी थी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : तीन खम्भों की मरम्मत करने में २४ घण्टे कैसे लगे ?

†**श्री करमरकर** : प्रश्न केवल तीन खम्भों का नहीं है। एक खम्भा उखड़ जाने से भी इतनी क्षत्ति हो सकती है। जिस की मरम्मत करने में बहुत समय लग जाये। उन की मरम्मत में ११ घण्टे लगे जो अधिक नहीं हैं। वह काम शाम तक ही पूरा हो सका। जैसा मैं ने बताया तीन खम्भे उखड़ गये थे। और दो अन्य क्षत्तिग्रस्त हुए थे।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रखेगी।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** (अडोनी) : मैं आयव्ययक के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। विभिन्न वक्ताओं ने करों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। मेरा निवेदन यह है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ८० प्रतिशत जनसंख्या देहातों में रहती है। और इन लोगों पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों का भार भी पड़ता है। इन लोगों को और अधिक करों के बोझ से नहीं दबाया जाना चाहिए। सरकार की इस आधार पर आलोचना की जा रही है कि ग्रामों का समुचित विकास नहीं किया जा रहा। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं। तथ्य यह है कि गत वर्षों में गांवों में जो काम राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों के अन्तर्गत किया गया है उस पर किसी भी भारतीय को गौरव हो सकता है। इस दिशा में कई प्रकार के रचनात्मक कार्य हुए हैं और गांवों में एक नये प्रकार की क्रांति पैदा हो गयी है। देश में एक नवीन भावना पैदा हो रही है जिसमें ओत प्रोत होकर नवयुवक देश के आर्थिक पुनर्निमाण के लिए उत्तरदायित्व को ग्रहण करने को तत्पर हो रहे हैं। सामाजिक चेतना पैदा हो रही है और वित्तीय सहायता की नयी दिशाओं का निर्माण हो रहा है। इस विकास के मार्ग में यदि कोई रुकावटें आती हैं तो वह हैं नौकरशाही और लालफ़ीताशाही की रुकावटें। अन्यथा ग्रामों का विकास तो सभी दिशाओं से समुचित रूप में हो रहा है। यह भी ठीक है कि हमारा लक्ष्य सहकारी लोकतंत्र है, परन्तु इस कार्य के लिए जनता को अपेक्षित प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध नहीं हो रही। देश के विकास के लिए सहकारिता को प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ाना बड़ा आवश्यक है।

शराब बन्दी का बिलकुल ही विपरीत प्रभाव हुआ है। सभी स्थानों पर अवैध शराब बनना आरम्भ हो गया है। इससे जनता और पुलिस दोनों पर बड़ा अनैतिक प्रभाव पड़ा है। राज्यों को शराब बन्दी हटाने की अनुमति दे दी जानी चाहिये और इससे जो भी राजस्व उपलब्ध हो उसे विभिन्न कल्याण कार्यों पर खर्च करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत चार पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश ने जो प्रगति की है, वह बड़ी ही सराहनीय है। आंध्र में उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की समुचित सहायता करनी चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इसका सारा व्यय केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना देश की सब से बड़ी सिंचाई परियोजना है। पोचमपद परियोजना से तेलंगाना के लोगों को कांफी लाभ पहुंचने की आशा है। यहां पर प्रायः दुर्भिक्ष पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि इसे आंध्र के लाभ की दृष्टि से दूसरी योजना के अन्तर्गत ले लिया जाय। सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस से अन्त में देश को आर्थिक लाभ ही होता है।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश में काफी प्रगति हुई है और वह सब से आगे है। वहां इन परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने की काफी गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए, आन्ध्र के लोगों की यह मांग है कि सरकार को एक अलग पी० एम० जी० का सर्किल बनाना चाहिये ; परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। आंध्र के लोगों की यह शिकायत बनी हुई है कि केन्द्रीय सरकार उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। दक्षिण भारत केवल मद्रास ही नहीं है। आंध्र भी वहां है जिसकी आवश्यकताओं की ओर हमें सहानुभूति दृष्टि से देखना चाहिए।

कृषि उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश ने काफी प्रगति की है, परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सके। गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक वहां किसी भी उद्योग का श्रीगणेश नहीं किया गया। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर भी कम ही ध्यान दिया गया है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि देश के विकास के कार्यक्रम को सन्तुलित तौर पर सारे देश में चालू किया जाना चाहिए। देश भर के क्षेत्रों को एकसा अंश प्राप्त होना चाहिए।

†**श्री रामेश्वर राव** (महबूब नगर) : प्रतिरक्षा अनुमानों के विश्लेषण से पता चलता है कि १९५९-६० का पुनरीक्षित अनुमान २४३.७० करोड़ रुपये का है, परन्तु १९६०-६१ में इस उद्देश्य के लिए २७२.२६ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, यानी केवल २८.५६ करोड़ का ही अन्तर है। इसमें से १८ करोड़ के लगभग की वृद्धि का कारण तो वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वित किये जाने के कारण हुई है। बाकी प्रतिरक्षा व्यय की वृद्धि १० करोड़ रह जाती है। मैं नहीं जानता कि वित्तमंत्री का यह कहना कहां तक ठीक है कि यह व्यवस्था भारत की सीमाओं पर के खतरे को ध्यान में रख कर की गई है। चीन के प्रधान मंत्री भारत आ रहे हैं ; हमें आशा करनी चाहिए कि दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत का परिणाम अच्छा ही निकलेगा। यदि प्रतिरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत करेंगे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपनी हवाई प्रतिरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि 'नैट' और 'हन्टर' हवाई जहाजों के बारे में सही स्थिति क्या है ; क्या उनके पुर्जे न मिलने के कारण वे बेकार पड़े हैं? हमें 'नैट' और 'हन्टर' विमानों को ही नहीं देखते रहना चाहिए ; ये बहुत पुराने हो चुके हैं।

हम आशा करते हैं कि इस बार राजस्व में काफी वृद्धि होगी। कर तो लगाये ही गये हैं, इसके साथ ही त्यागी समिति की सिफारिशों के अनुसार कर एकत्रित करने वाली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वर राव]

मशीनरी को भी तेज़ किया गया है। हमारी अर्थ व्यवस्था का भी विस्तार हो रहा है। जैसा अनुमान है कि हम तीसरी योजना में ९९५० करोड़ रुपये का विनियोजन करेंगे उसके हिसाब से यह ठीक है कि उत्पादन शुल्कों का आधार कुछ व्यापक होना चाहिये, खास तौर पर जब कि प्रत्यक्ष कर लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके है । मुद्रास्फीती की भावना को रोका जाना चाहिए और निर्धारित आय वाले लोगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। डीजल तेल पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, इससे किसानों को काफी निराशा होगी। अतः कृषि उत्पादन की दृष्टि से ५ नये पैसे का अतिरिक्त शुल्क हटा देना चाहिए; एक रुपया काफी रहेगा। इसी प्रकार साइकिल पर भी कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कीमतों की वृद्धि को भी रोका जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो देश के मध्यवर्गी लोगों को काफी हानि होगी। यही लोग हैं जो कि आज देश को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रोटी कपड़े के बारे में जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था का निर्माण ठोस आधार पर नहीं हो सकता। इन आवश्यकताओं से ऊपर उठ कर ही हम कुछ बचा सकते हैं।

देहाती क्षेत्रों में खरीद की क्षमता बहुत कम हो रही है। लगभग ७० प्रतिशत लोग देहातों में ही रहते हैं, इसलिए देहाती और शहरी क्षेत्रों में इस बारे में पूरा सन्तुलन स्थापित होना चाहिए। इसके लिए देहाती क्षेत्रों में विनियोजन भारी मात्रा में किया जाना चाहिए। यह विनियोजन खाद्य उत्पादन और छोटी सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने पर किया जाना चाहिए इससे उत्पादन भी बड़ेगा और खरीद की क्षमता भी बढ़ेगी।

मैंने कई बार सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने का यत्न किया है कि अच्छी कृषि की दृष्टि से हमें छोटी सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए। छोटे तालाबों का बड़े-बड़े बांधों के साथ वही सम्बन्ध है जो कि चर्खे का मिलों से है। हम देहाती अर्थ व्यवस्था को उभारने की दृष्टि से आज भी तीसरी योजना में १४० करोड़ रुपये की व्यवस्था केवल खादी और ग्रामोद्योगों के लिए कर रहे हैं। यदि १५० करोड़ की व्यवस्था छोटे-छोटे तालाबों के लिए कर दी जाये तो खाद्य उत्पादन में बहुत ही वृद्धि की जा सकती है। परन्तु समस्याओं को सरलता से सुलझाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। छोटी सिंचाई को प्रोत्साहन देने से किसानों और देश, दोनों को पूरा लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

एक और समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। देश भर में ज़मीदारी समाप्त की गयी और ज़मीदारों को उसके बदले में बौंड दिये गये। इन बौंडों की बाजार दर वास्तविक मूल्य में ४० प्रतिशत कम है। कई लोगों को इसकी अदायगी भी नहीं हुई और कई मामलों में मुआवजे का अभी पूरा अनुमान भी नहीं लगाया गया, कई को अभी वार्षिक किश्तों में दिया जा रहा है। परन्तु जो धन अभी प्राप्त भी नहीं हुआ उस पर भी कर का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात को उचित नहीं कहा जा सकता।

कल के समाचार-पत्रों में यह खबर दी रूस द्वारा एक कम्पनी के ज़रिये भारत में पैट्रोल संबंधी वस्तुएं बेची जा रही हैं इन सब की अदायगी रुपये में हो रही है। यह वैसे तो हमारे लिये बड़ा लाभदायक है लेकिन मेरा कहना है कि हमें यह देखते रहना चाहिये कि इस धन का उपयोग किस प्रकार हो रहा है । इसका उपयोग यदि व्यापारिक कार्यों पर होता है तो यह अच्छी बात है। परन्तु यदि इस को 'अन्य कारणों' पर खर्च किया जाता है तो यह बहुत ही बुरी बात है। वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इस वर्ष के बजट से गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके फलस्वरूप विनियोजन में वृद्धि होगी । यह बजट पिछले वर्ष के बजट की नीति पर ही आधारित है अर्थात इस बात में भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये राशि उपलब्ध करने के उद्देश्य से गरीबों पर अधिक कर लगाया गया है ।

विकास शील राज्य में बजट उस आर्थिक साधन को कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जाता है । तथापि हमें जो बजट संबंधी पुस्तिकायें या जानकारी दी गई है उससे हमारी अर्थ व्यवस्था की प्रगति को दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है । उसमें अर्थ व्यवस्था पर कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं की गई है और उसमें केवल प्रशासनिक प्रकार की ऊपरी जानकारी दी गई है ।

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि तीसरी योजना के निर्माण के लिये अर्थशास्त्रियों की जो तालिका बनाई गई थी उसने यह निर्णय दिया है कि आगे से योजना बनाने से कोई लाभ नहीं होगा इसके स्थान में विकास योजनाओं के संबंध में क्रमशः आंशिक जानकारी मिलती रहनी चाहिये । डा० जी० आर० गाडगिल जैसे ज्येष्ठ और प्रसिद्ध विद्वान की राय है कि योजना आयोग अनावश्यक है इसके स्थान में योजना तथा जांच अन्य कार्यों के संबंध में सलाह देने के लिये मंत्रिमंडल की एक उप-समिति होना काफी है ।

यह स्थिति बहुत गम्भीर है । एक ओर देश में मुद्रा-प्रसार होता जा रहा है दूसरी ओर सरकार आत्मतुष्ट होकर बैठ गई है । दुःख की बात है कि हमारी शिक्षा संस्थायें भी इस ओर उपेक्षा की नीति बरत रही हैं ।

सरकार की दृष्टि में योजना का अर्थ यह है कि कुछ लक्ष्य निश्चित कर लिये जायें उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उपयुक्त राजस्व की व्यवस्था की जाय । वस्तुतः समाजवादी ढांचे के समाज में इसे आयोजन नहीं कहा जा सकता है । प्रो० बी० आर० शिनोय के शब्दों में "भारतीय अर्थ-व्यवस्था आयोजित यहां तक कि अर्द्ध-आयोजित अर्थ व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आय का ९१ प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है । भारतीय अर्थ-व्यवस्था वस्तुतः बाजार-विनियमित अर्थ व्यवस्था है । क्योंकि यहां बचत, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन का वितरण बाजार-कीमत-व्यवस्था पर निर्भर करता है ।"

हमारे आयोजन का उद्देश्य प्रशासकीय दल के अनुसार, समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना है । अतः योजना की सफलता के लिये हमें यह देखना चाहिये कि इस लक्ष्य में कहां तक पूर्ति हुई है । यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है । यह कहा जा रहा है कि करों के आधार को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है वास्तव में समाज में गरीबी को अधिक प्रसार प्राप्त हो रहा है । हम दोनों गुटों से ऋण ले रहे हैं । लेकिन हम इस बात की उपेक्षा कर रहेहैं कि आर्थिक स्तर पर दोनों गुटों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा है । हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि भारत में इसका क्या परिणाम होगा ।

कल सभा में यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि मुद्रा-प्रसार और कीमतों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । निःसंदेह एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार अनिवार्य होता है तथापि उसकी मात्रा कम होनी चाहिये जिससे उस पर नियंत्रण किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

अब मैं विदेशी सहायता के प्रश्न को लेता हूं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। वित्त मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये। विदेशी सहायता के विषय में केम्ब्रिज के एक प्रोफेसर श्री थामस बालो का कथन है कि कच्चा-माल उत्पादन करने वाले देशों को युद्धोत्तर काल में दी गई सहायता के पश्चात्, वृद्धि को स्थायी बनाने के लिये पर्याप्त पूंजी पाना कठिन ज्ञात हो रहा है। १९५८ के संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व के आर्थिक-सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि व्यापार की शर्तों के हितकर न रहने के कारण कच्चा माल बनाने वाले देशों को जो नुक्सान हुआ वह उनको विदेशी सहायता से प्राप्त लाभ से कहीं अधिक था। इसी प्रकार हम जो विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं यदि उसे ध्यान में रख कर, व्यापार की शर्तें हमारे हक में नहीं होंगी तो सारी विदेशी सहायता का अर्थ ही निरर्थक हो जायेगा। हम अपने समाज में बिना कोई आधारभूत परिवर्तन किये हुए, भूमि संबंधी कानूनों, प्रत्यक्ष करों तथा करा रोपण नीति को बदले हुए, हम केवल पश्चिमी देशों द्वारा दी गई विदेशी सहायता पर जीना चाहते हैं। वित्त मंत्री भी इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था की अधारशिला खाद्यान्न है और हम प्रतिवर्ष ३० लाख टन खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। फलस्वरूप पी० एल० ४८० द्वारा उपलब्ध धन राशि का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं कर प्रस्तावों को लेता हूं। बजट के संबंध में भारत में यह पृथा अपनायी जाती है कि राजस्व प्राप्ति के अनुमानों को घटाकर और व्यय के अनुमानों को बढ़ा कर दिखाया जाता है। यह पृथा भारत जैसे लोक तंत्रात्मक देश के अनुकूल नहीं है।

वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य तथा आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्वीकार कर लिया है कि कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस संबंध में क्या किया है। योजना के उद्देश्यों में एक यह है कि समाज के निम्नस्तर के कल्याण पर विचार किया जायेगा। तथापि स्थिति यह है कि कीमतों की वृद्धि के कारण गरीबों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अमीर और अधिक धनी बनते जा रहे हैं।

सरकार ने मार्ग परिवहन पर कर लगाया है। इसके स्थान में सरकार को किसी अन्य वस्तु पर कर लगाना था। मैंने सरकार को पहिले भी यह सुझाव दिया था कि वह सोने के व्यापार को अपने हाथों में ले लेवें। इससे प्रतिवर्ष सरकार को ४० करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

श्री सुब्बैया ने जीवन बीमा निगम के द्वारा एक नये सौदे में पूंजी विनियोजन का प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न राज्य सभा में श्री बोस के द्वारा भी उठाया गया है। यह कहा गया है कि यह सौदा मूंदड़ा द्वारा किये गये सौदों से भी बुरा है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जीवन बीमा निगम की विनियोग समिति में भारत के रक्षित बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा जीवन बीमा के अध्यक्ष ये तीन व्यक्ति रहने चाहियें जिससे जनता को इन पर संदेह करने की कोई गुंजाइश न रहे।

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने बजट पेश करते हुए देश की आर्थिक अवस्था का जो विश्लेषण किया है और बजट के कागजों के साथ आर्थिक अवस्था के सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सदन के सदस्यों को दी गयी है, वह बड़ी ही उत्साह-वर्धक है।

सभी क्षेत्रों में उत्पादन के बढ़ जाने से देश की आर्थिक अवस्था को जो बढ़ावा मिला है वह सचमुच में न केवल वित्त मंत्री के लिए बल्कि सारे देश के लिए एक खुशी की बात है। यह भी

मैं मानता हूं कि जब हमने देश में योजनापूर्ण विकास का काम अपने ऊपर उठाया है और देश को पुरानी गरीबी से लड़ने के लिए महायुद्ध छेड़ा है, उस समय में देश के सभी वर्गों से त्याग और संयम की आशा करना या त्याग और संयम का आह्वान करना अस्वाभाविक नहीं है। यह भी अस्वाभाविक नहीं है कि जब हमने पंचवार्षिक योजना की स्वीकृति इस सदन से ली और ४६०० करोड़ रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च करने का लक्ष्य अपने सामने रखा, तब देश के वित्त मंत्री कुछ करों के साथ बजट को देश के सामने उपस्थित करें। इस सदन के माननीय सदस्यों को हर साल उस पर आपत्ति करना उचित नहीं, कारण किसी भी देश के विकास केलिए रुपए की आवश्यकता होती ही है, खास कर हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े देश के लिए, जिसकी गरीबी विश्व विख्यात है, उसको हटाने के लिए हम प्रयत्न करें और फिर देश से त्याग और संयमों के लिए आह्वान न करे तो मैं समझता हूं कि वह वित्त मंत्री असफल होगा। वित्त मंत्री की जो स्थिति है वह एक ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति से हर एक आदमी को धक्का सा लगता है। कोई भी वित्त मंत्री जो अभी बीस पच्चीस वर्ष तक हिन्दुस्तान में आएगा—चाहे वह किसी भी पार्टी का हो—अगर वह बिना देश की जनता को तकलीफ दिए, बिना किसी प्रकार के टैक्स लगाए, अगर देश का विकास कर सकेगा तो मैं समझता हूं कि वह कोई जादूगर हो होगा। इसलिए वित्त मंत्री ने जो इन परिस्थितियों में—न केवल वर्तमान वित मंत्री ने बल्कि दूसरे वित्त मंत्रियों ने—देश की कर प्रणाली को सुधारने का प्रयत्न किया है और नए नए कर लगाए हैं, धन पर कर लगाया है, सम्पत्ति पर कर लगाया है, मृत्यु पर कर लगाया है, दान पर कर लगाया है, मैं समझता हूं देश के बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया है। इस आशा से समर्थन किया था कि हम अगर आज त्याग नहीं करेंगे, आज अगर हम संयम नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली संतान को भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पढ़ेगा जिनका आज तक हमको करना पड़ा है।

जो भी कर लगाये गये हैं उस का असर, हम जानते हैं और तमाम देश जानता है, किसी न किसी रूप में वह जन साधारण पर ही जाने वाला है। इसलिय जो कर लगाये गये हैं मैं उन का समर्थन करता हूं, लेकिन एक विचित्र घटना हम को देश में दिखलायी पड़ती है। उस से हमें चिन्ता होती है और वित्त मंत्री को भी चिन्ता होती हैं और साधारण जनता को भी चिन्ता होती है। पिछले वर्ष जब यह कहा गया कि हर क्षेत्र में, विशेष कर औद्योगिक क्षेत्र में हमारा उत्पादन घटा है, तो हमारे देश के अन्दर निराशा छा गयी। बावजूद इस बात कि हम हर साल कठिनायी उठा कर, संयम कर के, बहुत बड़ी रकम देश को कर के रूप में दें और उसे कारोबार में लगाया जाय और फिर भी हमारे देश का उत्पादन न बढ़े तो यह निराशा की बात है ही। पर खुशी की बात है कि इस साल उत्पादन बहुत बढ़ गया है। लेकिन इस बढ़ते हुए उत्पादन के बीच में हमारे देश में एक अभाव सा नजर आता है। इतना उत्पादन होते हुए भी जो हमारे जीवन के लिय आवश्यक चीजें हैं उन का दाम बढ़ता ही जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम कठिनाई उठा कर और देश की गरीब जनता से रुपये लेकर कारोबार में इनवस्ट करें इस आशा में कि इस से जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि योजना पर खर्च करने के फलस्वरूप जो भी थोड़ा सा धन हमारी साधारण जनता के पास जाता है वह जीवन की आवश्यक चीजों के बढ़े हुए मूल्य देने में निकल जाता है। मैं वित्त मंत्री को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करते समय इस सदन के सदस्यों के सामने कुछ आंकड़ रखें जिन से यह मालूम हो सके कि जो हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है, जो देश की सम्पत्ति बढ़ती है, जो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, जो देश की प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ती है, उस का असर हिन्दुस्तान के किन वर्गों पर विशेष कर पड़ता है। यह आसान काम नहीं है। लेकिन एक सरकार के लिये जो कि बड़ी रकम साधारण जनता से अपील कर के बराबर लेती है, यह काम कठिन नहीं होना चाहिए। सरकार को यह दिखलाना चाहिए कि देश में जो धन और सम्पत्ति बढ़ रही है उस का कौन सा हिस्सा किस वर्ग के हाथ में जाता है। मैं ने

[श्री श्री नारायण दास]

माननीय वित्त मंत्री के भाषण को जिस समय वह उसको समन के सामने रख रहे थे, ध्यान से सुना था और फिर बार बार मैं ने उस भाषण को पढ़ा भी है। मैं उन की इस बात का समर्थन करता हूं कि अभी बहुत दिनों तक हिन्दुस्तान की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उस को बड़ा त्याग करना पड़ेगा और तरह तरह से साधन जुटाने के लिये तरह तरह के कर लगाये जायेंगे और जनता को वह कर देने पड़ेंगे। मैं उनके इस आह्वान का समर्थन करता हूं। किसी भी वित्त मंत्री को एसा ही करना चाहिये। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां वह जनता से त्याग और तपस्या के लिये कहते हैं वहां वह यह भी देखें कि क्या सचमुच में हमारी कर प्रणाली ऐसी है कि जिस से सामाजिक न्याय हो सके और हमारी आर्थिक विषमता दूर हो सके। सदन के माननीय सदस्यों ने जो इस के विषय में कहा है मैं उस से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जो उन्हों ने त्याग के लिये आह्वान किया है उस का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि साधारण जनता जो कष्ट उठाती है उस का लाभ कुछ थोड़े से लोग तो नहीं उठा लेते। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो कर लगें हैं उन की दर कम नहीं है, उन की दर बहुत ज्यादा है। हम ने वैल्थ टैक्स लगाया है, गिफ्ट टैक्स लगाया है, प्रापर्टी टैक्स लगाया है। लेकिन जब इतने टैक्स लगा रखे हैं तो क्या कारण है कि हिन्दुस्तान में फिर भी जो लोग धनी हैं उन को ही धन बढ़ता जाता है और जो लोग गरीब हैं, जो बड़ा त्याग कर रहे हैं और बड़ी कठिनाई उठा रहे हैं उन की आमदनी घटती जाती है। मैं यह मानता हूं कि आज जो मजदूर औद्योगिक कारखानों में काम करते हैं उन की आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन जो देश की मध्यम श्रणी के लोग हैं विशष कर जो देहात के छोटे छोटे खेतिहर और मजदूर हैं उन की आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। इसलिये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जो कर हम लगाते हैं उन की वसूली ठीक प्रकार से होती है या नहीं। आज दस बारह वर्ष से जबकि स्वराज्य हुआ है यह बात कही जाती है। और काल्डर साहब ने भी कहाथा कि इस देश में ही नहीं, दूसरे दूसरे देशों में भी आय कर की दर इतनी बढ़ा कर दिखला दी गयी है कि जिस से मालूम होता है कि सामाजिक न्याय पूरा हो गया है। हमारे यहां जो इनकम टैक्स की दर है अगर उस के मुताबिक ठीक प्रकार से टैक्स वसूल किया जाय तो किसी भी धनी आदमी का धन ज्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन बावजूद इस बात के कि हम ने आयकर की दर को इतना बढ़ा रखा है, हम ने एक्सपेंडीचर टैक्स, वैल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी लगा रखा है फिर भी धनी लोगों का धन बढ़ता चला जाता है। तो इस से मालूम होता है कि कहीं न कहीं हमारी अर्थ व्यवस्था में कोई त्रुटि है जिस को हमें दूर करना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि उन के समय में यह करने की कोशिश होगी।

राज्य सभा में भाषण करते हुए वित्त मंत्री ने कुछ माननीय सदस्यों पर आक्षेप किया। वहां शयद किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, जो धनी हैं वे अधिक धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वे अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इस का जवाब देते हुये वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर किसी की मोटर होती है तो उस मोटर को देख कर दूसरे को भी इच्छा होती है कि मुझ को भी मोटर हो, और उस को अपनी आमदनी से मोटर नहीं हो सकती तो उस को तकलीफ होती है। मैं नहीं समझता कि जो माननीय सदस्य सामाजिक न्याय के लिये बात करते हैं उन को किसी के धन से ईर्ष्या है। हमारी पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि हम अपने धन को बढ़ायें, हम ने अपने संविधान में यह उद्देश्य रखा है कि हम अपने देश के धन को बढ़ायें, हम ने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में यह रखा है कि हमारे देश के जो उत्पादन के साधन हैं वे किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के हाथ में न रहें। हम ने अपने संविधान में

यह भी माना है कि हमारी नीति यह होनी चाहिये कि धन एक जगह इकट्ठा न होने पाये। धन का समान बटवारा होना चाहिये। तो जहां हम ने यह उद्देश्य रखा है कि हम को धन बढ़ाना चाहिये वहां यह उद्देश्य भी रखा है कि उस का समान बटवारा हो। इस अवस्था में कोई भी माननीय सदस्य वित्त मंत्री से पूछ सकता है कि क्या कारण है कि हमारे देश में आर्थिक विषमता बनी हुई है। बावजूद इस बात के कि हम ने तरह तरह के इतने टैक्स लगाये हैं, हम देखते हैं कि आर्थिक विषमता को मिटाने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इस में कहीं न कहीं त्रुटि है। हमारी अर्थ व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई कमी है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। यह जो विषमता हो रही है इस की कुछ वजह जरूर है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ यह जो एक अभाव हमारे देश में नज़र आता है, यह जो फिनोमिना है, यह जो दृश्य है हमारी आर्थिक व्यवस्था का, यह हमारे लिये बहुत ही निराशाजनक है और किसी भी वित्त मंत्री के लिये निराशाजनक होना चाहिये और विशेष कर कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री अगर निश्चित हो कर बैठ जाते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। यह ठीक है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है, हमारे देश में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है, हमारे देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और उन में हम बड़ा धन लगा रहे हैं और यह भी ठीक है कि हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप बहुत ज्यादा सुधार हुआ भी है, हमारे प्रयत्नों के कारण लोगों की दशा में जरूर सुधार हुआ है लेकिन जितना बड़ा प्रयत्न हम करते है, जितनी बड़ी कठिनाई में हम जनता को डालते हैं, जितने बड़े त्याग की हम जनता से आशा करते हैं, जितने अधिक संयम से उस को काम लेने के लिये कहते हैं, उस के मुताबिक हमारे प्रशासनिक ढांचे में सुधार नहीं हुआ है। हमारा प्रशासन न तो टैक्सों की वसूली में, न खर्च के मामले में, न खर्च की व्यवस्था करने में, न खर्च में मितव्ययता लाने में उतना सफल होसका है जितना सफल इस को होना चाहिये था, इस के बारे में जितना प्रयत्न होना चाहिये था, उतना प्रयत्न हो नहीं पाया है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि अब समय आ गया है जबकि आप जनता से त्याग की मांग करते हैं तो कम से कम उस की दशा का तो हमेशा ध्यान रखिये। हमारे वित्त मंत्री का वही काम है जैसा कि कालीदास ने अपन किसी काव्य में कहा है कि सूर्य जहां जहां से सम्भव हो, वहां वहां से, तालाबों से, समुद्र से सोख सोख कर पानी ऊपर ले जाता है और फिर उस को चारों ओर बरसा देता है खतों में जिस से कि उपज होती है, इसी तरह से हमारे वित्तमंत्री का भी यही काम है कि जहां भी कहीं धन हो, उस को शासन के खर्च के लिये, देश के विकास के लिये ले लें और फिर उस की न्यायपूर्वक वर्षा कर दें। उन्हें एसी वर्षा नहीं करनी चाहिये कि किसी के घर में तो वर्षा हो और किसी के घर में कोई वर्षा न हो। यदि ऐसा हुआ तो यह उचित नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारे मंत्री महोदय का यह उद्देश्य नहीं है लेकिन आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसी ही बात हो रही है, इसीलिये मैं ने उन का ध्यान इस ओर खींचा है।

श्री कमलनयन बजाज : (वर्धा) जब बरसात होती है तो बराबर नहीं होती है।

श्री श्रीनारायण दास : वह एक एसी प्राकृतिक चीज़ है जिस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है।

श्री त्यागी (देहरादून) : लेकिन हर साल एक ही घर पर नहीं बरसती है।

श्री ब्रजराज सिंह : (फिरोज़ाबाद) : करना नहीं चाहते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : लेकिन हमारे वित्त मंत्री का पर्स पर, खज़ाने पर कंट्रोल हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री श्रीनारायण दास : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बहुत बड़ी रकम प्रशासन पर खर्च कर रहे हैं, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं और इतनी खर्च कर रहे हैं

[श्री श्री नारायण दास]

जिस का कोई ठिकाना नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों में, खेती के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, प्रान्तों में, केन्द्र में, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा तथा और तरीकों से हम यह सब खर्च कर रहे हैं । इस तरह से एक तरफ तो उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दाम बढ़ रहे हैं जोकि एक बहुत ही विचित्र बात है । इस के बारे में जब पार्टी में सवाल उठा तो लोगों ने भी कहा कि साहब यह एक अभुत दृश्य है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । हमारे लिए यह बड़े दुःख की बात है कि हम इतने बड़े प्लान को तो चला सकते हैं, प्लान में जो इतनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं, उनको तो चलाते हैं लेकिन जनता के उस भाग की जिस के पास न अखबार हैं, न वह बोल सकता है और न ही उसके पास कोई दूसरी ताकत है, हम रक्षा नहीं कर सकते हैं । राष्ट्रीय क्षेत्र में हम जिस पैमाने पर खर्च करते हैं, आज उस में कंट्रोल की बहुत ज़बर्दस्त आवश्यकता है । कंज़म्पशन पर नियंत्रण करने को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में माना है लेकिन कंज़म्पशन को नियंत्रण करने जब सवाल आता है, जब कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर हमारे वित्त मंत्री महोदय तथा उनके साथ साथ दूसरे लोग जो हैं वे हल्ला करते हैं कि साहब हमारे देश में कंट्रोल चल नहीं सकते हैं । जब इस तरह की बात कही जाती है तो बहुत दुःख का अनुभव होता है । प्रशासन के ज़रिये से आप १२ अरब रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन कपड़े और अन्न का वितरण लोगों को जरूरतों के मुताबिक, किफायती दामों पर आप नहीं कर सकते हैं । अगर आप कंट्रोल को नहीं चला सकते हैं तो आप प्लान को न चलायें । मैं जानता हूं कि कंट्रोल्स में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन प्रशासन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है ? जब प्रशासन पंचवर्षीय योजनाओं को चला सकता है तो क्या उसके पास इतने ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता नहीं हैं जो देश में कपड़े, वस्त्र और अन्न तथा और जो एक दो जरूरी चीजें हैं, उनका वितरण समुचित ढंग से जनता के लिए कर सके ? यदि यह नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इतनी बड़ी पंचवर्षीय योजना चलाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए ।

अन्त में मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जब देश का उत्पादन बढ़ रहा है तो उससे जनता का कौन सा भाग, जनता का कौनसा हिस्सा लाभ उठाता है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के के लिए, इस मामले की छानबीन करने के लिए अगर कोई कमिशन या कमेटी भी बिठानी पड़े तो वैसा करने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए । अगर हमारा योजना आयोग इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है कि हमारे देश में अब तक जितने रुपये खर्च हुए हैं उनका लाभांश जनता के किस तबके को गया है, जनता के किस क्षेत्र में गया है, तो कोई कमिशन या समिति इसकी जांच करे और यदि ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि इससे हम लोगों के दिमाग भी साफ हो सकते हैं और सरकार का दिमाग भी साफ हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री महोदय ने जो कर-प्रस्ताव रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो कुछ बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दिया जाये ।

†**श्री अय्याकण्णु** : (नागपट्टिनम्—रक्षित--अनुसूचित जातियां) : इस वर्ष के आयव्ययक के बारे में कोई विशेष विचार-वभिन्नता नहीं है । परन्तु इसका यह कदापि परिणाम नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमारी आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक है । यह देखने की बात है कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाने पर भी कीमतें कम नहीं हुईं । इस कारण यह बहुत आवश्यक है कि कीमतों पर नियंत्रण रखा जाये । तीसरी योजना के निर्माताओं में से अपील

†मूल अंग्रेजी में

करूंगा कि वे इस तथ्य का ध्यान रख कर योजना बनायें । इस उद्देश्य के लिए समुचित धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जा सके । उर्वरक के कारखानों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए तथा फसल बीमा योजना और किसानों को ऋण देने की योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए ।

आज देश की अर्थ-व्यवस्था और लोकतंत्र को सब से अधिक खतरा हमारी बढ़ रही बेकारी से है । इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए । अनुसूचित जातियों के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । उनकी स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त कुछ किया जाना चाहिए ।

करों के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि अप्रत्यक्ष करों का भार अन्ततोगत्वा गरीब जनता पर ही पड़ता है । कुछ थोड़े ही लोगों के हाथ में धन का चले जाने बड़े भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है । प्रत्यक्ष कर लगाये जाने चाहिए, इस से अपवंचन बहुत कम होता है । श्री कालडोर का कहना है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग २०० से ३०० करोड़ रुपये तक कर का अपवंचन होता है । दूसरे देशों में कर देने वालों के नाम स्थानीय अखबारों में प्रकाशित कर दिये जाते हैं । इससे लोग ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं । और इससे नियंत्रण रखा जा सकता है । इस तरीके से लोग अपने बड़प्पन के लिये भी कर-अपवंचन नहीं करेंगे और अपनी आमदनी कुछ बढ़ा कर ही दिखायेंगे । हम भी ऐसा ही कर सकते हैं ।

करों के भार से देश की देहाती जनता तो प्रायः समाप्त हो चुकी है । शहरों में सीधे कर द्वारा राजस्व की वृद्धि की जानी चाहिए, अप्रत्यक्ष कर ठीक नहीं है । वैसे भी समाजवादी समाज की रचना की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर ही ठीक साधन है ।

मेरा निवेदन है कि निवेली परियोजना की क्षमता २५ लाख टन से ६५ लाख टन की जानी चाहिए ताकि आंध्र में इस्पात संयंत्र लगाने की व्यवस्था की जा सके । कावेरी बेसिन में तेल का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि कृषि के लिए उपयोग किये जाने वाले डीज़ल तेल पर कर कम किया जाना चाहिए । साइकिलों पर कर को तो हटा ही दिया जाना चाहिए । यह आम आदमियों के प्रयोग की वस्तु है । फिल्म उद्योग पर जो कर लगाया गया है, इस से उद्योग पर बहुत सी बुरा प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार में फिल्मों पर कर उनकी लम्बाई के अनुपात से लगाया जाना चाहिए । इससे एक यह भी लाभ होगा कि लम्बी फिल्में बननी बन्द हो जायेंगी ।

श्री साधू राम (जालंधर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जो टैक्स लगाये जा रहे हैं मैं उन के सम्बन्ध में सब से पहले कहना चाहता हूं । यह ठीक है कि बगैर टैक्स लगाये हुए कोई देश तरक्की नहीं कर सकता और आगे नहीं चल सकता, लेकिन जो टैक्स अवाम को ऐफेक्ट करते हैं वह देश में नहीं लगाये जाने चाहियें । इस वक्त देश के हालात ऐसे हैं कि वह एक क्राइसिस में है, अवाम की हालत बहुत बुरी है । आज हमारे सामने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पेट भर रोटी नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते और जिन के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं । ऐसी दशा में जब अवाम पर टैक्स लगाये जाते हैं तो उन से बहुत बुरा असर पड़ता है ।

आज देश में हरिजन बेचारे करोड़ों की तादाद में हैं, उन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन वह रियायतें बहुत कम हैं । उन को वजीफे दिये जाते हैं लेकिन एक एक साल तक वह वजीफे उन को नहीं मिलते हैं जिस की वजह से आज उन को अपनी

[श्री साधू राम]

पढाई बन्द करनी पड़ रही है । उन को गवर्नमेंट वक्त पर स्कालरशिप्स नहीं देती है । पहले स्कीम थी कि दसवीं जमात तक जो हरिजन बच्चों को वजीफे दिये जाते थे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिये जाते थे, लेकिन पिछले साल से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह तय कर दिया कि वह स्टेट गवर्नमेंट ही तकसीम करेंगी । स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत यह है कि एक एक साल तक किसी बच्चे को वजीफा नहीं मिल रहा है और वे बेचारे हाहाकार कर रहे हैं । उन की पढ़ाई रुक रही है । घर में उन के इतनी ताकत नहीं है कि वे फीस और दूसरे एखराजात बर्दाश्त कर सकें ।

इस के अलावा मुल्क में अनाज की किल्लत है । अनाज दूसरे देशों से हम को मंगवाना पड़ता है । आज २० रु० मन भाव है गन्दम का और गरीब लोगों के लिये बड़ी मुश्किल है । जो बाल बच्चेदार परिवार है वह २० रु० मन गन्दम ले कर अपनी गुजर कैसे कर सकता है ? अगर जमीन की तकसीम का सवाल आता है कि जमीन तकसीम कर दी जाय ताकि मुल्क की पैदावार बढे तो जमीन तकसीम नहीं होती है । मैं जानता हूं कि पंजाब में लाखों एकड़ जमीन है जो बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, लेकिन उस जमीन को तकसीम करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही है । जिस वक्त जमीन का तकसीम करने का सवाल आता है उस वक्त पता नहीं कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा कहां चला जाता है । अगर जमीन लोगों को नहीं दी जाती तो कोआपरेटिव फार्मिंग कहां की जायेगी और मुल्क में पैदावार कैसे बढ़ेगी ? रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के लिए पंजाब में ११ लाख एकड़ जमीन की अनअलाटेड एरिया निकली है । मैं ने इस के लिए होम मिनिस्ट्री को भी लिखा और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की कमेटी में भी उठाया कि इस सवाल को लिया जाय, लेकिन जवाब यह मिला कि वह जमीन पंजाब गवर्नमेंट को फरोख्त कर दी गई है और उस को देने का हक पंजाब गवर्नमेंट को ही है । पंजाब गवर्नमेंट उसे देगी या नहीं, यह बड़ा टेढ़ा मसला है । मेरे खयाल में तो वह जमीन नहीं दी जायेगी । दूसरी और भी जमीनें हैं जो दी जा सकती हैं । सीलिंग मुकर्रर हुई है लेकिन उस का इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता और सीलिंग के कानून को बेमाने बनाया जाता है । ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि जब ऐसे टैक्स लगाये जाते हैं तो उस से लोगों का कचूमर निकल जाता है । जो लोग गरीब हैं वह तो इस गरीबी की दशा में भी पीसे जा रहे हैं, और अमीर लोग जो हैं उन का धन बढ़ता चला जा रहा है । हम लोग मानते हैं कि हिन्दुस्तान के ८० फी सदी लोग देहातों में रहते हैं और कुल २० फी सदी लोग शहरों में रहते हैं । लेकिन शहर के थोड़े से लोगों की आमदनी बढ़ती चली जा रही है, और देहातों की बहुत बुरी हालत है । जिस वक्त मैं देहातों में जाता हूं तो देखता हूं कि उन गरीबों के घरों में खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती, वे लोग अपने बाल बच्चों के पेट पर पत्थर बांध कर सोते हैं, उन के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, हैवानों से भी बदतर उन की हालत है, उन के यहां गन्दगी भरी हुई है । जब यह हालत है तब फिर क्या किया जाय ? उस गरीब को मदद करने के लिए जब हम कहते हैं तो उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है । मैं जमीन को तकसीम करने के बारे में कह रहा था, उस को तो छोड़िये, लेकिन पंजाब में तो मैं यह देखता हूं कि जिस वक्त कंसोलिडेशन होता है उस वक्त हरिजनों या गैर जमींदारों के लिये घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं छोड़ी जाती है । आज इस आजाद हिन्दुस्तान में रहने वाले यह महसूस नहीं करते हैं कि आजादी किस बला का नाम है । एक तरफ हमारा समाजवाद का नारा है लेकिन दूसरी तरफ इस समाजवाद के नारे के बावजूद लोग टैक्सों के बोझ से दबे जा रहे हैं । सेंट्रल टैक्सों को तो छोड़िये, स्टेटों में तरह तरह के टैक्स हैं, पंजाब में मरला टैक्स है,प्रापर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, हाउस टैक्स है, इतने टैक्स हैं कि मैं गिना नहीं

सकता । मैं समझता हूं कि टैक्सों की कोई ऐसी स्कीम भी होनी चाहिए जो लोगों को ऊपर उठाने की हो ।

हम ने यहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात बहुत सुनी । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ में गरीबों के पास कोई कारखाने नहीं, कोई छोटे धंधे नहीं । उन को भी सब बड़े बड़े आदमी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के नाम पर ले लेते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि देश में जो टैक्स अवाम को ऐफेक्ट करते वे हैं न लगाये जायें, और उन की मुखालिफत करनी चाहिये ।

हरिजनों के लिये सर्विसेज़ में रिज़र्वेशन मिला हुआ है, और तरह की रियायतें दी गई हैं । उस रिज़र्वेशन को पूरा करने के लिये होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर सन् १९५७ में निकाला था कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मिनिस्ट्री में उसे इम्प्लिमेंट किया जाय, लेकिन किसी महकमे ने ऐसा नहीं किया । रेलवे मिनिस्ट्री ने उस पर थोड़ा सा अमल किया तो उस के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हो गया, हाई कोर्ट में उस के खिलाफ फैसला हो गया । वह फैसला होने के बावजूद मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिये । हरिजनों की हालत को अच्छा करने के लिये वह चीज दी गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से कानून के जरिये से उस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । हाई कोर्ट ने लिखा है कि वह चीज अनकान्स्टिट्यूशनल है । अनकान्स्टिट्यूशनल चीज को कांस्टिट्यूशन के तहत कैसे लाया जायेगा, वह तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ही ला सकते हैं । मैं समझता हूं कि इस के लिये एक कमिशन मुकर्रर होना चाहिये जिस में पार्लियामेंट के मेम्बर भी हों और उस के जरिये से देखा जाय कि कान्स्टिट्यूशन ने जो रिजर्वेशन हरिजनों को दिया है, देश भर में वह पूरा हो रहा है या उसे बराये नाम ही रक्खा गया है । वह आज स्टेटों में भी पूरा नहीं हो रहा है सेन्टर में भी पूरा नहीं हो रहा है । मैं इस कमिशन के ऊपर जोर देता हूं । यह कमिशन जरूर मुकर्रर होना चाहिये जो देश में घूम कर स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशंस और सेन्ट्रल ऐडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट ले कि हरिजनों के लिये पूरा रिजर्वेशन उन के यहां होता है या नहीं और उसे पार्लियामेंट के अन्दर पेश किया जाय ।

सेन्टर के टैक्स और स्टेट्स के टैक्स जो हैं उन सब को एक जगह और एक पैमाने पर देखना चाहिये । किस स्टेट में कितना टैक्स लगाया गया है और सेन्टर में कितना टैक्स लगाया गया है और सेन्टर का जो टैक्स है उस से स्टेट को कितना मिल रहा है, क्योंकि स्टेट्स के लोगों के पास रोजगार नहीं हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से काई आसानी नहीं मिलती है । इस कमरतोड़ मंहगाई के जमाने में, जिस वक्त लोगों में इतनी बेचैनी हो, मेरे खयाल में इतने टैक्स नहीं लगाये जाने चाहियें । आप गन्ने की कीमत को ले लीजिये । गन्ने की कीमत वही है, लेकिन खांड ब्लैक मार्केट में बिकती है । शहरों में खांड कंट्रोल रेट यानी १ रु० २ पैसा सेर नहीं मिलती है, ब्लैक मार्केट में बिकती है और आप एक ही जगह से १०० बोरे ले सकते हैं । तो क्या गवर्नमेंट का यह फर्ज नहीं है । जहां गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वहां गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन चीजों पर कंट्रोल करे ताकि मुल्क में ये चीजें थोड़ी कीमत पर मुहय्या हो सकें ।

पे कमीशन की रिपोर्ट यहां आयी । उस की वजह से सारे सरविस वाले रो रहे हैं । वह कहते हैं कि हम को कुछ मिला नहीं है, और गवर्नमेंट कहती है कि हम ने बहुत कुछ दे दिया है । तो इस बेचैनी को दूर करना गवर्नमेंट का फर्ज है । आज जो थोड़े से छोटे छोटे स्माल स्केल के धन्धे चल रहे हैं उन को बचाना चाहिये । चप्पल बनाने वाले एक डेपूटेशन ले कर आये । वह बताते हैं कि रबड़ की चप्पल जब तैयार करते हैं तो उस के सोल और हील पर टैक्स लगा है, लेकिन मुकम्मिल चप्पल तैयार करने वालों को भी एक्साइज़ वाले घेर रहे हैं और उन के कारखाने बन्द हो रहे हैं । जो लोग छोटे कारखानों में छोटे इंजिन बनाते हैं वह एक इंजिन बेच लेते हैं तो दूसरा बनाते हैं । एक दो महीना एक इंजिन बनाने में लग जाता है । साल में पांच छै इंजिन बनाते हैं । ऐसे कारख़ानों पर

[श्री साधू राम]

भी टैक्स लगाया गया है। मेरी दरखास्त है कि मंत्री जी को इन छोटे कारखानों को बचाने के लिये और देश की जनता की तरक्की के लिये विचार करना चाहिये ।

एक तरफ तो हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे देश में क्राइसिस है और रुपया हमारे पास नहीं है, टैक्सों से रुपया आएगा तो हम उस से देश का विकास करेंगे । दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि चंडीगढ़ जैसा शहर बसाया जा रहा है जिस पर कई अरब रुपये लग गये और पता नहीं कि कितने सालों में खत्म होगा या नहीं । तो वह रुपया कहां से आता है । अगर देश में लोगों से रुपया लेना है तो आप को देश में ऐसी चीजें करनी चाहियं जिन से लोगों में विश्वास पैदा हो, लोगों को तकलीफ तो होगी, मुल्क को बनाने में लोगों को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उस के साथ साथ उन को विश्वास होना चाहिये कि जो टैक्स हम से लिया जा रहा है उस को हमारे ही लिये खर्च करने का गवर्नमेंट का खयाल है। अगर आप चंडीगढ़ जैसे शहर बनाने के लिये उन का रुपया खर्च करेंगे तो उन में विश्वास पैदा नहीं होगा ।

एक तरफ तो हम गरीबी का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ हम फिजूल खर्च करने के लिये टैक्स लगाते हैं । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो फिजूलखर्च हैं उन को बन्द करना चाहिये जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, ख्वामख्वाह नये शहर आबाद करना वगैरह । आप जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं और देहात में जहां जरूरत है वहां खर्च नहीं कर रहे हैं । मुल्क का रुपया गवर्नमेंट के पास है । उस को ध्यान देना चाहिये कि जिन लोगों को सुविधायें नहीं मिल रही हैं उन को ज्यादा सुविधायें दी जायें, और मुल्क में जो टैक्स अवाम को एफेक्ट करते हैं उन को बन्द किया जाय ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं माननीय मंत्री को इस आयव्ययक के लिये बधाई नहीं दे सकता । इस आयव्ययक को देखने से मेरी धारणा ऐसी है जैसे यह आयव्ययक किसी भिखारी की महत्वाकांक्षाओं का आयव्ययक हो । आयव्ययक में सर्वाधिक महत्व योजना को दिया गया है । अगर जरा विचार करें, तो आप को आश्चर्य होगा कि तीसरी महान् योजना के लिये हमारे पास संसाधन कहां से आयेंगे ।

आयव्ययक में राजस्व का अनुमान ८९६ करोड़ रु० का है और व्यय का अनुमान ९८० करोड़ रु० है। इस प्रकार ८६ करोड़ रु० की कमी है । इस में से २३ करोड़ नये करों द्वारा प्राप्त किया जायेगा और शेष राजकोषीय हुण्डियों द्वारा । मैं कई बार कह चुका हूं कि राजकोषीय हुण्डियों का इस प्रकार दुरुपयोग न किया जाये । यह भी एक प्रकार की घाटे की अर्थ व्यवस्था है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों में २४५० करोड़ रु० व्यय हो चके हैं । चालू वर्ष में ११२१ करोड़ रु० व्यय होंगे और आय-व्ययक वर्ष में ११७४ करोड़ रु० व्यय होंगे । इस प्रकार कुल योजना-काल में लगभग ४७०० करोड़ रु० व्यय होंगे । इस सम्पूर्ण राशि में से, आप को यह जान कर आश्चर्य होगा, ७५ प्रतिशत भाग या तो ऋण द्वारा या घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध हुआ है ।

आयव्ययक वर्ष के अन्त तक १६५० करोड़ रु० की राजकोपीय हुण्डियां हो जायेंगी । राजकोषीय हुण्डियों का अर्थ है कि सरकार बिना सोना रखे रिजर्व बैंक से हुण्डियां निकलवाती रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी एक तरह से अतिरिक्त नोट छापना ही है। इस के अतिरिक्त १२०० करोड़ रु० की स्पष्ट घाटे की अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार कुल लगभग ४६०० करोड़ रु० में २८०० करोड़ रु० की घाटे की अर्थ व्यवस्था है। फिर ८०० करोड़ रु० का ऋण आदि है। अतः यह राशि ३६०० करोड़ रु० हो जाती है।

९०० करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि करों से वसूल की गयी है जोकि प्रशासन व प्रतिरक्षा आदि के लिये व्यय हुई है। स्पष्ट है कि ४६०० करोड़ रु० में से ३६०० करोड़ रु० की राशि हम ने घाटे की अर्थव्यवस्था से प्राप्त की है। अब सवाल है कि तीसरी योजना के लिये संसाधन कहां से आयेगा ?

साथ ही हमारे पौण्ड पावने की हालत भी बड़ी खराब है। १९ फरवरी, १९६० को हमारे पौण्ड पावने की रकम २०३ करोड़ रु० थी। इस में से हम विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा ११५ करोड़ से अधिक नहीं निकाल सकते। ८५ या ८८ करोड़ रु० हम निकाल चुके हैं। शेष करीब ५० करोड़ रु० हैं और तीसरी योजना हम १०,००० करोड़ रु० की लागत की बनाना चाहते हैं। इस के अतिरिक्त पुराने ऋण आदि भी हमें चुकाने हैं। क्या सभा यह नहीं पूछ सकती कि तीसरी योजना के लिये संसाधन कहां से आयेंगे ? क्या यह सभा के लिये चिन्ता की बात नहीं है ?

चाहे आप मानें या न मानें पर रुपये का मूल्य भी कम हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। माननीय मंत्री का यह कहना गलत है कि उन्हों ने मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण कर लिया है।

देश में एक वर्ष में १७० करोड़ रु० की मुद्रा की पूर्ति की गई है। यह देश में विद्यमान मुद्रा का लगभग १० प्रतिशत है। उत्पादन उस अनुपात से बढ़ा नहीं है। बाजार में सोने का मूल्य बढ़ रहा है। सोने का मूल्य बढ़ने का मतलब यही है कि रुपये का वस्तु-मूल्य कम हो रहा है। और इसी कारण चारों तरफ हड़तालें आदि हो रही हैं।

अतः हमारे सामने समस्या यह है कि दूसरी योजना के लिये तो हम ने इन उपायों से धन प्राप्त किया है, पर कब तक हम इन उपायों का सहारा लेते रहेंगे ? एक समय आयेगा जब रिजर्व बैंक भी राजकोषीय हुंडियां जारी नहीं करेगा। इस प्रकार हम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

हम नोट छाप कर के तथा विदेशों से ऋण ले कर धन खर्च कर रहे हैं। पर उस धन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आप का कहना है कि आप जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये धन खर्च कर रहे हैं। पर मैं पूछता हूं कि क्या आप इस ऋण को वापस करने और इन नोटों को कम करने में सफल हो सकेंगे ?

अब मैं पौण्ड पावने तथा विदेशी प्रतिभूतियों की बात लेता हूं। १९५८–५९ के आयव्ययक के आंकड़े के अनुसार चालू खाते में ३३९ करोड़ रु० का घाटा था, जिस में से विदेशी पूंजी विनियोजन द्वारा हम ने ३२० करोड़ रु० की पूर्ति की। १९५९-६० के ६ महीनों में चालू खाते में १४२ करोड़ रु० का घाटा था, जिस में से ११५ करोड़ रु० की पूर्ति हम ने विदेशी ऋण से किया। माननीय मंत्री का कहना है कि हमारे पास विदेशी ऋण का सब से बड़ा सहारा है। आखिर विदेशी ऋण हमें कब तक मिलता रहेगा ? आप कहते हैं कि हम किन्हीं शर्तों पर ऋण नहीं लेते। बिना किसी शर्त या दबाव के ऋण लेते हैं। पर आप को पता होना चाहिये कि ऋण लेने वाला अनेक प्रकार से हमेशा दबाव में रहता है। इस का काफी राजनैतिक दबाव पड़ता है।

[श्री नौशीर भरूचा]

अब मैं कर प्रस्थापनाओं के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । एक ओर सरकार कृषि के लिए सस्ती बिजली दे रही है दूसरी ओर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले अन्तर्दाह इंजनों पर कर लगाया जा रहा है । बताइये इस प्रकार उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? यही बात साइकिल पर लगाये गये कर के संबंध में हमें कहना है । माननीय मंत्री को साधारण जनता की तकलीफों का क्या पता ।

सड़क परिवहन पर भी माननीय मंत्री ने काफी कठिनाई पैदा कर दी है । बड़ी गाड़ियों, कारों तथा अन्य गाड़ियों पर मूल्यानुसार जो कर लगाया गया है, वह सड़क परिवहन की वृद्धि में बाधक है । इसी तरह डीजल तेल व टायरों पर कर लगाना भी सड़क परिवहन को हानि पहुंचाना है ।

मैं इस बात को ठीक समझता हूं कि सहकारी समितियों की आप को भी आय-कर की सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है ।

इनामों बाण्डों के संबंध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जनता यही समझती थी कि माननीय मंत्री का चारित्रिक आदर्श बहुत ऊंचा है, पर वह बहुत नीचे स्तर पर आ गये हैं ।

डाक तथा तार विभाग को भी रेलवे के समान स्तर पर लाने की बात का मैं विरोध करता हूं । भारित पूंजी के आधार पर भुगतान करने का सिद्धान्त गलत है । इससे सामान्य राजस्व को उसका अंश नहीं मिल पायेगा । फिर इस प्रकार इस विभाग पर से संसद् का अधीक्षण भी हट जायेगा । मेरा सुझाव है कि रेलवे अभिसमय समिति, जो नियुक्त की जाने वाली है, एक सार्वजनिक उपयोगिता अभिसमय समिति बनाई जाये और इन व्यापारिक विभागों से एक उचित आधार पर धन लिया जाये ।

कल बम्बई में जो राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रकाशित हुआ है, उसके संबंध में मेरा कहना है कि यह अच्छा है कि महाराष्ट्र व गुजरात दो राज्य बनाये जा रहे हैं । बम्बई राज्य के उत्तर व दक्षिण के सीमा विवादों के संबंध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं अपनाये गये हैं । अतः माननीय गृह-कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह विधेयक के उपबन्धों को सुधार दें ताकि सीमाओं का निर्धारण एक समुचित सिद्धान्त पर हो और दोनों राज्यों में शान्ति व सुन्दर व्यवहार रहे और वे पुरानी दुखान्त घटनाओं को भूल जायें ।

†**श्री कमल नयन बजाज** : विकासशील अर्थ व्यवस्था वाले देश में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने और सुदृढ़ बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है । वित्त मंत्री का बजट इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का संबंध है यह देश की साख के लिये आवश्यक है । तथापि घाटे की अर्थव्यवस्था तथा ऋणों की समस्त धनराशि परियोजनाओं में लगायी जानी चाहिये । जिन से भविष्य में आय हो सके । विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्राप्रसार अनिवार्य होता है इसे रोकने के लिये उत्पादन में वृद्धि होनी आवश्यक है । वर्तमान बजट से उत्पादन की गति में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और तृतीय योजना की नींव सुदृढ़ होगी ।

मेरा सुझाव है कि आय कर की छट की सीमा ३००० रु० से बढ़ा दी जाय । इसके कई कारण हैं पहिला तो यह है कि आज कल कीमतों में वृद्धि हो गई है, दूसरे यह सीमा अभी हाल घटाई गई थी पहिले यह ऊंची थी तीसरे यह कि इस वर्ग के लोगों से कर वसूल कम होता है जब कि उसके संग्रह में व्यय ज्यादा किया जाता है अतः वित्त मंत्री को छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिये ।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रत्यक्ष करों की मात्रा बहुत ऊंची हो गयी है अतः अप्रत्यक्ष करों को अधिक व्यापक बनाना आवश्यक है। तथापि साथ साथ हमें प्रत्यक्ष करों में कटौती करनी चाहिये और कर-अपवंचन को रोकना चाहिये।

इस वर्ष कई वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। सिद्धान्त रूप से मैं इस पर सहमत हूं। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिन वस्तुओं पर यह उत्पादन शुल्क लगाया गया है वे इन करों का भार वहन करने में समर्थ हैं। लेम्पों पर ५०% उत्पादन शुल्क लगाया गया है तथापि यथार्थ कर ६०% से भी अधिक आता है। आउटो-सायकिलों पर लगाया गया कर बहुत अधिक है यह शुल्क १७५ रुपये हैं। ३०० रुपये की आउटो-सायकिलों पर १७५ रुपये कर लगाना बहुत अधिक है। आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

अब मैं बिक्री कर को लेता हूं, विभिन्न राज्यों में बिक्री करों की दरें भिन्न हैं इसमें कई जटिलतायें और झगड़े पैदा होते हैं मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे विभिन्न राज्यों के बिक्री करों का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में एकीकरण कर देवें। इससे कई जटिलतायें दूर हो जायेंगी और सरकार को कम व्यय पर अधिक राजस्व की प्राप्ति हो जायेगी।

पिछले वर्ष कम्पनी करों में संशोधन करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि ये संशोधन अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिये नहीं अपितु प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिये किये जा रहे हैं। परन्तु इसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है जो कम्पनी विशेषज्ञों की दृष्टि से बहुत अधिक है। अतः माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

लाभांश के संबंध में तरजीही हिस्सेदारों और कम्पनियों में मतभेद पैदा हो गया है। जिसके फलस्वरूप मुकदमेबाजी इत्यादि होने की संभावना है। इसका कारण कर लगाने की नयी प्रणाली है अतः सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और तरजीही हिस्सों के संबंध में पूर्व-स्थिति बने रहने देवें। मैं बोनस अंशों पर कर लगाने से सहमत नहीं हूँ। माननीय मंत्री को इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये।

पूर्त संस्थाओं को दान देने में आयकर से छूट दी गई है। मेरा सुझाव है कि इस छट को भूमि, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं पर भी लागू किया जाय। साथ ही इस कर की राशि को कई वर्षों की अवधि में प्रसार करने की रियायत भी दी जाय, इस व्यवस्था के न रहने पर यह होता कि है कि लोग भूमि, मकान इत्यादि दान रूप में देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं।

चीन के प्रधान मंत्री भारत आ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि देश में मैत्रीपूर्ण वातावरण पैदा हो जिससे हमें इस वार्ता में सफलता मिले तथापि कुछ सदस्यों ने सभा में ऐसे भाषण दिये हैं कि उनसे वातावरण बिगड़ने की संभावना है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे घर आये मेहमान का हार्दिक स्वागत करें।

अब मैं भ्रष्टाचार को लेता हूं। यदि हममें भ्रष्टाचार का सामना करने का नैतिक साहस है तो हमें भ्रष्टाचार से नहीं डरना चाहिये लेकिन दुख की बात यह है कि हममें भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का नैतिक साहस नहीं रहा है। साथ ही यदि हमें भ्रष्टाचार दूर

[श्री कमल नयन बजाज]

करना है तो पहिले हमें अपने ही दल अर्थात् कांग्रेस से भ्रष्टाचार दूर करना होगा और उसमें अनुशासन बनाना होगा तभी देश से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

†श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : मुद्रा प्रसार और कीमतों में वृद्धि के संबंध में वे ही लोग बढ़ चढ़ कर बातें कह रहे हैं जो स्वयं इन प्रवृतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति कम करने के नाम पर सरकार निरंतर अप्रत्यक्ष कर लगा रही है। फलस्वरूप मध्यमवर्ग के वेतन भोगी वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी दशा गिरती जा रही है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान इसी बुद्धिवादी मध्यमवर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया और उसकी चोटों को सहा। आज भी हमारे आर्थिक संघर्ष में यही मध्यम वर्ग जिसे हमने उपेक्षित कर दिया है महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। इसका कारण यह है कि ये वेतन भोगी कर्मचारी ही हमारी कार्यपालिका के मुख्य अंग हैं जिनके सहयोग के बिना हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हैं यह कहना गलत है क्योंकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से ही कर प्राप्त करती है वास्तविक उत्पादन का सारा कार्य राज्य ही करते हैं। तथापि उनके पास करों का थोड़ा सा अंश बच रहता है इस कारण वे अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन नहीं दे सकते हैं अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर ध्यान देना चाहिये।

वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी दिल्ली में ही रहते हैं और उनकी परिस्थितियां केन्द्र के कर्मचारियों की तरह हैं अतः उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन क्रम मिलना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी राज्यों में काम करते हैं उन्हें राज्य सरकारों के वेतन क्रम दिये जायें। भला दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दिनों में विभिन्न वेतन स्तर रखने के भले हों कोई कारण हों लेकिन अब स्थिति बदल गई है अतः माननीय वित्त मंत्री को राज्य सरकारों को ऐसे संसाधन देने चाहियें कि वे अधिक कर दे सकें। सरकार को चाहिये कि वे द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंत तक राज्यों के साथ इस प्रकार का समझौता करे कि एक ही नगर में रहने वाले केन्द्रीय तथा राज्य कर्मचारियों का वेतन क्रम समान रहे।

श्री नारायणन् कुट्टि ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को कीमतों तथा मजूरी में समन्वय रखना चाहिये और कीमतों में वृद्धि के साथ मजूरी में वृद्धि होनी चाहिये क्योंकि यदि सरकार वेतन में ५ रु० बढ़ाती है तो व्यापारी उससे १५ रु० लेने का प्रयत्न करता है। यह ठीक है। मेरा सुझाव है कि सरकार वेतन तथा मजूरी को खाद्यान्न के रूप में देने की संभावना पर विचार करे। सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहती है अतः सरकार को चाहिये कि वे वेतन या मजूरी के स्थान में ८ या १० खाद्यान्नों को सरकारी समितियों द्वारा वितरित करें इससे कीमतों की वृद्धि पर रोक लगेगी। कीमतों में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि हम लोग एक वेतन भोगी वर्ग की ओर अधिक ध्यान देते हैं और अन्य वर्गों की उपेक्षा करते हैं इससे असंतोष बढ़ता है। इसके स्थान पर हमें उनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिये और मजूरी पाने वाले या वेतन भोगी अन्य वर्गों पर भी उचित ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच मजूरी के संबंध में समझौता हो जाना चाहिये। आज वेतनों के संबंध में दोनों क्षेत्रों में बहुत अंतर है। गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा वेतन बहुत अधिक है इसका एक कारण यह भी है कि वे आयकर से बचना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरियां छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्रों में जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि वेतन या मजूरी में वृद्धि प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि के अनुसार होनी चाहिये। इस संबंध में हमें प्रति पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में एक त्रिदलीय सम्मेलन करना चाहिये और उसमें वेतन तथा महंगाई भत्ते इत्यादि का रूप निश्चित कर लेना चाहिये।

श्री सम्पत ने दक्षिण में इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में संदेह प्रगट किया है मेरा विचार है कि इस संबंध में एक समिति विचार कर रही है यदि प्रतिवेदन हमारे हक में होगा तो सरकार इसे अवश्य क्रियान्वित करेगी। इसलिये इस संबंध में शोर करना या संदेह प्रगट करना व्यर्थ है। कदाचित श्री सम्पत का उद्देश्य यह है कि संयंत्र की स्थापना का श्रेय उनके दल को मिले।

मैं सरकार का ध्यान तूतीकोरिन पत्तन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां से आजकल प्रतिवर्ष १० लाख टन माल चढ़ाया या उतारा जा रहा है भविष्य में इससे अधिक माल का यहां से ढुलान या लदान होने की संभावना है। अतः सरकार को इस पत्तन के विकास पर ध्यान देना चाहिये।

श्री अचित राम (पटियाला) : मुझे वित्त मंत्री महोदय से चन्द एक बातें अर्ज करनी हैं और वह केवल इस कारण नहीं कि वे मंत्री हैं बल्कि इस ख्याल से भी कि वे गांधीवाद के हामी हैं और गांधी जी के ख्याल के मुताबिक हिन्दुस्तान को ढालना चाहते हैं। अभी परसों मेरे एक मोहतरीम कम्युनिस्ट दोस्त ने जब उनके लिए जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये नाशायस्ता अल्फाज इस्तेमाल किये तो मुझे दुःख हुआ लेकिन खुशी इस बात से हुई कि वित्त मंत्री महोदय ने बिल्कुल उनका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल शान्त रहे और मैं समझता हूं कि ऐसा कर के उन्होंने यह पहला सबूत दिया कि वे वाकई डिटरमिन्ड हैं गांधी जी के ख्याल का राज्य लाने के लिए। यह मेरे लिए खुशी की बात हुई .....

श्री गोरे (पूना) : आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं?

श्री अचित राम : जरूरत पड़ने पर नाराज भी हो जाऊंगा लेकिन इस बात से तो मुझे खुशी ही हुई।

जितने भी ऐतराजात बजट पर अपर हाउस में किये गये हैं या यहां पर किये जा रहे हैं उन के मुताल्लिक वित्त मंत्री महोदय ने राज्य सभा में जवाब दे दिया है और यहां लोक सभा में कल श्री भगत ने बहुत सारी बातों का जवाब दे दिया है और मैं समझता हूं कि उन जवाबों से हमें फ़िलहाल अब तसल्ली कर लेनी चाहिए। उन्होंने हमें बतलाया कि किस तरह से चीजों की कीमतें बढ़ रहीं हैं और साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ रही है, उसका जवाब उन्होंने दिया। डेफिसिट फाइनेंसिंग का जवाब उन्होंने दिया। बाहर से जो रुपया आ रहा है वह कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसका उन्होंने जवाब दिया। बजट के मुख्तलिफ आइटम्स के बारे में उन्होंने जवाब दिया। मुझे उनके जवाबों को सुन कर खुशी हुई। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने काफी तसल्ली से इस बात को डील किया। यह एरियर्स जो हैं यह क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? यह नहीं कि कोशिश नहीं हो रही है कोशिश हो रही है इस्तेमाल करने की। लेकिन इस सब बातों के बावजूद मैं ने

[श्री अचिंत सिंह]

देखा है कि पिछले तीन, चार दिनों में शायद कोई मौका रहा हो जब कि हाउस में कोरम (गण पूर्ति) रहा हो। पीक ओवर और क्वैश्चन ओवर में तो कोरम भले ही रहे लेकिन और टाइम कोरम हाउस में नहीं रहता। अब यहां तो मेम्बर लोग तसल्ली कर लेंगे कि चलो क्या हुआ काम तो नहीं रुका लेकिन जो बाहर देश की पब्लिक है वह इसके वास्ते कैसे तसल्ली करेगी? यह तो ठीक है कि यहां इस वक्त हाउस में आटे की बात, दाल की बात, जूते की बात और धोती की बात चल रही है, सब चीजें चल रही हैं लेकिन इन चीज़ों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होते जाने के कारण जो आम जनता पीड़ित है, जिसकी कि कमर बोझ के मारे टूटने जा रही है, गरीब सरकारी कर्मचारी पोस्टमैन वगैरह उनमें जो इन के कारण असन्तोष है और वह जो बाहर उसके लिए शोर मचा रहे हैं, उनको संतोष दिलाने के लिए आपके पास क्या जवाब है और उनको आप इस सिलसिले में क्या राहत देने जा रहे हैं? इनको लेकर जो जनरल डिसकंटेंट (असंतोष) है उसको आप दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक पोस्तटमैन यूनियन से है और जब भी उनकी सालाना यूनियन की मीटिंग होती है तो उसमें पे कमिशन बैठाने की मांग की जाती है और तनख्वाहों और भत्तों में वृद्धि के लिए शोर मचाया जाता है, तो उनको क्या जवाब दिया जाय? पे कमिशन की मांग की गई और आपने पे कमिशन बैठा दिया और उसने पांच रुपये दे दिये। लेकिन इसी बीच मंहगाई और अधिक बढ़ गयी और छोटे सरकारी कर्मचारियों द्वारा फिर पे कमिशन बैठाने और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने की मांग की जा रही है और मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर कहां तक यह पे कमिशन बैठाते जायेंगे और कैसे इस प्राबल्म को डील करेंगे। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन (पेचीदा स्थिति) हमारे सामने दरपेश है। अब श्री थानू पिल्ले ने जो सरकार को अपनी स्पीच में सुझाव दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों को चीप रेट पर अनाज और अन्य आवश्यक चीज़ें मुहय्या करे जेसे कि पहले रेलवे एम्पलाइज़ को मिलती थीं, तो मेरे ख्याल में यह उचित सुझाव है। इस तरह की व्यवस्था यदि कर दी जाय तो मेरी समझ में आज महंगाई को लेकर जो नीची श्रेणी के कर्मचारियों में असंतोष है वह बहुत कुछ रफा हो सकता है क्योंकि उनको उनकी जरूरत की चीज़ें जैसे आटा, दाल, चावल मुनासिब और सस्ती दर पर मिलने लग जायेंगी वे आराम से बैठ जायेंगे और आज जो वह शोर करते हैं और दूसरे पे कमिशन की डिमांड करते हैं वह नहीं करेंगे क्योंकि हर साल कहां तक आप पे कमिशन बिठाते जाइयेगा क्योंकि प्राइसेज आपकी लगातार बढ़ती ही जाती है। आप बाहर से रुपया कर्ज ले रहे हैं और बड़े जोर से डैफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आज जो सर्विसेज में गहरा असन्तोष और गड़बड़ है वह न रहे और वे संतुष्ट होकर दिल से और ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन करें। अब मजा यह है कि जब यहां पर अंग्रेज़ों का राज्य था तब तो यह गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारे साथ होते थे हालांकि नौकर अंग्रेज़ी हुकूमत के होते थे लेकिन आज जब कि स्वराज्य हो गया है और अपनी हुकूमत कायम है तब मजे की बात यह है कि वे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारे बरखिलाफ हैं क्योंकि वे आज महंगाई से परेशान हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप हुकूमत में हैं और आप कहते हैं कि वे गवर्नमेंट के बरखिलाफ हैं तो अब वह आपके बरखिलाफ हैं।

श्री अचिंत राम : आज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके बरखिलाफ इसलिए हैं कि जो छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं और जो कि दस या पांच लाख हैं वे मंहगाई के कारण परेशान हैं और मैं उनकी नुमायन्दगी करते हुए सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लाखों की तादाद में छोटी तनख्वाह के कर्मचारी हैं उनको आप रिलीफ काइंड में दीजिये। उनको आटा, दाल और चावल वगैरह सस्ती दरों पर देने का इंतजाम कीजिये।

यह जो आपने टैक्सेज लगाये हैं उनके बारे में मुझे कुछ खास नहीं कहना है। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने जो यह कहा है कि साइकिलों के जरिये हम एक करोड़ रुपया लेना चाहते हैं तो मुझे उसमें कुछ ऐतराज नहीं है क्योंकि आप छोड़ दें तो बेहतर हो लेकिन अगर उस टैक्स को छोड़ना किसी तरह सम्भव न हो तो आप उसको लगाये रखिये लेकिन उसमें जरा तबदीली कर दीजिये। एक करोड़ रुपया जो आप साइकिलों से खाली रिम पर लगा कर वसूल करना चाहते हैं तो उसको टायर, ट्यूब वगैरह पर तकसीम कर दीजिये अर्थात् टायर पर आप १२ आने लगा दीजिये, ट्यूब पर ४ आने लगा दीजिये और डेढ़ डेढ़ रुपया दोनों रिमों पर लगा दीजिये तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी तो अगर रिम खराब हो जाय तो १० रुपया देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इसको टायर, ट्यूब पर डिस्ट्रिब्यूट कर दीजिये। अगर आप इस टैक्स में कमी कर सकते हैं तो कीजिये नहीं तो इसको डिस्ट्रिब्यूट कर दीजिये।

आज देश के अन्दर सब से बड़ी प्राबलम बेकारी की है, देश में अंडर एम्पलायमेंट है और हाफ एम्पलायमेंट है और एक सब से बड़ी चीज और जो कि चिन्ताजनक है वह है डिजायर टु शेयर पावर। अब यह एक ऐसी चीज है जो कि आपको चैन नहीं लेने देगी। टैक्सों को घटाने या बढ़ाने से ही यह समस्या पूर्णतः हल होने वाली नहीं है। आपको इस अंडर एम्पलायमेंट और अनएम्पलायमेंट का इलाज करना है। आपको यह जो डिजायर टु शेयर पावर लोगों में सब जगह बढ़ गयी है उसके बारे में भी गम्भीरता से सोचना है। अब मसलन, केरल की प्राब्लम है। ऐसा मत ख्याल करिये कि केरल के अन्दर आराम हो गया है, वहां फिर आफत का बादल बरसेगा। इसी तरह पंजाब राज्य के बारे में यह बात है कि वहां पर डिक्टेटरशिप हो रही है। उड़ीसा के अंदर लैंडलार्ड्स (जमीदारों) का राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में डिसीडेंट्स (असंतुष्ट) की बात हो रही है? बंगाल में उधर हमारे कम्युनिस्ट भाई गड़ बड़ कर रहे हैं। यह जो तमाम बातें हो रही हैं यह क्यों हो रही हैं? इनकी जड़ में वही बातें हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया। अब मसलन् पंजाब की ही बात ले लीजिये। वहां पर डिक्टेटरशिप की हालत है और मैं समझता हूँ कि पंजाब के हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां डिक्टेटर के बगैर काम नहीं चल सकता। सच बात तो यह है कि पंजाब के अन्दर ऐसी ताकतें हैं जिस से कि वहां जागृति है। कम्युनिस्ट भाइयों की वजह से, जनसंघ की वजह से, कांग्रेस की वजह से और अकालियों की वजह से वहां पर जागृति है और हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ उस तरह की हालत में अय्यूब पैदा हो गया और पाकिस्तान का डिक्टेटर बन गया लेकिन यहां तो जब तक जवाहरलाल जी और पंत जी हैं कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता। यह तो सही है कि उस से कांस्टीट्यूशन हमारा वाएलेट होगा लेकिन अब पंजाब की हालत तो देखिये कि क्या हो रही है पंजाब के अन्दर गवर्नर साहब हैं तो लेकिन उनकी चलती नहीं है, कैबिनेट है लेकिन कैबिनेट की चलती नहीं है, वहां पर असेम्बली है लेकिन असेम्बली की वहां पर चलती नहीं है, कौंसिल है लेकिन कौंसिल की चलती नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात की तफसील में क्यों ज्यादा जाने लग गये?

श्री अचिंत राम : जो असन्तोष का कारण है उसका वित्त मंत्री महोदय इलाज नहीं कर सके हैं और उनका ध्यान उधर दिलाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगर एक स्टेट के लिए ही यह कहे जायें कि न वहां गवर्नर की चलती है, न असेम्बली की चलती है और न कैबिनेट की चलती है तो ऐसी बातें कहना तो मुनासिब नहीं होगा। किसी खास स्टेट के बारे में इस तरह से तफसील में बात कहना कुछ ठीक न होगा अलबत्ता माननीय सदस्य तमाम सूबों के लिए जनरल तौर पर कह सकते हैं।

श्री अचित राम : मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ । अब केरल के अन्दर ऐसी बात हुई कि वहां पर कम्यूनिस्ट भाइयों ने लोगों के डिसकंटेंट को लेकर नौबत यहां तक पहुँची कि आपस में वाएलेंस शुरू हो गया । मैंने कम्युनिस्ट दोस्त को पूछा कि भाई आप इतने मर्डर्स करते हो तो उसने कहा कि हम मर्डर्स करते हैं लेकिन कांग्रेसियों से कम मर्डर्स करते हैं । अब बात क्या है ? बात असल यह है कि वह हालात ऐसे बन गये और आपस में टेंशन हो गया । पंडित जी ने कहा कि भाई आपस में मिल कर सलाह मशविरा करके समझौता कर लो । पंडित जी ने कहा कि हमने गांधीजी के चरणों में बैठ कर यही सीखा है कि दुश्मन से भी बात चीत करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि इन हालात के अन्दर तैयार नहीं हैं । मैं तो कहता हूं कि आप यह न समझ लें कि वे चुपचाप बैठे रहेंगे । फिर गड़बड़ होने वाली है और जब फिर गड़बड़ हो तब हाईलेविल के ऊपर बातचीत करना ठीक न होगा बल्कि अभी पहल करनी चाहिए । मैं पंजाब की बात कह रहा था । ऐसे ही उड़ीसा में जो फ्यूडल .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जो यह कहा कि पंजाब के बारे में न कहें उसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे सूबों के बारे में कहते चले जाएं ।

श्री अचित राम : मैं कहता हूँ कि मुल्क में हर जगह डिसकंटेंट है । ख्वाहिश है पावर शेयर करने की, अनएम्पलायमेंट है । जब तक इसके लिए आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक ये चीजें कम नहीं हो सकतीं । इसका रास्ता यही है कि आप पोलीटिकल पावर को डिसेंट्रेलाइज (विकेन्द्रित) करें, इकानमी को डिसेंट्रेलाइज करें ताकि देश में जो लोगों को भूख है रोटी की, जो भूख है पावर को शेयर करने की वह भूख दूर हो और अनएम्पलायमेंट दूर हो । इसका एक तरीका यही है कि गांवों में जो प्रापर्टी है उसकी ओनरशिप गांव की हो किसी इंडीवीजुअल (व्यक्तिगत) की न हो । गांवों जो रोटी वगैरह के सवाल हैं उनको गांव ही टैकिल करे, यह गवर्नमेंट का काम नहीं है । यह गांव का काम होना चाहिए कि वह गांव वालों के लिए रोटी का, कपड़े का, रोजगार का, दवाई का इन्तिजाम करे । अगर आप मुल्क को गांधियन लाइन पर डालना चाहते हैं तो इसके सिवा और कोई जो रास्ता नहीं है इसका सालयूशन आपके पास है । अगर आप ऐसा कर लें तो आज जनता का एक्सप्लायटेशन हो रहा है वह नहीं हो सकेगा ।

इस के बाद मैं आप की बसातत से जो मेम्बरान यहां हैं उन से एक अपील करना चाहता हूं । वह यह कि गांव की ओनरशिप को गांव सभा को देना कोई मामूली काम नहीं है । इसलिये मेरी सब पार्टीज से दरख्वास्त है कि वे इस काम में कोआपरेट करें अगर वे हिन्दुस्तान को डिक्टेटरशिप से बचाना चाहते हैं जो कि आज दुनिया के कई हिस्सों में चल रही है । अगर आप ऐसा नहीं करें तो वह यहां भी हो सकती है । इसलिये मेरी दरख्वास्त है सब माननीय सदस्यों से कि वह थर्ड फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाने में कोआपरेट करें ।

एक बात और अर्ज करूंगा । इस वक्त हमारे सन्त विनोबा मशाल जला रहे हैं । वह हम को बतला रहे हैं कि किस तरह से हम फूड का मसला, अनएम्पलायमेंट का मसला और डिफेंस का मसला हल कर सकते हैं । मैं तो चाहता हूं कि इस वक्त वह दोनों हाउसेज को एड्रेस करें और रास्ता दिखायें । यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

आखिर में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि गांधी जी कह गये थे कि ऐसा हिन्दुस्तान बनाया जाय । उन्हों ने कहा था : "यह काम भारत के हिस्से का है कि वह एक सच्चे लोकतन्त्र का विकास करे और साथ साथ उस का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करे ।"

वही रास्ता हमारे लिये हो सकता है ।

†श्री बे० राव (नलगोंडा) : द्वितीय योजना के अंतिम वर्ष जन साधारण ने यह आशा की थी कि नये कर नहीं लगाये जायेंगे तथापि उन का संदेह गलत सिद्ध हुआ। मंत्री महोदय यदि चाहते तो सम्पदा कर, धन कर इत्यादि में संशोधन कर सकते थे। तथापि उन्हें छोड़कर अप्रत्यक्ष कर लगाये गये जिस से सामान्य जनता पर भार बढ़ा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भूमि सुधारों पर काफी जोर दिया गया था। इसमें संदेह नहीं कि जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथा समाप्त की गई। कई विधान सभाओं के समक्ष यह विधान रखा गया है कि एक परिवार के लिये भूमि की अधिकतम सीमा ३० पक्के एकड़ होगी। तथापि किसी राज्य में अभी भूमि वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस का कारण यह है कि विधान इस प्रकार बनाया जा रहा है कि न तो जमींदारों को एक इंच भूमि किसानों को देनी होगी और न भूमिहीन किसानों को कुछ लाभ ही होगा। केवल यहां वहां कुछ छुटपुट सुधारों को करने से कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः अधिक उत्पादन तभी संभव है जब कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाय और जो लोग स्वयं खेती नहीं करते उन से जमीन लेकर वास्तविक खेती करने वाले लोगों को जमीन दी जाय। देश में ६ या ७ करोड़ एकड़ बंजर जमीन पड़ी हुई है यदि उस जमीन को किसानों को वितरित कर दिया जायेगा तो इससे कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। केवल आंध्र में ४४ लाख एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है। अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी मात्रा में परती और बंजर जमीन पड़ी हुई है। उस की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यदि उसे भूमिहीन किसानों विशेषतः हरिजनों को बांटा जाता तो उस से देश के कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि होती। देश में तीस प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है उनकी बेकारी बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार ने उन्हें भूमि देने की कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार को इस दिशा में उचित प्रयत्न करना चाहिये।

फ़िल्म उद्योग पर लगाये गये कर की मात्रा बहुत अधिक है। कर इतना कभी नहीं लगाया जाना चाहिए कि उससे उद्योग को खतरा पैदा हो जाय। फ़िल्मों के उत्पादन में बहुत व्यय होता है। अधिकांश फ़िल्म निर्माता इतनी रक़म लगाने में समर्थ नहीं होते हैं वितरकों से रुपया लेकर फ़िल्मों का निर्माण करते हैं। ७० से ८० प्रति शत फ़िल्म उद्योग इसी प्रकार चलता है। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है, सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वह अपनी आवश्यकताओं के निमित्त खाद्यान सीधे किसानों से खरीदें। इस प्रकार उन्हें उचित कीमत पर उचित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो जायेगा। सरकार को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए।

आंध्र के सदस्यों ने बार बार सभा के सम्मुख यह मांग प्रस्तुत करी है कि बड़ी परियोजनाओं तथा औद्योगीकरण की दृष्टि से आंध्र की अवहेलना की जा रही है। आंध्र में काफ़ी मात्रा में लौहअयस्क और कोयला पाया जाता है तथापि वहां कोई इस्पात संयंत्र नहीं है। आंध्र में उर्वरकों की बड़ी खपत है तथापि वहां एक भी उवर्रक संयंत्र नहीं है। इससे आंध्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। सरकार को चाहिये कि देश के सभी भागों की प्रगति पर ध्यान दे।

नागार्जुन-सागर परियोजना देश की बड़ी परियोजनाओं में से एक है, तथापि इसे राज्य की पंचवर्षीय योजना का अंग मान कर, अन्य परियोजनाओं को उपेक्षित किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। नागार्जुन-सागर बांध को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मान कर राज्य की अन्य परियोजनाओं पर भी उचित ध्यान दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : बजट चर्चा के बीच इस समय मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि नीति संबंधी तथा अन्य विषयों पर, जिन्हें जानने का सभा को पूरा अधिकार है, तथा जिस संबंध में सरकार भी अपनी स्थिति समझाने में समर्थ है, मांगों पर चर्या के समय चर्चा की जायेगी ।

मैंने सभा में हुए सभी भाषणों को ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं सोचता हूं कि चर्चा के दौरान उठाये गये मामलों के संबंध में मुझे कुछ कहना चाहिए । इसके दो कारण हैं । उनमें से एक यह है कि कुछ स्थितियों के कारण जिनका उल्लेख अध्यक्ष महोदय ने कल किया था, सभा में दिये गये विवरणों को, सभा के बाहर और विदेशों में भी जनता पढ़ती या सुनती है ।

दूसरे निराधार और बेतुकी बातें कही गई थीं । न केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रशासन के विरुद्ध अपितु अन्य मंत्रालयों के संबंध में भी कड़ी बातें कही गई थीं । श्री महन्ती ने कहा था कि " मैं यह कहने को विवश हूं कि देश बिल्कुल अरक्षित है; यह ज़रूर है कि प्रधान मंत्री सभा में उसकी रक्षा करते हैं और बाहर ईश्वर ही उसकी रक्षा करता है ।

उत्तरदायी सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसी बातों का कि हमारा देश अरक्षित है, और प्रधान मंत्री सभा को सिर्फ़ बातचीत करने का स्थान समझते हैं विदेशों की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा । संभव है कि उनका आशय किसी मंत्री पर चोट करना रहा हो या वे समाचार पत्रों में अपना विज्ञापन चाहते हों । लेकिन आजकल की परिस्थितियों में ऐसा करना ठीक नहीं है । उन्होंने आगे यह भी कहा है कि नैतिक रुप से सरकार को प्रतिरक्षा के लिए निरंतर बढ़ती हुई राशि की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है ।

यह कहना ग़लत है कि प्रतिरक्षा का व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है । यदि वह यह सोचते हैं कि सभा की ओर से नैतिक स्वीकृति देने का उन्हीं को हक़ है, तो वह ग़लती पर हैं । इस प्रकार के दिमाग़ी रवैये का इलाज कुछ और हो सकता है; भाषणों द्वारा मेरे उत्तर दिये जाने से उसको दूर नहीं किया जा सकता । इस प्रकार का आरोप पीठ में छुरा मारने के बराबर है और ऐसा वे ही लोग करते हैं जो सामने आंखें मिलाने का साहस नहीं कर सकते हैं ।

अब मैं श्री मोरारका द्वारा की गई आलोचना को लेता हूं । सबसे पहले विभिन्न शस्त्रों पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में एक व्याख्यान दिया गया । और हमसे यह पूछा गया कि जब उत्तरी सीमान्त पर संकट आया हुआ है तो क्या कारण है कि नौ सेना और स्थल सेना पर अधिक व्यय किया जा रहा है और वायु सेना पर कम व्यय किया जा रहा है । प्रश्न संगत है, हमारे विमान-बल का व्यय पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष, पिछले वर्षों से बहुत अधिक किया गया । इसका कारण यह है कि उसका पुनर्गठन और विस्तार किया गया था । इस वर्ष भी हमने कुछ भुगतान करने हैं जो पिछले वर्ष नहीं किये गये थे । इसलिये वित्त मंत्री ने अनुपूरक मांग रखी थी और जहां तक मैं जानता हूं सभा ने उस पर कोई अपत्ति नहीं की थी । नौ-सेना पर होने वाले व्यय की वृद्धि का कारण यह है कि हमें कुछ बकाया राशि का भुगतान करना है । जहां तक वायु सेना का संबंध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि उत्तरी सीमान्त की स्थिति तथा भूमि की रचना के कारण विमान बल में कुछ विशेष हथियारों की वृद्धि करना आवश्यक हो गया था । मेरे विचार से आप इस बात से सहमत होंगे कि अस्त्रों के संबंध में सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है । बजट प्रस्तुत करते समय भी वित्त मंत्री ने यह कहा था कि जिस बात के लिए हम वास्तव में बचनबद्ध नहीं हैं उसके निमित्त हमें बजट में व्यय की वृद्धि नहीं करनी चाहिये । जब भी देश पर इस प्रकार की आपत्ति आयेगी जैसी इस समय है, और आवश्यकतायें बढ़ेंगी तो सरकार आवश्यक संसाधनों के लिए सभा के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन के सामान्य स्वरूप के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है। देश में मितव्ययता होती है जबकि विदेशों में अंधाधुंध व्यय किया जाता है। अधिक वस्तुओं का आर्डर देना, ऊंची कीमतें देना, खराब माल लेना, वस्तुओं को खराब ढंग से रखना, त्रुटिपूर्ण निरीक्षण तथा ठेके की शर्तों का गलत ढंग से लिखा जाना इत्यादि बातें मंत्रालय में आये दिन होती रहती हैं।

क्या ऐसे वक्तव्य को उत्तरदायी कहा जा सकता है। क्या सरकार इसी प्रकार पिछले वर्ष व्यय में कटौती करने में समर्थ हुई थीं। क्या इसी प्रकार हम इस वर्ष भी बजट में केवल थोड़ी सी वृद्धि करने में सफल हुए हैं।

अधिक वस्तुओं का आर्डर देने का तात्पर्य यह है कि बाद में उन पर कटौती की जा सकती है क्योंकि अक्सर जिस वस्तु की आपको आज आवश्यकता है उसे आपको तो दो वर्ष पूर्व मंगाना होता है। मांग में कटौती करने की व्यवस्था रहती है। माल के तैयार होते समय भी उसमें कटौती करने की व्यवस्था रहती है। कई उद्योगों में भी ऐसी ही व्यवस्था रहती है, माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे।

उन्होंने महा-लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन के एक अंश का जिक्र किया है। सात आठ वर्ष पहिले यह निश्चय किया गया था कि वे अपने प्रतिवेदन में केवल मुख्य और बड़ी मदों का उल्लेख करेंगे तथा हर बात में गलतियां नहीं निकालेंगे। महा-लेखा-परीक्षक संसद और अपनी कर्त्तव्य परायणता के प्रति उत्तरदायी हैं। श्री मुरारका ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिये लेखा परीक्षा रिपोर्ट में से एक अंश उद्धत किया है। मेरा इस संबंध में पहिला तर्क यह है कि इसका श्री मुरारका द्वारा लगाये गये सामान्य आरोप से कोई संबंध नहीं है। यह १९५९ के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से लिया गया है, जो एक पक्षीय मत है उसमें कहा गया है। "लोक लेखा समितियों के कई बार कहने तथा मंत्रालय द्वारा कई बार दिये गये आश्वासनों के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारी इन उपबंधों की उपेक्षा करते रहे हैं। कई इंजीनियर डिवीजनों में यह बात देखी गई है कि व्यपगत अनुदानों को या आवंटित राशि से अधिक खर्च की गई राशि के छिपाने के लिये झूठा हिसाब बनाया गया है।"

यदि यह बात महा लेखा परीक्षक ने नहीं कही होती तो मैं यह कहता, हालांकि मैं यह कहना नहीं चाहता, कि यह आरोप द्वेषपूर्ण है; तथापि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय प्रतिरक्षा मंत्री स्वयं इस बात को समझते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये तथापि फिर भी इस बात को कह रहे हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं आप को इसका तात्पर्य समझाने का प्रयत्न करूंगा। तथाकथित् झूठा हिसाब प्रशासन या अधिकारियों की इस भावना के कारण बनाया जाता है कि वे संसाधन या धनराशि को अनावश्यक रूप से व्यय न होने दें। यह बात इंजीनियरिंग सामान के संबंध में है। इंजीनियरिंग माल-डिपो, परियोजना के लिये आवश्यक सामान भेजते रहते हैं। जब परियोजना के लिये सामान दिया जाता है तो जारी किये गये सामान की कीमत परियोजना के लेखे से ली जाती है। जब काम के स्थान पर सामान नहीं रखा जा सकता है तो जारी की हुई जगह पर ही सामान रख दिया जाता है। लेखो परीक्षकों का कहना है कि उस सामान को वास्तव में वहां से हटा लिया जाय। तथापि यदि आप एकदम नियमानुसार काम करेंगे तो प्रशासन चलाना कठिन हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

इस मामले में हमारा उद्देश्य धोखा देही करना नहीं है । १९५७-५८ में एक परियोजना के लिये गोदाम से सीमेंट निकालने का उदाहरण है, उनको यहां आने में दो तीन वर्ष लगते हैं, सीमेंट परियोजना के लिये पड़ा रहता है तथापि परियोजना में कुछ परिवर्तनों के कारण यह सीमेंट आगामी वर्ष के लिये कुछ अन्य परियोजनाओं को देना पड़ा । इससे हिसाब इधर उधर करना पड़ा । वस्तुतः किसी जालसाजी को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

सामान के संबंध में असावधानी बरतने और उनके खराब हो जाने का उल्लेख किया गया है । यहां जो उदाहरण दिया गया है वह आढ़ करने की जालियों (केमोफ्लेज नैट्स) के संबंध में है जिनकी कीमत ७५ लाख रुपये लगाई गई है । युद्धकाल के दौरान उनकी कीमत ७५ लाख रुपये थी तथापि युद्ध काल में उनका उपयोग किया गया था और इस प्रकार उनका मूल्य वसूल कर लिया गया था । स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात् ये जालियां ला कर रख दी गईं । युद्ध में प्रयोग होने के पश्चात् वे खराब हालत में यहां लायी गईं । अब उसे संभालने का प्रश्न पैदा हुआ । संभालने के मामले में हमें पूर्वतिता बरतनी होती है । अन्य वस्तुओं के स्थान पर, जो इन से कहीं अधिक कीमती, कोमल और उपयोगी होती हैं इनको नहीं संभाला जा सकता है । अतः दूसरी वस्तुओं की हिफाजत करनी होती है । दो वर्ष पूर्व हमारे पास २८० लाख वर्ग फीट ढकी हुई जगह थी । यदि स्थिति ऐसी ही बनी रहे और यह मान कर कि प्रति वर्ष वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी हमारे पास ६० लाख वर्ग फीट स्थान की कमी थी । आगामी दो वर्षों में हमने उपलब्ध संसाधनों और समय के अन्दर ३४ लाख वर्ग फीट ढकी हुई जगह बढ़ा ली । लगभग २६ लाख वर्ग फीट स्थान हमें ढकना बाकी था । तथापि आवश्यकता के अनुसार इसकी माप में वृद्धि होती जायेगी । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे पास ढका हुआ स्थान सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था, वहां हमें ऐसे सामान को पूर्ववतिता देनी थी जो धूप और वर्षा में खराब होने वाला है । बहुत कीमती सामान भी बाहर पड़ा रहता है । तथापि हमें एक को छोड़ कर दूसरे के लिये स्थान बनाना होता है ।

ये जालियां इस स्थिति को पहुंच चुकी थीं कि इनकी निगरानी के लिये व्यय करना फिजूल था और उनका नीलाम किया जाना था । उनका उपयोग युद्ध के दौरान कर लिया गया था तत्पश्चात् काश्मीर में उनका उपयोग किया गया तदन्तर अभ्यास और प्रशिक्षण के कार्यों में उनका उपयोग होता रहा ।

अब मैं मोटर गाड़ियों के पुर्जों की खरीद का विषय लेता हूं । यह मामला पुराने प्रकार के टैंकों के पुर्जों की खरीद से संबंध रखता है वे बाजार में नहीं खरीदे जा सकते हैं अपितु केवल ऐसे ही स्थानों में खरीदे जा सकते हैं जहां वे उपलब्ध हैं । पिछले सात आठ वर्षों से कनाडा की लेबीज़ नामक एक फर्म से पत्र व्यवहार चल रहा था यह पत्र व्यवहार १९५६ में समाप्त हुआ । लोक लेखा आयोग ने इस मामले पर एक समिति नियुक्त की । इसलिये मेरे विचार से इस समिति का प्रतिवेदन आने तक यहां कुछ कहना अनुचित होगा । अन्यथा मेरे पास यथाशक्ति इस आरोप का उत्तर मौजूद है ।

अब मैं एक अन्य विषय लेता हूं मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपनी जानकारी में संशोधन करने की उदारता दिखायेंगे । उन्होंने कहा "मंत्रालय गोपीनीय तरीके से काम करता है, हम जो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है । उदाहरण के लिये मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस मंत्रालय द्वारा खरीदी गई जीपों को दिल्ली और बम्बई में चलते हुए देखा है । उस जीप का नाम टिओटा है । इस संबंध में प्रश्न पूछने पर यह उत्तर दिया गया कि कोई जीप

नहीं खरीदी गई है। अत : अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। उस जीप के ड्राइवर ने जो कि वर्दी में था मुझे इस संबंध में बताया। माननीय सदस्य ने सभा को यह बताया कि मंत्री या सरकार ने सभा को गलत जानकारी दी है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने टिग्रोल या कोई अन्य जापानी जीप नहीं खरीदी है। संभव है माननीय सदस्य ने ऐसी कोई एक टिग्रोला जीप देखी हो। ऐसी दो जीपें देखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ऐसी ही जीपें हमारे देश में नहीं हैं। केवल एक टीग्रोल जीप, निर्माता के द्वारा हमें दिखाने को यहां लाई गई थी। यदि माननीय सदस्य उसे गौर से देखते तो उन्हें ज्ञात होता कि उसमें निर्यात लायसेंस प्लेट नहीं थी और और उसमें 'परीक्षा के लिये' लिखा हुआ था। इसका यह आशय है कि उन्होंने यह कह कर कि उन्होंने कई टिग्रोला जीपें देखी हैं सभा को गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं उन्होंने मंत्री के विवरण से अधिक ड्राइवर पर विश्वास किया। मेरे विचार से मंत्री पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने सभा को धोका दिया बहुत गम्भीर बात है।

दूसरी बात यह है कि मोटर गाड़ियों के ड्राइवर जो वर्दियों में होते हैं उनको कड़े आदेश रहते हैं कि वे किसी नागरिक से बात न करे। दुख की बात है कि माननीय सदस्य जैसा उत्तरदायी व्यक्ति वर्दीधारी सिपाही से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करे। इसकी जांच होगी और उस ड्राइवर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : माननीय मंत्री को यह धमकी नहीं देनी चाहिये कि उस व्यक्ति को दंड दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी इच्छा मंत्री महोदय को बता चुके हैं। तथापि हम इस बात का निर्णय यहीं पर नहीं कर सकते हैं कि उसे दंड दिया जाय या नहीं। यदि कोई नियम हैं तो विभाग को उनका पालन करना होगा।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ड्राइवर को यह ज्ञात था कि प्रश्नकर्ता संसद् सदस्य है। यह कहा गया कि ड्राइवर ने उनको खरीद के बारे में बताया जिनके संबंध में वह या तो स्वयं अनजान था या वह गलत जानकारी दे रहा था। में इस बात पर आपत्ति करता हूं कि उसके कथन को प्रमाण मान कर संसद् में कोई बात कही गई।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : मैं सभा को यह बतना चाहता हूं कि जब मैंने इस प्रश्न की सूचना दी तो पहिले इस आधार पर कि इस प्रश्न का कोई वास्तविक आधार नहीं है मेरा प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया। तदुपरांत मेरे यह लिखने पर कि मेरा वास्तविक आधार ड्राइवर के साथ की गई बात चीत है यह प्रश्न स्वीकार किया गया। मुझे नहीं ज्ञात था कि अब सेना ने उपहार लेना भी स्वीकार कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने मेरे पूछने पर आपत्ति की है और उन्होंने कहा है कि मैंने उत्तरदायिता से कार्य नहीं किया है, इत्यादि।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक प्रश्नों की ग्राह्यता का संबंध है, जब प्रश्न पूछा गया जाता है तो वह मंत्रालय को भेज दिया जाता है और यदि वह निराधार होता है तो अध्यक्ष उसे अग्राह्य कर देता है। जब सदस्य ने इसके विरुद्ध यह लिखा कि उन्होंने स्वयं ड्राइवर से पूछताछ की है तब वह स्वीकार किया गया। जब हमें वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो गई है तो हमें अब इस संबंध में एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं इस संबंध में जो कुछ कहना चाहता हूं उसका तात्पर्य यह हैं कि हमने सभा में इस संबंध में वक्तव्य दिया । माननीय सदस्य ने सभा में एक अन्य प्रमाण देना उचित समझा जिसके द्वारा उनका आशय यह बताना था कि सदस्यों को सही जानकारी नहीं दी गई । मैं इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मोटर गाड़ियां के पुर्जों के संबंध में भी आपके अनुदेशों के अनुसार अब मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

†**श्री मुरारका :** मैं ने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में जो देखा वह यह है कि दिसम्बर, १९५७ में उन्हों ने १२ लाख डालर की क़ीमत के कुछ पुर्जे वग़ैरा का आर्डर दिया था और मार्च १९५८ में वे ५.५ लाख डालर की क़ीमत के माल को रद्द करना चाहते थे . . . . .

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह बड़ा अनुचित आरोप है । आप ने मुझ से इस का ज़िक्र करने से रोक दिया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाये ।

†**श्री मुरारका :** मैं अपनी ओर से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं तथापि सभा को यह प्रतीत नहीं होना चाहिये कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा जो आक्षेप किये गये हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय वित्त मंत्री ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** उपाध्यक्ष महोदय, आयव्ययक वादविवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन का बड़ा आभारी हूं । इस वर्ष आयव्ययक की उतनी कटु आलोचना नहीं की गयी है, जितनी गत वर्ष की गयी थी ।

आयव्ययक की सामान्य बातों तथा करारोपण की विशिष्ट मदों पर भी आलोचनायें की गई हैं । मेरे सहकारी श्री भगत ने कल कुछ आलोचनाओं का उत्तर दिया था, अतः मैं उन बातों को फिर से नहीं दोहराऊंगा । सर्व प्रथम मैं दो-तीन ऐसी आलोचनाओं का उत्तर दूंगा, जो इस कारण हुई हैं कि उन के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है ।

सब से पहले मैं श्री भरूचा की बात का उत्तर दूंगा । उन्हों ने कहा कि अनुमानित योजना व्यय ४६०० करोड़ या ४७०० करोड़ रु० में से तीन चौथाई से अधिक राजकोषीय हुण्डियां जारी कर के, घाटे की अर्थव्यवस्था कर के तथा ऋण ले कर पूरा किया जायेगा । उन्हों ने बताया कि १६५० करोड़ रु० राजकोषीय हुण्डियों द्वारा, १२०० करोड़ रु० घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा तथा ८०० करोड़ रु० ऋण द्वारा एकत्रित किये जायेंगे । पर माननीय सदस्य ने यह नहीं सोचा कि १२०० करोड़ रु० की घाटे की अर्थ व्यवस्था राजकोषीय हुण्डियों के ही अधीन है, वह कोई अलग मद नहीं है । उन्हें १६५० करोड़ रु० व १२०० करोड़ रु० को जोड़ना नहीं चाहिये ।

वास्तव में, १४५० करोड़ रु० की राजकोषीय हुण्डियां जारी की गयी हैं और ३५० करोड़ या ४५० करोड़ रु० की आय हो चुकी है । यह सब लगभग १९०० करोड़ के होता है । इस में कुछ धन दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पूर्व के वर्षों की घाटे की अर्थव्यवस्था का है । यदि उसे निकाल दिया जाये तो शेष १२२८ करोड़ रु० बचेंगे और यही दूसरी योजना काल की घाटे की अर्थ-व्यवस्था है । राजचोषीय हुण्डियों में से चुछ और धन भी ऐसा होगा, जो घाटे की अर्थ व्यवस्था में नहीं सम्मिलित किया जायेगा । यदि माननीय सदस्य को इन आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह था, तो उन्हें चाहिये था कि वह मुझ से बात कर लेते या पूछ लेते, मैं उन को सारी बात समझा देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना का खर्च इस प्रकार ह : १०० करोड़ रु० विदेशी ऋण व सहायता से ; ८०० करोड़ रु० देश के भीतर से ऋण द्वारा ; ३८० करोड़ रु० छोटी बचत योजना से ; ९७५ करोड़ रु० अतिरिक्त करों से—राज्य व केन्द्रीय करों से ; शेष २७० करोड़ अन्य ऋणों तथा निक्षेपों से ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : घाटे की अर्थव्यवस्था, राजकोषीय हुण्डियों तथा बाजार से ऋण मिला कर कुल कितनी राशि होगी ? यदि राजकोषीय हुण्डियां १९०० करोड़ रु० की हैं और उन के कहने के अनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था १२०० करोड़ रु० की है, तो शेष ७०० या ८०० करोड़ रु० का क्या आधार है ?

†**श्री मोरार जी देसाई** : कुल राशि १४५० करोड़ रु० है जिस में से ४५० करोड़ रु० की राशि जमा हो गई है । इस प्रकार सारी राशि १९०० करोड़ रु० हो जाती है । इस में से ५९५ करोड़ रु० की राशि दूसरी योजना शुरू होने के पूर्व की घाटे की अर्थव्यवस्था की है । इस का अर्थ यह है कि इस समय की राशि १३०५ करोड़ रु० है । इस में से १२२८ करोड़ रु० घाटे की अर्थ व्यवस्था के हैं । शेष राशि बैंकों तथा अन्य संस्थाओं की है । यह घाटे की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं है । इस प्रकार हम राजकोषीय हुण्डियों का प्रयोग कर रहे हैं ।

इसी प्रकार की एक आलोचना श्री वें० प० नायर ने की थी । उन्हों ने देश में आने वाली विदेशी पूंजी की स्थिति का जिक्र किया । उन्हों ने बताया कि १९५३–५७ में देश में १४४ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी आई और ११४ करोड़ रु० की राशि उस के लाभ के रूप में देश से बाहर गई । इस प्रकार केवल ३० करोड़ रु० की विदेशी पूंजी देश में आई । उन्हों ने जो आंकड़े दिये हैं, वह सही हैं, पर उन्हों ने कई सालों में बाहर गयी पूंजी को जोड़ कर बताया है । वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५२–५३	१५.६४	करोड़ रु०
१९५३–५४	१७.२४	,, ,,
१९५४–५५	२६.०३	,, ,,
१९५५–५६	३०.५९	,, ,,
१९५६–५७	२४.८०	,, ,,

इस प्रकार सारा योग ११४.३० करोड़ रु० है । यह वार्षिक लाभ है, जो बाहर गया और जो उस सब विदेशी पूंजी पर है जो १९५२ के अन्त में २५५ करोड़ रु० १९५३ के अन्त में ४०३ करोड़ रु०, और १९५७ के अन्त में ५५५ करोड़ रु० थी । अतः आप देखेंगे कि इस विनियोजित पूंजी पर औसत लाभ २३ करोड़ रु० है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वास्तव में लाभ का एक बहुत बड़ा भाग पुनः हमारे देश में उद्योगों में वापस आ जाता है । अतः माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह तथ्यों का सही उपस्थापन नहीं है ।

उन्हों ने विदेशी ऋणों, विशेष ऋणों तथा अमरीका से प्राप्त की गयी सहायता का जिक्र किया । ३० नवम्बर, १९५९ तक भारत को अमरीका से कुल ५६५.७५ करोड़ की ऋण सहायत तथा २१०.१९ करोड़ रु० का अनुदान मिला है । अनुदान की शर्तें हमारे लिये कुछ असुविधाजनक नहीं हैं । अमरीका से हमें आयात निर्यात बैंक के द्वारा जो ऋण मिले हैं, उन का उपयोग हम ने लाभ-प्रद ढंग से सामान खरीदने के लिये संसार के सभी देशों से टेंडर मांग कर—किया है, । अक्टूबर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

१९५९ में विकास ऋण निधि ने सुझाव दिया कि सामान की खरीद केवल अमरीका से ही की जाये। इस का कारण यह था कि अन्य राज्य चाहते थे कि हम उन से सामान खरीदें। रूस तथा यूरोपीय देश भी चाहते थे कि हम केवल उन्हीं से सामान खरीदें।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर): हमें जो ऋण अदा करना है, उसी के बदले में वे हमारे देश से सामान लेते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस का दाम हमें रुपयों में मिलता है और माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि उस का रुपया हमारे देश में ही जमा रहता है, बाहर नहीं जाता। माननीय सदस्य को अमरीका पसन्द नहीं है, पर हमें सब देश पसन्द हैं और हम सब से मदद लते हैं।

हो सकता है कि अक्टूबर १९५९ में विकास ऋण निधि जो बन्धन हमारे ऊपर लगाया है, उस के फलस्वरूप हमें कुछ अधिक दाम देना पड़ें, क्योंकि अमरीका में अन्य देशों की तुलना में दाम कुछ अधिक हैं।

उन्होंने विकास ऋण निधि की धारा २.३क का भी जिक्र किया, जिस में कहा गया है कि समाहार **ज्योग्राफिकल कोड बुक** के कोड ९९ के अधीन ही सीमित रहे। माननीय सदस्य को पता नहीं है कि वह कोड क्या है। इसी कारण उन्हों ने ऐसी बातें कहीं। कोड ९९ में कहा गया है कि संसार भर के सभी देशों से टेंडर मांगे जाने चाहियें। यदि माननीय सदस्य को इस कोड का अर्थ मालूम होता, तो वह यह आलोचना न करते।

उड़ीसा के कच्चे लोहे के कारखाने के लिये २०० लाख डालर के ऋण करार के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा कि अमरीका को भारत जो रुपये लौटायेगा उसे अमरीका भारत में खर्च करेगा। स्पष्ट है कि यह भारत के लिये लाभदायक ही है। फिर भी उन्हों ने कहा कि अमरीका इस धन का उपयोग हमारे खिलाफ कर सकता है। उन्हों ने उस खण्ड का केवल एक वाक्य पढ़ा ; यदि वह पूरा खण्ड पढ़ें, तो उन्हें विदित होगा कि अमरीका उस धन का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। किसी के विरुद्ध व्यर्थ में आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होता।

आयात-निर्यात बैंक करार तथा विकास ऋण निधि करार के एक खण्ड का उन्हों ने उल्लेख किया, जिस में कहा गया है कि मुख्य-मुख्य अभिकरणों को प्रतिवेदन देना होगा और अभिलेख रखने होंगे। क्या वह यह नहीं जानते कि सभी सामान्य ऋणों में भी ये शर्तें होती ही हैं। उन्हों ने कहा कि इस शर्त के फलस्वरूप मंत्रिमंडल के गोपनीय पत्र भी वह मंगवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वह उस कारखाने से सम्बन्ध बातें ही जान सकते हैं और वह भी उचित व समुचित बातें। चूंकि माननीय सदस्य का दिमाग उन के विरुद्ध है, इसी कारण वे ऐसी बातें कहते हैं, अन्यथा ऐसी कोई आपत्ति-जनक बात है ही नहीं।

उन्हों ने यह बात भी कही जो सामान हम खरीदेंगे उस में से ५० प्रतिशत सामान अमरीकी जहाजों द्वारा ढोया जायेगा। पर जब अमरीका में सामान खरीदा जायेगा, तो ऐसा करना ही पड़ेगा बाहर खरीदे गये सामान पर यह शर्त लागू नहीं होगी, पर यदि हम सामान अमरीका में खरीदेंगे, तो हम ५० प्रतिशत सामान उन के जहाजों द्वारा लायेंगे। इस शर्त को उन्हों ने माना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन दरों को वे अपने मन से नहीं निश्चित करते । संघ के अन्दर के सभी समवायों की सहमति से ये मूल्य निश्चित किये जाते हैं । अतः यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि वे मनमानी दरों से किराया लेंगे ।

†**श्री नागी रेड्डी :** नौवहन समवायों के चेयरमैनों ने हमें बताया है कि पाश्चात्य नौवहन समवाय हम से बहुत ज्यादा दर से किराया लेते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** वह दूसरी बात है । दोनों बातों को एक में मत मिलाइये । उस बात को इस ऋण वाली बात से मत मिलाइये । ऋण वाली बात अलग है और सामान्य दरों की बात अलग है ।

उन्हों ने यह भी कहा कि नौवहन का बीमा उन समवायों के पास होना चाहिये जो अमरीका की सीमा में काम करते हैं । इस सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि उन्हों ने स्थिति को ठीक नहीं समझा है । इस सम्बन्ध में धारा ५.०७ को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि अमरीका में बीमा कराने की जरूरत तभी पैदा होगी, जबकि परस्पर सुरक्षा अधिनियम के अधीन दिये गये जहाज को पाने वाले किसी देश में ऐसा कोई उपबन्ध होगा, जोकि अमरीकी बीमा समवाय के विरुद्ध होगा । अन्यथा अमरीका में बीमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

पी० एल०—४८० करार के सम्बन्ध में श्री नायर को कुछ गलतफहमी है । उन्हों ने कहा कि इस करार के बल पर वह अपना अतिरिक्त सामान हमें जबरदस्ती दे रहे हैं और हम से मनमाना दाम ले रहे हैं । मैं मानता हूं कि वहां सामान अतिरिक्त है पर हम पर कोई दबाव नहीं है कि हम उन का अतिरिक्त सामान लें । इन करारों का सब से बड़ा उपयोग हमें यह है कि हम बिना विदेशी मुद्रा खर्च किये ही अनाज आदि आवश्यक सामग्री आयात कर सकते हैं जबकि अन्य किसी देश से हम इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते । यह सच है कि अमरीका में मूल्य बहुत ऊंचे हैं, पर माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि अमरीकी सरकार उन मूल्यों को सहायता देती है और हमें जो मूल्य देने पड़ते हैं वह विश्व के अन्य देशों में प्रचलित मूल्य के समान ही देने पड़ते हैं । अतः अमरीका देश के भीतर के अधिक मूल्यों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमें विश्व मूल्य पर ही सामान मिलता है ।

इसके अतिरिक्त, कोई भी देश जब अपना अतिरिक्त खाद्यान्न बाहर भेजना चाहता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में उस पर चर्चा होती है और खाद्य तथा कृषि संगठन में भी उस पर चर्चा होती है, तब मामला तय होता है। कोई भी देश किसी भी देश में जबरदस्ती अपना अतिरिक्त सामान या खाद्यान्न नहीं भेज सकता । साथ ही विश्व के मूल्य स्तर से अधिक मूल्य भी नहीं ले सकता । अतः आलोचना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पी०एल०—४८० के अधीन वस्तुओं के लिए भारत अमरीका को रुपये के रूप में जो धन देता है उसका २०% से अधिक भाग अनुदान के रूप में भारत को वापिस मिल जाता है। फिर यह कहना ठीक नहीं है कि हम बहुत अधिक मूल्य दे रहे हैं।

इसके पश्चात मैं असैनिक व्यय के बढ़ने का सवाल लेता हूं। गत वर्ष भी मैंने बताया था कि असैनिक व्यय का मतलब क्या होता है। असैनिक व्यय का मतलब केवल प्रशासकीय सेवा का व्यय नहीं होता । असैनिक व्यय में वृद्धि होने का मतलब है उनके समाज कल्याण गतिविधियों तथा सुविधाओं में सरकार अधिक व्यय करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

असैनिक प्रशासन नामक मद में केवल प्रशासकीय सेवायें जैसे सामान्य प्रशासन पुलिस, लेखा-परीक्षण आदि, ही नहीं सम्मिलित हैं, बल्कि सामाजिक व विकास संबंधी सेवायें भी जैसे शिक्षा चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, उद्योग तथा संभरण आदि भी इसमें सम्मिलित हैं। अधिकतर खर्च इन्हीं सामाजिक व विकास संबंधी सेवाओं में बढ़ा है क्योंकि सरकार ने अनेक विकास योजनाएं शुरु कर रखी हैं।

उदाहरण के लिए १९५६–५७ में असैनिक प्रशासन का खर्च ११२ करोड़ रु० था, जिसमें से ३९ करोड़ रु० प्रशासकीय सेवाओं के लिए तथा ८३ करोड़ रु० विभिन्न सामाजिक तथा विकास कार्यों के लिए था। अगले वर्ष इन मदों में क्रमशः ६२ करोड़ रु० तथा २०६ करोड़ रु० खर्च होंगे। २०६ करोड़ रु० सामाजिक तथा अन्य विकास कार्यों पर व्यय होंगे। कहने का मतलब यह है कि इस अवधि में प्रशासकीय सेवाओं का खर्च ३९ करोड़ से बढ़कर ६२ करोड़ रु० हो गया और सामाजिक तथा विकास कार्यों का खर्च ८३ करोड़ से बढ़ कर २०६ करोड़ रु० हो गया।

प्रशासकीय सेवाओं के व्यय में जो २३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है उसमें से ९ करोड़ रु० आदिवासी क्षेत्रों पर, ४ करोड़ रु० पुलिस पर, ३ करोड़ रु० सामान्य प्रशासन व वैदेशिक कार्य पर है। इसमें कुछ वृद्धि इस कारण है कि थोड़े-वेतन वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन-वृद्धि दी जाती है। शेष वृद्धि का कारण यह है कि हमें सीमा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करना है।

सरकारी गतिविधियों के बढ़ने के कारण भी प्रशासकीय सेवाओं के खर्च में भी वृद्धि होना आवश्यक है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम मितव्ययता बरती जाये—पर कार्यकुशलता को कोई धक्का न लगने पावे। सरकार के सभी विभागों में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है कि हमारे प्रयत्नों में कुछ कमी हो, पर हम निःसंदेह प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इस संबंध में सहानुभूति पूर्व व्यवहार की आवश्यकता है केवल आलोचना से कोई काम नहीं होगा।

सामाजिक तथा विकास संबंधी व्यय में जो १२३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है, उसमें से ३२ करोड़ रु० इस्पात तथा लोहा संबंधी अधिभार के स्व-संतुलन मद में है। यह रुपया खर्च नहीं होने वाला है। यह इस्पात समानीकरण निधि में हस्तान्तरित कर दिया जाता है और इतनी ही राशि राजस्व की ओर जमा मान ली जाती है। यह हिसाब-किताब की बात है। शेष ९१ करोड़ की वृद्धि अन्य कई मदों के अधीन है—मुख्य रूप से योजना के अन्तिम वर्ष की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए। २६ करोड़ रु० शिक्षा की मद में, १४ करोड़ चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य की मद में, १२ करोड़ कृषि तथा तत्संबंधी सेवाओं की मद में, १३ करोड़ वैज्ञानिक विभाग की मद में, ११ करोड़ उद्योग तथा पूर्ति विभाग की मद में और १५ करोड़ रु० उड्डयन प्रसारण तथा अन्य विविध मदों में है।

अतः आप देखेंगे कि विकास कार्यों में ही खर्च की वृद्धि हुई है। अतः इसे व्यर्थ की फिजूल खर्ची नहीं कहा जा सकता फिर भी मैं मानता हूं कि खर्च में और भी कमी की जा सकती है और इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में जो आलोचना की गयी है, उसके लिए मैं आभारी हूं, क्योंकि आलोचना से हम सचेत व चौकस हो जाते हैं।

आय-व्ययक के संबंध में यह भी कहा गया कि उसमें हिसाब-किताब गलत तरीके से या ठीक नहीं दिखाया गया है। मेरा निवेदन है कि इस आलोचना का कोई औचित्य नही है। कोई भी वित्त मंत्री चाहे वह कितना ही होशियार क्यों न हो आय-व्ययक का बिल्कुल ठीक अनुमान नहीं लगा सकता। हम अधिक-से-अधिक सही अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान रहे कि राजस्व में जब ५९ करोड़ रु० का घाटा कम हो कर १५ करोड़ रु० रह गया, तब भी १५ करोड़ रु० का और भी घाटा था। यदि हम आरम्भ से भी अधिक राजस्व का अनुमान लगाते तो हमें घाटा भी अधिक पड़ता। अतः हम जो कुछ कर रहे हैं, उससे थोड़ा ही घाटा पड़ता है, अधिक घाटा नहीं पड़ता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि घाटा अधिक हो, तो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि व्यय अधिक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि खर्च पर रोक लगाई जाये। पर इसके लिए भी हिसाब-किताब का सहारा लेना पड़ता है।

इसी कारण हम इस कमी (घाटा) को पूरा करने के लिए कर नहीं लगाते। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी मनुष्यों से गलती हो सकती है।

इसके अतिरिक्त ऋण लेने की सीमा के संबंध में भी अक्सर आलोचना की जाती है। अगस्त, १९५९ में उनके एक संकल्प पर सभा में चर्चा हुई थी और जब सारी स्थिति उनके सामने स्पष्ट हो गयी, तो उन्होंने संकल्प वापस ले लिया।

आय-व्ययक की वर्तमान पद्धिति यही है कि हम हर वर्ष संसद के सामने ऋण तथा करों का ब्यौरा प्रस्तुत कर देते हैं और संसद उसे स्वीकृत करता है। इससे बढ़ कर और कौन-सी स्वीकृति आवश्यक है। उन्होंने ऋणों की सीमा निर्धारित करने के लिए विधान बनाने की बात कही। मेरा कहना है कि न्यूनतम सीमा निर्धारित करने से अनेक विकास कार्यों में रुकावट पड़ेगी और अधिकतम सीमा निर्धारित करना भी हितकर न होगा। अतः मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। इसके अतिरिक्त संविधान की दृष्टि से भी ऐसा विधान बनाना आवश्यक नहीं है। सरकार की इच्छा है, वह विधान बनाये या न बनाये। अतः मेरा कहना है कि विधान बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतिरिक्त करों की भी आलोचना की गयी, पर कम, क्यों कि मेरा ख्याल है कि अधिक आलोचना की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं केवल साइकिल पर लगाये गये कर की बात को लूंगा क्यों कि सभी लोगों ने उस की आलोचना की है। इस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि आगे हम क्या करेंगे क्यों कि आगामी वर्षों में अधिक कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना अधिक कर लगाये और बिना ऋण लिए हम आगे कोई भी उन्नति या विकास नहीं कर सकते।

एक ओर कर लगाने की आलोचना की जाती है, दूसरी ओर घाटे की अर्थव्यवस्था की आलोचना की जाती है और साथ ही यह ही कहा जाता है कि विकास की गति भी कम है। आप हम से आशा करते हैं कि हम अधिक से अधिक विकास कार्य करें। पर बिना अधिक कर लगाये। यह कैसे हो सकता है? यह एक कठिन काम है। हमें जो कुछ काम करना है, उसके लिए हमें त्याग करना ही होगा और बाद में उस त्याग की शिकायत करना ठीक नहीं है।

[श्री मुरारजी देसाई]

कहा गया कि साइकिलों पर कर लगाना अनुचित है क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के उपयोग की वस्तु है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं। किसी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व जापानी साइकिलें १८ रु० में मिलती थीं। पर मेरे जमाने में अर्थात १९२५ के लगभग सस्ती साइकिल ५५ रु० में मिलती थी। बाद में १९५२–५३ में उस पर शुल्क लग गया और वह ८० रु० की हो गयी। इस आयात-शुल्क के फलस्वरूप हमारे देश में साइकिल उद्योग का विकास हुआ है। अतः यदि हम इस उद्योग से राजस्व नहीं लेंगे, तो राजस्व कहां से आयेगा? यही नहीं आज साइकिल का दाम ५५ रु० से बढ़ कर १२० रु० हो गया है। यदि प्रति साइकिल १० रु० कर लगेगा, तो यह कुछ अधिक नहीं है।

आगामी वर्ष में हम देखेंगे कि साइकिलों का उत्पादन कैसा हुआ है। यदि हम देखेंगे कि इस कर के कारण साइकिल उद्योग को ठेस लगी है, तो हम अवश्य इस बात पर पुनः विचार करेंगे। हम कोई भी ऐसा कर नहीं लगाना चाहते, जो किसी उद्योग को ठेस पहुंचाये। अतः माननीय सदस्यों को इस मामले में धैर्य से काम लेना चाहिए।

घाटे की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार व हम सभी चिन्तित रहे हैं। हमें घाटे की अर्थ व्यवस्था करने का कोई शौक नहीं है। बात यह है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में घाटे की अर्थ व्यवस्था के बिना कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि इससे मुद्रास्फीति न पैदा हो जाये। मेरा ख्याल है कि इससे देश में बहुत ही तनिक मुद्रास्फीति बढ़ी है। मूल्यों की वृद्धि के संबंध में माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता प्रकट की है और मुझे भी इससे चिन्ता है। हमें मूल्यों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। मूल्य इसलिए नहीं बढ़े हैं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था की गयी है बल्कि इसलिए बढ़े हैं कि कृषि उत्पादनों के मूल्य बढ़ गये हैं। आप देखेंगे कि औद्योगिक उत्पादनों का मूल्य उतना नहीं बढ़ा है, जितना कृषि उत्पादनों का। मूल्य इसलिए बढ़ते हैं कि मेरे मित्र वेतन आयोग की मांग करते हैं, कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन की मांग करते हैं और भी न जाने क्या-क्या मांग करते हैं। वे गन्ना उत्पादकों के लिए अधिक मूल्य की मांग करते हैं। परिणामस्वरूप चीनी की मिलें बन्द हो जाती हैं, उत्पादन कम हो जाता है और फिर चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। उसके बाद फिर सरकार को बदनाम करते हैं कि सरकार की गलती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर ऐसा उपाय करें कि मूल्य बढ़ने न पावें। एक माननीय मित्र ने कहा था कि यदि हमें आयोजन करना है, तो हमें नियंत्रण लगाना चाहिए। कुछ वस्तुओं पर नियंत्रण है। नियंत्रण लगाना कोई शर्म या मानहानि की बात तो है नहीं। यदि नियंत्रण से कोई लाभ हो, तो हम नियंत्रण लगाने को तैयार हैं। पर इतने बड़े देश में—जब कि उत्पादन की कमी है— वितरण पर नियंत्रण लगाना अधिकाधिक भ्रष्टाचार पैदा करेगा और हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार बढ़े। हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कड़ा-से-कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अतः जिन नियंत्रणों की बात कही गयी है, वे—भले ही जरूरी हों—लाभदायक नहीं होंगे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम आयोजना न करें। हमें तो आयोजन करना ही है क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पर चूंकि हम सब इंसान हैं और गलती सभी से होती है। कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं है। अतः हम प्रयत्नशील है।

आचार्य कृपालानी का दृष्टिकोण कुछ निराशावादी है। उनका कहना है कि हमें धीरे-धीरे प्रगति करनी चाहिए। यदि इससे लाभ हो, तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं। पर हमारे जैसे गरीब देश के लिए जरूरी है कि हम तेजी से उन्नति करें, धीरे-धीरे प्रगति

करना हमारे देश की मृत्यु होगी। इसी कारण हम तेजी से उन्नति करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हमारे देश की गरीबी, जिसके प्रति हम सब इतने चिन्तित हैं, दूर हो जाये। इसलिए आवश्यक है कि हम आयोजना करें कि हमारे देश की उन्नति काफी तेजी से हो और हम एक उचित समय में ऐसी उन्नति कर लें कि हमारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जायें। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा करना नहीं चाहते तो, स्पष्ट है कि हम उन्नति नहीं कर सकत और हमारा अन्त निकट है।

यदि सवाल यह है कि गरीबी का समान वितरण हो और सभी भूखों मरने लगें, तो हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। पर हमारा यह लक्ष्य नहीं है। कुछ लोगों ने सादे जीवन की बात कही। मैं उनसे सहमत हूं। पर किसी को सादा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर करना हानिकारक सिद्ध होगा।

हमारी योजनायें सामान्य जनता के लिए हैं, दार्शनिकों के लिए नहीं हैं, जो सादा जीवन व्यतीत करके अपने को ऊंचा उठाना चाहते हैं। साधारण जनता तो अपने रहन-सहन का स्तर उंचा उठाना चाहती है और उसी के लिए हम भी प्रयत्नशील हैं।

यह भी कहा गया कि राष्ट्रीयकरण से सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बल्कि मेरा ख्याल है कि राष्ट्रीयकरण से स्थिति और भी खराब हो जायेगी—नई परियोजनाओं व नये कामों के लिए हमें धन नहीं मिलेगा। हमारा यह सिद्धान्त नहीं है। जिस क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण से हमें लाभ हो, हम राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, पर जहां हमें इससे लाभ नहीं हो, वहां हम राष्ट्रीयकरण का सहारा नहीं ले सकते।

भूमि-सुधार के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा गया कि भूमि-सुधार के काम में उतनी उन्नति नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए। पर मैं पूछता हूं कि क्या यह आलोचना पूरी तरह से ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद गत १२ वर्षों से हम भूमि-सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सदियों सुरानी इस परिपाटी को, जिसमें २० करोड़ व्यक्ति फंसे हुये हैं, बदलने के लिए क्या १२ वर्ष का समय बहुत अधिक है? यदि हमें उस परिपाटी को बदलना है—अहिंसात्मक ढंग से—तो क्या हमें इतनी जल्दी अधीर हो उठना चाहिए? ठीक है हमें आत्मतुष्ट नहीं होना चाहिए और आगे प्रयत्न करते रहना चाहिए, पर यदि हम बहुत अधिक अधीर हो उठेंगे तो अभी तक जो सुधार हुआ है, वह भी नष्ट हो जायेगा और हम उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पायेंगे। हमारे भूमि-सुधार का प्रयोजन है कि भूमि का उत्तम उपयोग हो—अधिकतम उत्पादन के लिए। यही हमारे भूमि-सुधार का लक्ष्य है। अतः हम भूमि-सुधार योजनाओं को अच्छी तरह से कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं— सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुये। हमने जो उन्नति की है उसके बारे में कोई भी शर्म की बात नहीं है। जिस तरह हमारे देश में भूमि-सुधार हुआ है, वैसा अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ है। मध्यवर्ती लोगों को लगभग बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और अधिकांश राज्यों में लगान भी नियमित कर दी गयी है। लगान धीरे-धीरे कम की जा रही है और कुछ समय बाद वास्तविक कृषक पर ही लगान का बोझ रहेगा। यदि हम उस समय भूमि को कृषकों को देना चाहते, जब उनके मूल्य बहुत अधिक थे, तो भूमि वास्तव में उन्हें मिल न पाती। क्रमिक क्रान्ति ही हमारे भूमि-सुधार के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। भूमि सुधार का शेष भाग दो-तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा पर यदि इससे अधिक एक-दो साल का समय और भी लग जाता है, तो मैं समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात न होगी। भूमि-सुधार के संबंध में मुझे इतना ही कहना है।

प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में भी कहा गया कि इस बार आयव्ययक में जरूरत के मुताबिक धन की व्यवस्था नहीं की गयी है । मेरा निवेदन है कि इस बात का निर्णय माननीय सदस्य सरकार पर ही छोड़ दें कि जरूरत कितनी है और कितनी नहीं है । इस सम्बन्ध में ब्यौरेवार ढंग से कुछ बताना ठीक न होगा । यदि आगे अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं सभा के सामने मांग प्रस्तुत करूंगा और मुझे आशा है कि सभा उसे स्वीकार करेगी । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि देश की रक्षा के लिए तथा देश को खतरे से बाहर रखने क लिए हम सब कुछ करेंगे और कोई भी कसर नहीं रखेंगे । मैं प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रदेशों की परियोजनाओं की बात भी उठाई थी । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति यही रही है कि सभी प्रदेश समान रूप से प्रगति करें और सभी प्रदेश विकास के समान स्तर पर आ जायें । पर पांच-दस वर्षों के अन्दर ही सभी प्रदेशों को समान स्तर पर ला देना, सम्भव नहीं है । इस में कुछ समय लगेगा । यदि सभी योजनाओं और परियोजनाओं को देखा जाये, तो आप पायेंगे कि उन क्षेत्रों पर अधिकाधिक धन व्यय किया जा रहा है, जो पिछड़े हुए हैं या जिन्हें पिछड़ा हुआ समझा जाता है । साथ ही हमें अपने संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करना है कि हमें अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध हों और हम शीघ्रता से विकास कर सकें । यदि हम अपने संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करते हैं, कि उस से हमें काफी लाभ नहीं होता, तो हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास उतनी शीघ्रता से नहीं कर पायेंगे, जितनी शीघ्रता से हम करना चाहते हैं और हम पिछड़ जायेंगे । अतः आवश्यक है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करें कि वे बढ़ते ही जायें ताकि हमारा विकास अधिकाधिक तेजी से हो सके । इसी दृष्टिकोण से हम ने आयव्ययक में उपबन्ध किया है और मुझे आशा है कि सभा इसे मंजूर कर देगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सामान्य चर्चा समाप्त हो गई ।

लेखानुदान की मांगें

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आयव्ययक (सामान्य) १९६०-६१ के बारे में लेखानुदान की मांगों को लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६०-६१ के लिए लेखानुदान की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	६,३९,००० रुपये
२	उद्योग	२,१७,७१,००० रुपये
३	नमक	४,३७,००० रुपये
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े . . .	७,००,००० रुपये
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय	२०,५२,००० रुपये

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . .	२,४८,००० रुपये
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	१,९७,८६,००० रुपये
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय . .	३,५१,००० रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी सेना . . .	१६,७४,९५,००० रुपये
१०	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी नौसेना . . .	१,६२,९४,००० रुपये
११	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी वायुसेना . .	५,२२,४५,००० रुपये
१२	प्रतिरक्षा सेवा, अक्रियाकारी प्रभार . .	१,२८,३७,००० रुपये
१३	शिक्षा मंत्रालय . . .	३,५३,००० रुपये
१४	शिक्षा	२,९७,०८,००० रुपये
१५	शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय	३१,८६,००० रुपये
१६	आदिम-जाति क्षेत्र	८५,६५,००० रुपये
१७	नागा पहाड़ियां—त्वेनसांग क्षेत्र . . .	२७,१७,००० रुपये
१८	वैदेशिक कार्य . . .	९८,८०,००० रुपये
१९	पाण्डीचेरी राज्य	२८,५९,००० रुपये
२०	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय .	४१,००० रुपये
२१	वित्त मंत्रालय	१३,९८,००० रुपये
२२	सीमा शुल्क	३२,८४,००० रुपये
२३	संघ उत्पादन शुल्क	७३,६७,००० रुपये
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर . .	४९,६६,००० रुपये
२५	अफीम	४,४९,६७,००० रुपये
२६	मुद्रांक	२०,७७,००० रुपये
२७	लेखा-परीक्षा	९९,५५,००० रुपये
२८	चल मुद्रा	३०,१९,००० रुपये
२९	टकसाल	५४,९८,००० रुपये
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन . .	१,९६,००० रुपये
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति वेतन . .	७०,८४,००० रुपये
३२	वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय	६,१५,०६,००० रुपये
३३	योजना आयोग	२१,१७,००० रुपये
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	१,३४,००० रुपये
३५	विभाजन के पूर्व के भुगतान . . .	३,२०,००० रुपये

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६,२९,००० रुपये
३७	वन	२३,३३,००० रुपये
३८	कृषि	८७,८३,००० रुपये
३९	कृषि गवेषणा	४३,५८,००० रुपये
४०	पशुपालन	२३,४२,००० रुपये
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,०६,१६,००० रुपये
४२	स्वास्थ्य मंत्रालय	१,५०,००० रुपये
४३	चिकित्सा सेवायें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	२,३३,६९,००० रुपये
४४	स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	७,८२,००० रुपये
४५	गृह-कार्य मंत्रालय	२७,८३,००० रुपये
४६	मंत्रि-मण्डल	३,१५,००० रुपये
४७	क्षेत्रीय परिषदें	२३,००० रुपये
४८	न्याय प्रशासन	२०,००० रुपये
४९	पुलिस	६०,०९,००० रुपये
५०	जन-गणना	१२,६९,००० रुपये
५१	आंकड़े	१५,८३,००० रुपये
५२	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	१,४३,००० रुपये
५३	दिल्ली	१,०४,६८,००० रुपये
५४	हिमाचल प्रदेश	५७,८२,००० रुपये
५५	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	२४,७३,००० रुपये
५६	मनीपुर	२७,२९,००० रुपये
५७	त्रिपुरा	३५,५३,००० रुपये
५८	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीन द्वीप द्वीप समूह	१,९७,००० रुपये
५९	गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	८७,९९,००० रुपये
६०	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१,१५,००० रुपये
६१	प्रसारण	४२,८३,००० रुपये
६२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	३१,७२,००० रुपये
६३	सिचाई और विद्युत मंत्रालय	२,०३,००० रुपये
६४	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१८,६४,००० रुपये
६५	सिचाई और विद्युत् मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१५,४१,००० रुपये

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६६	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	१,७२,००० रुपये
६७	मुख्य खान निरीक्षक	२,०९,००० रुपये
६८	श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय	९४,५१,००० रुपये
६९	विधि मंत्रालय	२,३२,००० रुपये
७०	निर्वाचन	८,०८,००० रुपये
७१	पुनर्वास मंत्रालय	२,८१,००० रुपये
७२	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्प संख्यकों पर व्यय	१,६९,०१,००० रुपये
७३	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य	२,८१,००० रुपये
७४	पुरातत्व	१०,१७,००० रुपये
७५	भारत का सर्वेक्षण	१६,६०,००० रुपये
७६	वनस्पति सर्वेक्षण	१,४४,००० रुपये
७७	प्राणिकोय सर्वेक्षण	१,०५,००० रुपये
७८	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	१,४२,१७,००० रुपये
७९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय	३,४१,००० रुपये
८०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	३,३७,००० रुपये
८१	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१६,६१,००० रुपये
८२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय	३,६७,१३,००० रुपये
८३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४,९७,००० रुपये
८४	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	५,९६,९१,००० रुपये
८५	डाक तया तार सामान्य राजस्व में लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग	७३,६७,००० रुपये
८६	वणिक नौवहन	५,७४,००० रुपये
८७	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश पोत	१२,५१,००० रुपये
८८	ऋतु विज्ञान विभाग	१५,४४,००० रुपये
८९	समुद्र पार संचार सेवा	१०,७४,००० रुपये
९०	उड्डयन	५७,८५,००० रुपये
९१	केन्द्रीय सड़क—निधि	८८,८३,००० रुपये
९२	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित)	६२,४२,००० रुपये

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
९३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय	२३,०३,००० रुपये
९४	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	५,३८,००० रुपये
९५	संभरण	२४,६४,००० रुपये
९६	अन्य असैनिक निर्माण कार्य	२,३४,६९,००० रुपये
९७	स्टेशनरी और मुद्रण	६५,८८,००० रुपये
९८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय	१३,२०,००० रुपये
९९	अणु शक्ति विभाग	१,३६,००० रुपये
१००	अणु शक्ति गवेषणा	४५,१५,००० रुपये
१०१	संसद् कार्य विभाग	२२,००० रुपये
१०२	लोक-सभा	८,६३,००० रुपये
१०३	लोक-सभा के अन्तर्गत विविध व्यय	४१,००० रुपये
१०४	राज्य सभा	३,१०,००० रुपये
१०५	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	६,००० रुपये
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,१३,४४,००० रुपये
१०७	सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय का पूंजी व्यय	४२,९२,००० रुपये
१०८	प्रतिरक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,३०,००,००० रुपये
१०९	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,९०,००० रुपये
११०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७,१४,००० रुपये
१११	इण्डिया सिक्यूरिटी प्रैस पर पूंजी व्यय	१,११,००० रुपये
११२	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय	४५,८९,००० रुपये
११३	टक्सालों पर पूंजी व्यय	८४,००० रुपये
११४	सेवा निवृत्ति वेतन का परिगणित मूल्य	३,५४,००० रुपये
११५	छटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	१,००० रुपये
११६	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६,५९,१०,००० रुपये
११७	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और पेशगियां	१५,३१,१९,००० रुपये
११८	वनों पर पूंजी व्यय	४७,००० रुपये
११९	खाद्यान्नों का क्रय	२९,९५,५९,००० रुपये
१२०	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३,७९,५४,००० रुपये
१२१	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,५५,६९,००० रुपये

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१२२	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	७,३८,००० रुपये
१२३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय	१४,९४,००० रुपये
१२४	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी व्यय	२२,५२,००० रुपये
१२५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७,०१,००० रुपये
१२६	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय	१८,००० रुपये
१२७	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	१,८४,७७,००० रुपये
१२८	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२५,०६,००० रुपये
१२९	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	५,३७,५३,००० रुपये
१३०	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया) . . .	१,९६,३९,००० रुपये
१३१	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३८,३०,००० रुपये
१३२	पत्तनों पर पूंजी व्यय . .	२४,१९,००० रुपये
१३३	सड़कों पर पूंजी व्यय .	१,६६,६७,००० रुपये
१३४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८८,६२,००० रुपये
१३५	दिल्ली पूंजी व्यय .	५७,१६,००० रुपये
१३६	भवनों पर पूंजी व्यय	८१,९९,००० रुपये
१३७	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	५८,६८,००० रुपये
१३८	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय . . .	४४,१६,००० रुपये

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं खण्डों और अनुसूची को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड २ तथा ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ तथा ३, अनुसूची, खण्ड ३, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विदेशी पर्यटक*

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आधे घंटे की चर्चा होगी ।

श्री अ० मु० तारिक : (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आप को आधे घंटे बहस करने की इस वास्ते तकलीफ दे रहा हूं कि १८ तारीख को मैंने इस हाउस में एक सवाल पूछा था जो इस तरह से था और उसी के बारे में मैं कुछ और अर्ज़ करना चाहता हूं :—

"क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये और उपाय करने का विचार कर रही है ?"

जहां तक बाहर के मुल्कों से सैयाहों को हिन्दुस्तान में लाने का मसला है इस में कोई शक नहीं है कि हमारे वज़ीर साहब और डिपार्टमेंट इस की बहुत कोशिश करते हैं । लेकिन यह सिर्फ

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

कोशिश का सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में बाहर से आये हुए लोगों को क्या क्या मुनासिब सहूलियतें पहुंचाई जायें । मुनासिब सहूलियतों का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम इस मुल्क के मशहूरतरीन इन्सान पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ही इस सिलसिले में पेश करें । अभी चन्द महीने पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को महसूस किया था कि बाहर से आये हुए सैयाहों को इस मुल्क में कुछ तकलीफ होती है उन को सही किस्म का सलूक नहीं मिलता है और इस को सामने रखते हुए उन्हों ने हिन्दुस्तान के लोगों के सामने एक अपील रखी थी जिस के अल्फ़ाज़ ये हैं :—

> "विदेशी पर्यटकों का स्वागत एक अतिथि तथा मित्र के रूप में किया जाना चाहिये जिस से अपने देश को वापस लौटने पर वह भारत में अपनी यात्रा की सुखद स्मृतियां साथ ले कर जायें ।"

यह अपील अभी शाया भी नहीं हुई थी, इस की अभी स्याही भी नहीं सूखने पाई थी कि हमारे सामने एक मशहूर अमरीकी शहरी फ्रेड्रिक मार्च का मसला आया । वह जब हिन्दुस्तान में आये तो सिर्फ हिन्दुस्तान की पुरानी इमारतों को ही नहीं बल्कि मौजूदा हिन्दुस्तान को, तरक्की करते हुए हिन्दुस्तान को और मौजूदा हिन्दुस्तान की सिविलाइज़ेशन को भी वह देखने आये। उन के साथ मदुराई में जो सलूक हुआ उस के बारे में सेनेट के एक मैम्बर ने अमरीका में जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है और अमरीका के लोगों ने जिस तरह से इस चीज़ को महसूस किया है, वह आप जानते हैं । उन्हों ने कहा है कि जवाहरलाल के हिन्दुस्तान में अशोक के हिन्दुस्तान में और बढ़ते हुए हिन्दुस्तान में एक अमरीकी सैयाह को किस तरह से मजबूरी की हालत में, किस तरह ज़लालत की हद तक रोका जाता है और उस से हुई एक मामूली सी गलती पर जो शायद उस की गलती नहीं थी बल्कि किसी हद तक हमारी गलती थी, परेशान किया जाता है, यह देखने वाली बात है । अगर हम इस मुल्क में सही गाइड्स को, सही ट्रेवल एजेंट्स को रिकगनाइज़ करें तो इस तरह की तकलीफ पेश न आये । एक अनआथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट ने उस को एक ऐसी टैक्सी में बिठा दिया जोकि उस इलाके में नहीं जा सकती थी चूंकि उस के पास लाइसेंस नहीं था जहां वह चली गई, तो वहां पर पुलिस ने उस टैक्सी को पकड़ा और उस के पास जो वैग वगैरह थे उन को खोला गया और उस के पास एक कलील मिकदार में जो शराब की चन्द बून्दें थीं उस बिना पर उस को ज़लील किया गया । इस सिलसिले में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि शराब अच्छी चीज़ है या बुरी । लेकिन आप को फैसला करना है कि शराब को बिल्कुल हमेशा के लिये बन्द करना है या इस को रखना है और अगर कंसेशन देने हैं तो उस हद तक देने हैं जिस की बाहर से आये हुए लोगों को तवक्को हो । अब उन से ८० हज़ार रुपये की ज़मानत ली गई । यह मामला अमरीकी ऐवान में आया । अमरीका के अखबारों ने इस की चर्चा की । लेकिन चर्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात यह है कि जब हम इस मुल्क में लाखों रुपये इसलिये खर्च करते हैं कि हिन्दुस्तान की खूबसूरती को शोहरत दें, यहां की दस्तकारी को शोहरत दें, यहां के लोगों के इख़लाक को शोहरत दें, वहां पर हमारा थोड़ा सा यह फ़र्ज़ भी हो जाता है कि हम अपने डिपार्टमेंट में और ऐसे लोगों में जिन का ताल्लुक टूरिज्म से है उन को भी इस किस्म की तरबीयत दें जिस की कि लोग उन से तवक्को करते हैं । हमें चाहियें कि हम अच्छे गाइड पैदा करें, यहां अच्छे अच्छे होटल हों । हमारे लिये यह भी जरूरी है कि हम अपने गाइड्स को सही तालीम दें ।

अभी पिछले दिनों बाहर के मुल्कों से कुछ गाइड्स, कुछ लोग आये थे जो ट्रेवल एजेंट्स, जो टूरिज्म के माहिर थे, उन्हों ने इन बातों की सिफारिश की थी । उन्हों ने कहा था कि हिन्दु-

[श्री अ० मु० तारिका]

स्तान में जितने बड़े बड़े होटल हैं उन के किचिन उतने साफ नहीं हैं जितने होने चाहियें । यह एक हकीकत है ।

हम में से बहुत से लोग जो अक्सर जाते हैं, जो देहाती लोग हैं, वे जाते हैं लाल किला को या ताज महल को देखने या किसी और जगह को देखने तो उन को कहीं भी अच्छे गाइड नहीं मिलते हैं जो उन्हें इमारत की खूबी से इमारत के तारीखी पस-मंजिर से रुहशनास करा सकें ।

ये सब बातें ऐसी हैं जिन को यहां रखने के लिये मुझे इस डिसकशन को मांगना पड़ा है । यहां पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम इस्तेमाल करने से, उन के बड़े बड़े फोटो छापने से, उन की अपील को मोटे मोटे अल्फाज़ में छापने से मसला हल नहीं हो सकता है । कितनी खूबसूरत तसवीर थी जिस के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील को छापा गया था । लेकिन लोगों को वह मिल गई और उन्हों ने काट कर उस को अपने घरों में रख लिया । यह कहा जाता है कि दुनिया के एक मशहूर फोटोग्राफर ने इस तसेवीर को खींचा था । इस वास्ते इस मुल्क के तालिबइल्मों में, इस मुल्क के दुकानदारों में और आम इनसानों में इस बात को पैदा करने की जरूरत है कि बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आये तो उस के साथ किस किस्म का सलूक उन्हें करना चाहिये । लेकिन इस में भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिये कि हम अपने लोगों में एहसास कमतरी, इनफीरियारिटी कम्पलैक्स पैदा न करें । टूरिज्म का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि बाहर के जो लोग आते हैं, सिर्फ वह ही टूरिस्ट हैं और अपने लाखों लोग जो जाते हैं किसी जगह को देखने, वे टूरिस्ट नहीं हैं । अगर हम ने बाहर के टूरिस्ट्स को इतनी अहमियत न दी होती तो यह मामूली सी बात इतनी शोहरत हासिल न कर जाती । इस वास्ते इन सभी बातों पर ध्यान देने की आज जरूरत है ।

कई सालों से हम यहां यह कहते आ रहे हैं कि भीख मांगने वालों का नम्बर बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है । जहां जाइये, रेलवे स्टेशन पर जाइये, अगर टूरिज्म हम को इस मुल्क में निभाना है, तरक्की देनी है तो हमें यह देखना है कि टूरिस्ट्स को सहूलियात भी मिलें । हम उन से बहुत दाम वसूल करते हैं तो हमारे डाइरेक्टर जेनरल के फरायज़ यह भी हैं । वह बहुत अच्छे आदमी हैं, दुनिया के टूरिज्म से वाकिफ हैं, काफी समझदार हैं इस मामले में । रेल के डब्बों की जांच कराना उन का काम है कि किस कदर गन्दे हैं हमारे डब्बे । जब आप फारेनर्स को बुलाते हैं, वे लाखों रुपये खर्च करना चाहते हैं इस मुल्क में, तो उन के लिये सहूलियत पैदा करना भी आप का फर्ज हो जाता है । टूरिज्म के यह माने नहीं हैं कि हम लोगों को बाहर से लायें लेकिन उन को ला कर मुनासिब सहूलियात भी न पहुंचायें । हम को भी सहूलियात मिलती हैं जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं । लेकिन यहां पर बाहर से आये हुए टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं ।

मैं कश्मीर की बात करना चाहता हूं । कश्मीर एक खूबसूरत मुल्क है, कश्मीर को उस की तवारीख ने काफी रोशन रक्खी है । फिर कश्मीर इस बजह से भी मशहूर है कि वहां के जो सयासी हालात हैं वह इस किस्म के हैं । बहुत से लोग इस लिये वहां जाते हैं । यह हकीकत है कि मौसम का इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन सारे कश्मीर में कोई ट्रैवेल एजेन्ट ऐसा नहीं है जो फारेन टूरिस्ट्स की कोई सही इमदाद कर सके, कहीं उस की सीट को कैंसल करा सके जब उसे कहीं बाहर जाना हो । अगर एक फारेनर कश्मीर जाता है तो चार पांच दिन के लिये जाता है । मौसम खराब होता है तो वह चाहता है कि बम्बई में जो उस का रिजर्वेशन है वह कैंसेल हो जाय या उसे मालूम हो कि चार या पांच दिन के बाद उसे सीट भी मिल सकती है या नहीं, लेकिन इस का कोई इन्तजाम नहीं है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने बहुत बड़े फारेनर्स तक को रोते देखा है सड़क पर कि वह क्या करे । कोई उस की तकलीफ का इलाज नहीं कर सकता, कोई नहीं बतला सकता कि कहां उस को जाना है और क्या करना है । जब लोग दो तीन दिन के लिये कश्मीर

आते हैं तो सिर्फ इसलिये कि आप ने कश्मीर की बहुत पब्लिसिटी कर रखी है, लेकिन वहां जा कर वह फंस जाता है। उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। आई० ए० सी० में हमने देखा है जो कि आप का इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन है, कि जब वह किसी टूरिस्ट को कश्मीर पहुंचाता है तो वह वहां से वापस भी आना चाहता है, लेकिन जिस दिन उस की सीट रिजर्व होती है, उस को जगह नहीं दी जाती है। इस की बेशुमार शिकायतें आई हैं फारेनर्स की तरफ से। जो हमारे डाइरेक्टर जनरल टूरिज्म के हैं या वजीर साहब हैं, उन का यह फर्ज हो जाता है कि वह इस चीज को देखें कि आखिर टूरिस्ट इस मुल्क में पैसा खर्च करना चाहता है, मुल्क की खूबसूरती से मुतासिर होने के अलावा यह चाहता है कि यहां लोगों के एख्लाक से भी मुतासिर हो, वह देखना चाहता है कि बढ़ते हुये हिन्दुस्तान में क्या होता है, हमारे देहात कैसे हैं, गांव कैसे हैं, लोग कितनी तरक्की कर पाये हैं। हम अपने टूरिज्म को सिर्फ पुरानी और बहुत सी बोसीदा इमारतों पर ही नहीं चला सकते। बहुत से लोग इस मुल्क में सिर्फ इसलिये आते हैं कि नये हिन्दुस्तान को देखें, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नये हिन्दुस्तान के बारे में हमारे टूरिज्म के आफिसर्स भी नहीं जानते हैं। उन्हें खुद हिन्दुस्तान का नक्शा नही मालूम कि क्या हिन्दुस्तान है। हमें इन चीजों की तरफ निहायत समझ से, निहायत अक्लमन्दी से और सब्र से देखना है कि आखिर किस तरह हम इस मुल्क में टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं।

मैं उम्मीद रखता हूं कि इस तरफ खयाल किया जायेगा। मैं वजीर टूरिज्म से कोई शिकायत नहीं करता। इस में कोई शक नहीं कि इस ऐवान में मैंने अपनी पिछली तकरीर में इस डिपार्टमेंट की काफी तारीफ की है, और यकीन दिलाता हूं कि एक मेम्बर की हैसियत से, एक हिन्दुस्तान के शहरी की हैसियत से मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं अच्छे काम की तारीफ करूं, लेकिन इस के साथ मुझ पर यह फर्ज भी आयद होता है कि मैं जहां पर कोई खामियां देखूं, उन को भी इस ऐवान के जरिये नोटिस में लाऊं।

मैं आखीर में सिर्फ एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जिस में किसी वजह से कहीं कोई नाराजगी न हो जाय :

रूए सखुन किसी की तरफ हो तो रू सियाह,
सौदा नहीं, जूनूं नहीं, वहशत नहीं मुझे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बलोदा बाज़ार) : पर्यटन निदेशालय के बारे में श्री तारिक ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका पर्यटन निदेशालय से कोई सम्बन्ध नहीं; इन बातों की ज़िम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। मैं पर्यटन विभाग की प्रशंसा करता हूं कि कठिनाइयों के बावजूद उसने पर्यटकों के लिये बहुत कुछ सुविधायें दी हैं। श्री तारिक ने कहा कि बहुत से पर्यटन पदाधिकारी भारत के नक़शे की भी जानकारी नहीं रखते हैं। यह बिल्कुल ग़लत है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे देश के पर्यटन पदाधिकारियों को उन सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान है जिनका पर्यटन से सम्बन्ध है। हमारे होटलों और गाइडों के स्तर में भी पिछले पांच वर्षों में बहुत सुधार हुआ है।

मैं यह मानता हूं कि देश की पर्यटन सुविधाओं के प्रशासन में बड़ी गड़बड़ी है और इसी कारण यह जानना चाहता हूं कि इस गड़बड़ी अर्थात् राज्य और केन्द्र के कार्यों की परिभाषा आदि के बारे में क्या किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विमान सेवाओं में सुधार के बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि विदेशी पर्यटकों को इसकी अनियमितताओं के कारण बड़ी असुविधा होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री शुक्ल जी की तरह मिनिस्ट्री की वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन केवल दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह काम तो शायद मिनिस्टर महोदय का था न कि प्रश्नकर्ता महोदय का।

मुझे बहुत से विदेशी पर्यटकों से यह जान कर प्रसन्नता हुई कि वे भारतीय भोजन, भारतीय संगीत और भारतीय जीवन की जानकारी करने के लिये भारत में आते हैं। लेकिन हमारी ओर से जो व्यवस्था की गई है, वह योरोपियन ढंग के भोजन, और वहीं के रहन सहन के तरह की ही की जा रही है। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जो विदेशी पर्यटक भारत की वास्तविक झांकी देखना चाहते हैं, या भारतीय जीवन के अन्दर रह कर उस का अध्ययन करना चाहते हैं क्या उस के लिये उन को कुछ सुविधायें दी जा रही हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से विदेशी पर्यटक हिमालय के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ वर्षों से हिमालय की सीमा के समानान्तर जो आन्तरिक रेखा, अर्थात् इनर लाइन, खींची गई है, उस के कारण उन के वहां जाने में रुकावट हो रही है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि उन्हें पर्मिट मिलने में बड़ी कठिनाई हुई है और बड़ी अड़चनें हुई हैं। जहां तक मुझे मालूम है, चीन सरकार के अनुरोध पर वह आन्तरिक रेखा, इनर लाइन सींची गई थी। तो क्या उसके संशोधन पर भी कोई विचार किया जा रहा है ? तथ्य यह है कि काफी विदेशी पर्यटक आज हिमालय के इन्टीरियर में जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिये बद्रीनाथ इनर लाइन के अन्दर आ जाता है। बद्रीनाथ तक कोई विदेशी यात्री तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके पास भारत सरकार का पर्मिट न हो। तो क्या इस रुकावट को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि हम विदेशी पर्यटकों पर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन स्वयं हमारे भारतीय पर्यटक आज भारत की झांकी देख सकें, आज वे भारत को पहचान सकें और उन को भारत के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी हो सके क्या इस के लिये भी कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं श्री तारिक का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कुछ प्रश्नों, विशेषत: फ्रेडरिक मार्च के साथ हुई घटना के बारे में उठाये गये प्रश्न को स्पष्ट करने का मुझे अवसर प्रदान किया है।

श्री तारिक ने अपने भाषण के आरम्भ में प्रधान मंत्री द्वारा की गई एक अपील का उल्लेख किया। प्रधान मंत्री ने यह अपील पर्यटन आन्दोलन आरंभ करते समय की थी। हमने उनसे पर्यटन आन्दोलन की सफलता के बारे में एक संदेश मांगा था और वही संदेश एक अपील के रूप में उनसे हमें मिला था जिसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं।

प्रधान मंत्री की इस अपील के बारे में संभवतया मेरे माननीय मित्र का यह ख्याल है कि हमारी जनता विदेशियों और पर्यटकों के प्रति शिष्टता नहीं दिखाती जो इस प्रकार की अपील प्रधान मंत्री से मांगी गई। मैं उन्हें आश्वासन दे देना चाहता हूं कि इस अपील को अथवा संदेश को लेने में हमारा ऐसा कोई उद्देश्य न तो था तथा न है। मैं समझता हूं कि यदि हम इस प्रकार का आन्दोलन करते हैं कि पर्यटन बढ़ें और पर्यटकों के प्रति हमारी जनता विशेष ध्यान दे तो हम कोई ग़लत काम नहीं करते हैं। सभी देशों में ऐसा होता है। एक वर्ष अमरीका में राष्ट्रपति आइज़नहावर ने भी अमरीका देखने के लिये एक अपील परिचालित की थी और उसमें इससे भी ज्यादा कहा गया

†मूल अंग्रेजी में

था। ऐसा समझना कि हमने प्रधान मंत्री से यह संदेश इस कारण प्राप्त किया कि हमारी जनता में शिष्टता की कमी है, ठीक नहीं है। सच तो यह है कि विदेशियों के प्रति शिष्टता और उदारता दिखाने के बारे में हमें अपने देश पर घमंड है। हमने सर्वथा उनको अपना 'अतिथि' माना है। जो तिथि निश्चित करके भारत आते हैं वह तथा जो बिना तिथि निश्चित किए आते हैं वह भी हमारे अतिथि हैं तथा उनका स्वागत है। हमारा इस संदेश को लेने में यही उद्देश्य था कि जो भी लोग पर्यटकों के सम्पर्क में आयें उन्हें अपने कर्त्तव्यों का और अधिक ज्ञान हो जाये।

मेरे मित्र श्री तारिक ने फ़्रेडरिक मार्च सम्बन्धी घटना का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि यहां यह अधिक उचित होगा कि मैं मद्रास सरकार के गृहमंत्री श्री भक्तवत्सलम द्वारा इसके बारे में दिए गए वक्तव्य का कुछ अंश सभा में पढ़ दूं। मैं मानता हूं कि यह बड़ी दुखद घटना हुई क्योंकि इस का सम्बन्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० क्रोहन तथा श्री फ़्रडरिक मार्च से था। यह घटना नहीं होनी चाहिये थी। मैं इस वक्तव्य के द्वारा किसी बात से बचना नहीं चाहता।

विधान सभा में श्री भक्त्वत्सलम ने बताया था कि "पर्यटकों ने पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की। दक्षिण रेंज के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल पुलिस ने घटना की जांच करके यह बताया कि अमरीकी पर्यटकों ने टेकनिकल दृष्टि से राज्य मद्यनिषेध अधिनियम के अधीन अपराध किया, जिसके लिए उनको एक वर्ष के कठोर कारावास और २,००० रुपये के जुर्माने की सज़ा मिल सकती थी। गुडलूर पुलिस थाने में उनके विरुद्ध मामला रजिस्टर किए जाने के बाद वहां के हैड कान्सटेबल ने उनको ज़मानत पर जाने की अनुमति देनी चाही परन्तु पर्यटकों की इच्छानुसार उत्तम-पलयम में सब-मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामला भेज दिया गया। शराब की बोतलें मिल जाने पर हैड कान्स्टेबल मामले को दबा नहीं सकता था।"

हम हैड कान्सटेबल को अशिष्टता अथवा असभ्यता का व्यवहार करने के लिये दंड दे सकते हैं लेकिन हमें यह भी समझना चाहिये कि हैड कांस्टेबल ने केवल अपना कर्त्तव्य पूरा किया था। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये था। इस समय मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि मामले की और जांच करूं या यह कहूं कि मद्रास के मंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य ठीक था अथवा ग़लत। मैं देश में आए माननीय अतिथियों से क्षमा याचना करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी।

मैं इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग कोई "मूल" प्रकार का विभाग नहीं है; यानी उसका अपना कोई मूल प्राधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। यह केवल एक समन्वयकारी विभाग है, जो विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, तथा सरकारों के आपसी सम्पर्क की देख भाल करता है। यह विभाग अन्य विभागों या पदाधिकारियों को आदेश नहीं देता। यह ज़रूर है कि इसके कुछ संगठन हैं जिनसे हमारी कठिनाइयां दूर करने में सहायता मिलती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : माननीय सदस्य ने तो यह कहा था कि शराब की बोतल उनके पास नहीं थी।

†**श्री राज बहादुर :** यह बात ग़लत है। शराब बहुत थोड़ी मात्रा में थी; जो अनुमति पत्र था उसकी भी तारीख ४ फरवरी को समाप्त हो चुकी थी। यह घटना ८ फरवरी को हुई थी। ख़ैर, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनायें हमारे यहां हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजबहादुर]

मैं श्री तारिक के इस कथन से सहमत हूं कि हमें अच्छे होटल बनाने चाहियें। रेलवे स्टेशनों के आस पास भिखारियों को नहीं रहने देना चाहिए। गाइड या मार्गदर्शक अच्छे होने चाहिएं। वह जानते हैं कि इन सभी कार्यों में प्रगति करने के लिए हमने कदम उठाये हैं।

होटलों के बारे में हमने होटल स्तर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हम 'स्टार' पद्धति के अनुसार होटलों का वर्गीकरण करने का एक कार्यक्रम बना रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि औद्योगिक वित्त निगम ने अपने नियम कुछ उदार बना दिए हैं और राज्य बैंक अधिनियम का भी संशोधन कर दिया गया है ताकि कुछ होटलों को सुधार करने के लिये ऋण दिया जा सके। हमने उचित प्रशिक्षण के द्वारा अच्छे मार्गदर्शकों की भी व्यवस्था की है जिससे पर्यटकों की आवश्यकताओं को आशानुकूल पूरा किया जा सके।

माननीय सदस्य ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में काश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिये सीटों के रक्षण के बारे में बताया। हज़ारों पर्यटक काश्मीर जाते हैं और वे सब काश्मीर की और वहां के निवासियों की सुखद स्मृतियां लेकर वापस लौटते हैं। श्री तारिक जानते हैं कि मौसम की खराबी के कारण कभी कभी सेवाओं को रद्द करना पड़ता है। और कभी कभी सड़क के ख़राब हो जाने से गड़बड़ हो जाती है। ऐसे मौकों पर ज़रूर उन्हें काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। हमने सभी प्रकार के प्रयत्न किए हैं जिससे पर्यटकों को असुविधा न हो। लेकिन अभी हम वहां 'रोप वे' आदि की व्यवस्था नहीं कर सके हैं।

हम चाहते हैं कि वहां पर एक 'ट्रेवल एजेन्सी' खोली जाये। पर्यटन विभाग का भार स्वयं काश्मीर के मुख्य मंत्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद पर है। पर्यटकों की सुविधाओं आदि की देखभाल वह स्वयं करते हैं और उन्होंने जो कुछ इस क्षेत्र में किया है वह बड़ा सराहनीय है। मैं आश्वासन देता हूं कि आइ० ए० सी० अथवा रेलगाड़ियों में सफाई आदि की सभी कठिनाइयां दूर कर दी जायेंगी। हाल में ही रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई है और रेलवे मंत्री बता चुके हैं कि सफाई आदि का पूरा प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि श्री शुक्ल तथा श्री तारिक दोनों पर्यटन विकास परिषद् तथा सलाहकार समिति के सदस्य हैं और इसलिये पर्यटन के विकास तथा सुविधाओं की शिकायतों के बारे में मेरे साथ कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है। हम श्री तारिक और श्री शुक्ल के विचारों की बड़ी इज्ज़त करते हैं। इसीलिये उनको ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां से वे इन मामलों में अपनी योग्य राय दे सकें। श्री तारिक ने आज प्रातः मुझे एक 'शेर' दिया था जो यहां बिल्कुल मौजूं है इसलिये उसको सभा में पढ़ कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया,
फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सिर रख दिया।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार ११ मार्च, १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १० मार्च, १९६०
२० फाल्गुन, १८८१ (शक]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४४९–५७

तारांकित प्रश्न संख्या		
७४८	उड़ीसा में खारी पानी	२४४९-५०
७४९	चरखी दादरी के निकट ट्रेन पर गोली वर्षा	२४५१
७५१	राउरकेला-भिलाई रेल सम्पर्क	२४५१-५२
७५२	विमान सर्विसें	२४५२-५३
७५४	ग्रांड-ट्रंक एक्सप्रेस का लेट चलना	२४५३-५५
७५५	नयी दिल्ली में आणविक उद्यान	२४५५-५६
७५७	सर्वेक्षण विमान के साथ दुर्घटना	२४५६-५७
७६१	झरिया कोयला क्षेत्र के लिये जल सम्भरण	२४५७-५८
७६३	इमारती लकड़ी तैयार करने का संयंत्र, इम्फाल	२४५८
७६५	विश्व कृषि प्रदर्शनी	२४५९–६१
७६७	टेलीफोन एक्सचेंज, बैलगांव	२४६१
७६८	पहिये के पुराने सामान का आयात	२३६१-६२
७६९	नये मेडिकल कालेज	२४६३–६६
७७०	हीराकुद परियोजना	२४६६-६७
७७१	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन समय सारणी	२४६७-६८
७७२	मिराज-कुर्डूवाडी-लटूर रेल सम्पर्क	२४६८-६९
७७३	हावड़ा गुड्स एकाउंट्स आफिस में भ्रष्टाचार	२४६९-७०
७७४	भारतीय नौवहन कम्पनियां	२४७०-७१
७७५	डी० डी० टी०	२४७१—७३
७७८	झांसी में रेल दुर्घटना	२४७३

417 (Ai) LSD—10

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८०	दिल्ली के लिये कुष्ठ गृह	२४७३-७४
७८१	नाहर कटिया की बिजली	२४७४-७५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
८	दक्षिण बिहार में चीनी का मूल्य निर्धारण	२४७५-७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		२४७७-२५१२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४७	उर्वरकों का मूल्य	२४७७-७८
७५०	पोलैण्ड से जहाज	२४७८
७५३	गुडिवाडा-भीमवरम् रेलवे लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन	२४७८
७५६	बरौनी में क्रीम बनाने का कारखाना	२४७८-७९
७५८	विश्व कृषि प्रदर्शनी	२४७९
७५९	आसाम में बाढ़	२४८०
७६०	शरवती परियोजना	२४८०-८१
७६२	कोसी बान्ध	२४८१
७६४	दिल्ली में डिपथीरिया रोग	२८८१
७६६	सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना, पेरम्बूर	२४८१-८२
७७६	नाटघाट (उत्तर प्रदेश) में बेतबा नदी पर पुल	२४८२
७७७	बिना टिकट यात्रा	२४८२-८३
७७९	छोटी जल चक्कियां (टर्बाइन्स)	२४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९३५	उत्तर प्रदेश में डाक व तार परामर्शदात्री समितियां	२४८३
९३६	कुष्ठ नियन्त्रण योजना	२४८३
९३७	महरोली (दिल्ली) में जल सम्भरण	२४८४
९३८	डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, हावड़ा डिवीजन	२४८४-८५
९३९	बाढ़ सहायता के लिये हावड़ा स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा ड्रामा	२४८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

६४०	इंजन, डिब्बे आदि	२४८५
६४१	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था	२४८६
६४२	विजयवाडा-मसूलीपटनम लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन	२४८६
६४३	मुरादाबाद के पास रामगंगा पर नौका-पुल	२४८६
६४४	पंजाब में सिंचाई और बिजली का विकास	२४८७
६४५	गंगा नदी पर पुल	२४८७
६४६	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२४८८
६४७	बम्बई पत्तन में रेत जमा हो जाना	२४८८
६४८	दिल्ली में नये बूचड़खाने	२४८९
६४९	उद्योगों के लिये अग्रिम परियोजनायें	२४८९
६५०	तदर्थ न्यायाधिकरण	२४८९
६५१	दिल्ली में ट्रकों की दुर्घटनायें	२४८९–९०
६५२	बी० सी० जी० के टीके	२४९०
६५३	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	२४९१
६५४	खापेरखेडा (बम्बई राज्य) में तापीय विद्युत् केन्द्र	२४९१
६५५	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	२४९१–९२
६५६	मध्य रेलवे पर नियुक्तियां	२४९२–९३
६५७	मध्य रेलवे पर अनधिकृत विक्रेता व फेरी वाले	२४९३
६५८	उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन	२४९३–९४
६५९	उड़ीसा में रेलवे की आउट एजेंसियां	२४९४
६६०	नौवहन सेवा	२४९४
६६१	हिमाचल प्रदेश में कृषि प्रदर्शनी	२४९५
६६२	महिला भारिक (पोर्टर्स)	२४९५
६६३	रेल की पटरी को उखाड़ना	२४९५–९६
६६४	भारतीयों पर निरोधा प्रतिबन्ध	२४९६–९७
६६५	त्रिपुरा में गेहूं और चावल का सम्भरण	२४९७
६६६	शाहगंज जंक्शन	२४९७–९८
६६७	पंजाब के लिये खाद्यान्न	२४९८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश :		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६८	अमृतसर में टेलीफोन के कनेक्शन	२४९८
९६९	उत्तर रैलवे में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२४९८–९९
९७०	पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज	२४९९
९७१	पत्तन आयुक्त, कलकत्ता	२४९९–२५००
९७२	राज्यों में सिंचाई	२५००
९७३	राज्य फार्म	२५००–०१
९७४	हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण	२५०१–०२
९७५	कथ के बीज	२५०२
९७६	रेलवे पर डिग्रियां	२५०३
९७७	जम्मू तथा काश्मीर में टेलीफोन एक्सचेंज	२५०३
९७८	त्रिपुरा में मोटर दुर्घटना	२५०४
९७९	त्रिपुरा में सहकारी समितियां	२५०४
९८०	अमरपुर (त्रिपुरा) में बहुप्रयोजनीय विकास खंड	२५०४–०५
९८१	नई दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समिति	२५०५
९८२	गैर-सरकारी रेलवे	२५०५
९८३	मनीआर्डर	२५०५
९८४	अखिल भारतीय सहकारी रजिस्ट्रार सम्मेलन	२५०६
९८५	सीटों और बर्थों का आरक्षण	२५०६
९८६	रेलवे अस्पतालों में अवैतनिक डाक्टर	२५०६
९८७	मनीपुर में घास के महाल	२५०७
९८८	आन्ध्र प्रदेश में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड	२५०७–०८
९८९	इम्फाल का टाउन हाल	२५०८
९९०	ग्राम पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर	२५०८
९९१	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्टेशनों की नयी इमारतें	२५०९
९९२	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के लिये स्थानों का रक्षण	२५०९
९९३	पिलखवा के निकट इंजन का पटरी से उतर जाना	२५१०
९९४	माल-डिब्बा मरम्मत वर्कशाप, कोटा	२५१०
९९५	रेलवे पदाधिकारियों द्वारा हिन्दी परीक्षा पास किया जाना	२२१०–११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

९९६ पश्चिम रेलवे में अव्यावसायिक नाकट क्लब . २५११

९९७ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली . . २५११

९९८ जम्मू तथा काश्मीर में डाक घर . २५११—१२

९९९ जम्मू तथा काश्मीर में सिंचाई योजनायें . २५१२

स्थगन प्रस्ताव . . . . २५१२—१५

अध्यक्ष महोदय ने ८ मार्च, १९६० को मिकिर पहाड़ियां, आसाम में उत्तर बाबिल स्थान पर विस्थापित व्यक्तियों के निष्कासन और उन पर कथित गोली चलाने के बारे में चार स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचनायें, निम्नलिखित सदस्यों ने दी थीं, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

श्री हेम बरुआ, श्री स० मो० बनर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री मोहम्मद इलियास, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया और श्री ब्रजराज सिंह ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २५१५

(१) श्वेत-पत्र संख्या ३ की एक प्रति, जिसमें वे नोट, ज्ञापन और पत्र दिये हुए हैं जिनका नवम्बर, १९५९ और मार्च, १९६० के बीच भारत और चीन की सरकारों के बीच आदान-प्रदान हुआ ।

(२) मोटर उद्योग सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन (१९६०) की एक प्रति, समिति की सिफारिशों के सारांश के साथ ।

राज्य सभा से सन्देश २५१६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने २ मार्च, १९६० की अपनी बैठक में पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . . २५१६

सचिव ने पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६० की एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखी ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . २५१६

चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५१६—१९

श्री अर्जुनसिंह भदौरिया ने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में अधिगृहीत कुछ बस्तियों को मुक्त करने में विलम्ब की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२५१९–२०
स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने शाहदरा में बिजली और पानी के फिर से चालू किये जाने के बारे में वक्तव्य दिया ।	
सामान्य आय-व्ययक–सामान्य चर्चा.	२५२०—५४
आय-व्ययक (सामान्य) १९६०–६१ पर सामान्य चर्चा जारी रही ।	
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।	
लेखानुदान की मांगें	२५५४—५९
वर्ष १९६०–६१ के लिये लेखानुदान की सारी मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।	
विधेयक पुरस्थापित	२५५९–६०
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६० ।	
विधेयक—पारित	२५६०
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।	
आधे घंट की चर्चा	२५६०– ६६
श्री अ० मु० तारिक ने विदेशी पर्यटकों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २२७ के १८ फरवरी, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर चर्चा उठायी ।	
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	
(लोक सभा शुक्रवार, ११ मार्च, १९६० के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।)	
शुक्रवार, ११ मार्च, १९६०/२१ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—	
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।	